अप्रैल 2007
मसौदा अंतिम रिपोर्ट

# असम, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों में प्रैंचाइजी प्रणाली का मूल्यांकन

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड**
के लिए तैयार

परियोजना रिपोर्ट सं. 2006 ई आर 39
ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान

कापीराइट : ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान 2007

## साइटेशन के लिए सुझावित प्रपत्र

टी ई आर आई – 2007
असम, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के चुनिंदा
जिलों में प्रैंचाइज तंत्र का मूल्यांकन
नई दिल्ली : ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान ।
[परियोजना रिपोर्ट सं. 2006 ई आर 39]

## अधिक जानकारी के लिए

परियोजना मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ
टी ई आर आई
दरबारी सेठ ब्लॉक
आई एच सी परिसर, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 246821 या 24682111
ई-मेल: pmc@teri.res.in
फैक्स: 24682144 या 24682145
वेबसाइट : www.terinai.org
भारत+91 दिल्ली (0)11

## परियोजना दल

### परियोजना सलाहकार

. श्रीमती आकांक्षा चावरे

## परियोजना दल

. श्री एम एस भल्ला
. श्री देबजीत पलित
. श्रीमती मनीषा जैन
. श्रीमती मेघा शुक्ला
. श्रीमती मैरी अब्राहम
. श्री विवेक झा
. श्री जितेन्द्र तिवारी

## विषय-सूची तालिका

अध्याय-1. परिचय -- 1
1.1 अध्ययन का उद्देश्य तथा विषय-क्षेत्र -- 2
1.2 अध्ययन कार्यप्रणाली -- 3
1.3 रिपोर्ट की रूपरेखा -- 5
अध्याय 2 – दमोह (मध्य प्रदेश) -- 7
2.1 पृष्ठभूमि -- 7
2.2 व्यवसाय मॉडल -- 8
2.3 उपभोक्ता सर्वेक्षण -- 15
2.4 विद्यमान मॉडल में अनुभव -- 16
2.5 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण -- 22
अध्याय 3 नगांव – असम -- 23
3.1 पृष्ठभूमि -- 23
3.2 अध्ययन क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल -- 26
3.3 विद्यमान मॉडल में अनुभव -- 33
3.4 परिसीमाएं -- 38
3.5 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण (रि मॉडलिंग) -- 42
3.6 निष्कर्ष -- 44
अध्याय 4 गुलबर्ग (कर्नाटक) -- 45
4.1 पृष्ठभूमि -- 46
4.2 आर जी जी वी वाई के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति -- 48
4.3 व्यवसाय मॉडल -- 51
4.4 यूटिलिटी को समस्याएँ -- 53
4.5 उपभोक्ता सर्वेक्षण -- 54
4.6 विद्यमान मॉडल में अनुभव -- 58
4.7 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण -- 64
4.8 निष्कर्ष -- 66
अध्याय 5 : निष्कर्ष तथा सिफारिशें -- 68

## अध्याय 1 - परिचय

अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में शत-प्रतिशत आवास विद्युतीकरण करना था । पूंजी परिव्यय के 90 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी । योजना की मुख्य विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरित करने तथा राजस्व एकत्र करने के लिए फ्रैंचाइजियों की तैनाती है । योजना के तहत पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु राज्यों का परियोजना की स्वीकृति के दो वर्ष के अंतर्गत ग्रामीण वितरण तंत्र के प्रबंधन के लिए प्रैंचाईजी तंत्र की स्थापना पूर्व वचनबद्धता उपलब्ध कराना अपेक्षित है । जिसका अनुपालन न होने की स्थिति में पूंजी सब्सिडी को ब्याज युक्त ऋणों में परिवर्तित किया जा सकता है । प्रैंचाईजी तैनाती के लिए दिशानिर्देश आर ई सी द्वारा जारी किए गए हैं तथा राज्यों का इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करना अपेक्षित है । योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है तथा बहुत से राज्यों को निधि जारी की जा चुकी है । जैसा कि सारणी 1.1 में दर्शाया गया है कि बहुत से राज्यों में प्रैंचाईजी पहले से स्थापित हैं तथा अन्य राज्यों में संस्थापन की प्रक्रिया शुरू है ।

**सारणी 1.1 देश में प्रैंचाइज की स्थिति (सितंबर 2006 की स्थिति )**

| राज्य | नियुक्त प्रैंचाइजी की संख्या | शामिल किए गए/ किए जाने वाले गांवों की स. |
|---|---|---|
| असम | 231 आई बी एफ | 816 |
| बिहार | डी टी स्तर पर एन आई टी जारी | 34821 |
| | 11 के वी फीडर स्तर पर 29 | 600 |
| छत्तीसगढ़ | 18.12.2005 को एन आई टी जारी | 19720 |
| हरियाणा | 1 | 173 |
| कर्नाटक | 3652(एकत्र राजस्व) | 17125 |
| | 40 आई बी एफ | 800 |
| नागालैंड | 285 आई बी एफ | 285 |
| पंजाब | सभी 17 जिलों के लिए एन आई टी जारी | 12278 |
| राजस्थान | 11 के.वी. फीडर स्तर पर 2 | 60 |
| उत्तर प्रदेश | 87 | 10391 |
| उत्तरांचल | 41 एस एच जी | 5321 |
| पश्चिम बंगाल | 196 | 169 |
| मध्य प्रदेश | 7 | 114 |
| आंध्र प्रदेश | 2 | 8 |
| उड़ीसा | 11 के वी फीडर पर 7 | 675 |
| कुल | 4580 | 37537 (संक्रियात्मक) |

स्रोत: 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत पर कार्य समूह के उप समूह 3 की रिपोर्ट

अत इस स्तर पर, संक्रियात्मक प्रैंचाइजी मॉडलों के समीक्षात्मक मामलों तथा सफलता के कारकों पर **अंतर्दृष्टि** डालने के लिए तंत्र की एक मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने 22 जनवरी 2007 के अपने पत्र सं. आर ई सी/आर जी जी वी वाई/प्रैंचाइजी इवेलुएशन/2006-07 के द्वारा टी ई आर आई को (नगांव जिला), कर्नाटक (गुलबर्गा जिला) तथा मध्य प्रदेश (दमोह) राज्यों में प्रैंचाईजी तंत्र के मूल्यांकन के लिए अध्ययन की मंजूरी दी गयी है ।

---

## 1.1 अध्ययन का उद्देश्य तथा विषय-क्षेत्र

अध्ययन का उद्देश्य प्रैंचाइजी अभियान के विद्यमान मॉडलों के मजबूत तथा कमजोर पक्षों की पहचान करने के लिए असम के नगांव जिले, कर्नाटक के गुलबर्ग जिले तथा मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रैंचाइजी तंत्र का मूल्यांकन करना है और देश में संक्रियात्मक प्रैंचाइजी मॉडलों के सुदृढ़ीकरण तथा निरंतरता के लिए मार्गदर्शन करना है । अध्ययन विषय-क्षेत्र विचारार्थ विषय संलग्नक-I.1 के रूप में संलग्न है ।

## 1.2 अध्ययन कार्यप्रणाली

अध्ययन कार्यप्रणाली में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- यूटिलिटी से द्वितीयक आधार सामग्री जैसे प्रैंचाईजी ब्यौरा, आवृत्त किए गए गाँवों की संख्या, प्रैंचाईजी के कार्यक्षेत्र में वितरण तंत्र पर आधारित जानकारी, संबद्ध भार तथा प्रैंचाईजी संक्रियात्मक क्षेत्र में ऊर्जा उपयोग का प्रतिरूप, भरी गई मासिक ऊर्जा तथा प्रैंचाईजी संक्रियात्मक क्षेत्र में प्राप्त राजस्व तथा अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रैंचाईजियों के संगठन आदि सूचनाए एकत्रित करना ।

- यूटिलिटी तथा प्रैंचाईजी से संलग्न प्रश्नावली पर आधारित एकत्र की गयी प्राथमिक आधार सामग्री (परिमाणात्मक तथा गुणात्मक) को एकत्र करना । संकेद्रित सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया जिसमें चुने गये गाँवों के विद्युत उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों (घरेलू, व्यावसायिक, कृषि तथा औद्योगिक) शामिल किया गया तथा विद्युत वितरण तंत्र और क्षेत्र में प्रैंचाईजियों के कार्य से संबंधित मामलों पर अंतर्दृष्टि डालने के लिए इन गाँवों के प्रमुख लोगों से मुलाकात की गई । अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची गाइड तथा सर्वेक्षण मैट्रिक्स को संलग्नक-iv में आकृति 1.1 तथा सारणी 1.2 यू जी, एफ जी, एफ डी जी, के पी आई तथा सी एस में दिया गया है । परिमाणात्मक तथा गुणात्मक आधार सामग्री को गौण स्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया तथा अध्ययन राज्यों में प्रैंचाईजी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया ।

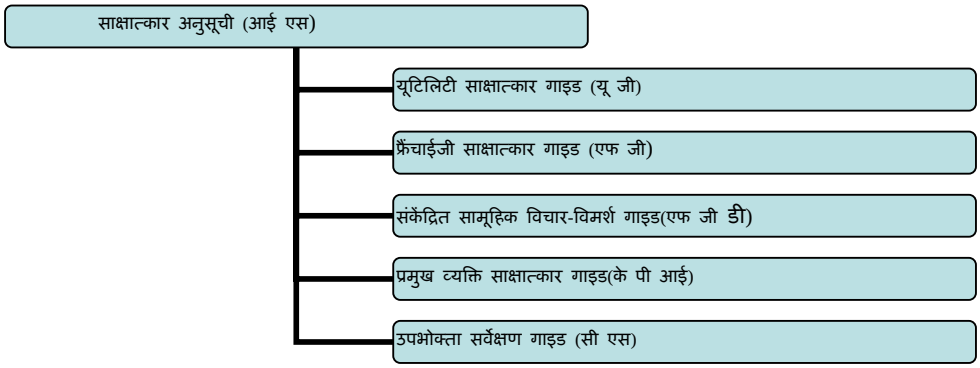


आकृति 1.1: साक्षात्कार मूल्यांकन अनुसूची

**सारणी 1.2 : सर्वेक्षण आयोजन के लिए मैट्रिक्स**

| जिला | यू जी | एफ जी [1] | एफ जी डी2 | के पी आई |
|---|---|---|---|---|
| दमोह | 1 | 4 | 4 | 10 |
| नगांव | 1 | 13 | 302 | 60 |
| गुलबर्ग | 3 | 10 | 10 | 60 |

## 1.2.1 नमूने के गांवों का चयन

### 1.2.1.1 दमोह

यहां पर 4 प्रैंचाइजी हैं जो दामोह में प्रैंचाईजिंग के आगत आधारित मॉडल के अंतर्गत कार्य करते हैं । मरम्मत तथा रखरखाव को छोड़कर प्रत्येक प्रैंचाईजी को 100 के वी ए क्षमता का एक संवितरण ट्रंसफार्मर आबंटित किया गया है । प्रैंचाइजिंग के अंतर्गत ये चार राजस्व गांव गैर-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना गांवों की श्रेणी में आते हैं । टीम ने सभी चारों गांवों का सर्वेक्षण किया । 7 मार्च 2007 को स्थल निरीक्षणों तथा क्षेत्र सर्वेक्षणों पर आधारित एक समापन बैठक जबलपुर में डिस्कॉम के मुख्य इंजीनियर (संवितरण) के साथ आयोजित हुई ।

### 1.2.1.2 नगांव

मूल्यांकन में विभिन्न स्तर के यूटिलिटी अधिकारियों (डिस्कॉम निगमित कार्यालय, जिले स्तर पर विद्युत वितरण सर्किल तथा विद्युत वितरण प्रभाग) के साथ चर्चा, संक्रियात्मक प्रैंचाईजियों (प्रैंचाइज मालिक तथा कर्मचारी दोनों) के साथ चर्चा, एफ जी डी तथा गांवों में उपभोक्ता सर्वेक्षण शामिल है । 31 जनवरी 2007 तक 41 प्रैंचाईजी अधिष्ठापित किए जा चुके हैं (जनवरी 2007 से एक प्रैंचाईजी काम नहीं कर रहा है।) तथा संक्रियात्मक प्रैंचाइजी वर्तमान में जिले के 113 डी टी का प्रबंध कर रहे हैं । मूल्यांकन में, जिले के 4 विद्युत उप प्रभाग,40 संक्रियात्मक प्रैंचाईजियों में से 13 प्रैंचाइजी तथा विचारार्थ विषय के अनुसार प्रैंचाइजियों के संक्रियात्मक क्षेत्र (सारणी 1) में आने वाले कुल 30 गांव, शामिल किए गए हैं । सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक गांव में सामूहिक चर्चा आयोजित की गई जिसमें सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है ताकि प्रैंचाईज तंत्र तथा जिले में उसके संचालन में

---

[1] प्रतिचयन में आवृत्त हर प्रैंचाईजी के लिए एक प्रैंचाइजी गाइड

[2 1] प्रत्येक गांव एफ जी डी; प्रत्येक एफ जी डी में विभिन्न श्रेणियों (घरेंलू, व्यावसायिक आदि) के 8-10 उपभोक्ता उपस्थित हुए ।

उपयुक्त तालमेल बन सके । एफ जी डी के अतिरिक्त, प्रश्नावली आधारित एप्रोच के माध्यम से उपभोक्ता सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य व्यक्तियों (जैसे ग्राम प्रधान, शिक्षक इत्यादि), सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक गांव से व्यावसायिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया तथा गांवों के सामाजिक, आर्थिक प्रोफाईल (बी पी एल, ए पी एल, एस सी इत्यादि) की विभिन्नताओं में भी वितरण को निरूपित किया गया ।

### 1.2.1.3 गुलबर्गा

जिले में सभी तीनों प्रभागों के 297 सक्रिय प्रैंचाईजियों में से 12 प्रैंचाइजियों के यादृच्छिक आधार पर नमून चुने गए । हर खंड से विभिन्न नमूने शामिल किए गए ताकि सबका प्रतिनिधित्व रहे। कुल उन 31 गांवों को शामिल किया गया जिनमें प्रैंचाइजी प्रकार्यात्मक हैं तथा इन गांवों में उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया । स्थल निरीक्षणों तथा क्षेत्र के सर्वेक्षणों के आधार पर 21 मार्च 2007 को हुबली में डिस्कॉम के मुख्य प्रबंध निदेशक(सी एम डी) के साथ एक समापन बैठक आयोजित की गई ।

## 1.3 रिपोर्ट की तैयारी

प्रत्येक जिले के निष्कर्ष को विस्तृत रूप से उत्तरवर्ती अध्यायों में बताया गया है । निम्नलिखित पर एक पूर्ण दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए अध्यायों को तैयार किया गया है ।

1. यूटिलिटी तथा प्रैंचाइजी के बीच समझौते के ब्यौरे तथा चयन प्रक्रिया सहित जिले में संचालित प्रैंचाईजी का बिज़नेस मॉडल ।

2. वर्तमान मॉडल में अनुभव जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें दर्शायी जाएं

   (क) परियोजना से उपभोक्ता, प्रैंचाइजी तथा यूटिलिटी को लाभ हो ।

   (ख) तंत्र की असफलताएं एवं कमियां, यदि कोई हों

3. अपेक्षित तंत्र के पुन: मॉडलीकरण में शामिल हैं:-

   (क) वर्तमान तंत्र के विस्तार/सुधार की संभाव्यता ।
   (ख) ऐसे विस्तार/सुधार में आने वाली बाधाएं ।

   (ग) ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए संस्तुतियां ।

4. निष्कर्ष एवं सिफारिशें ।

# अध्याय 2 – दमोह (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश सरकार ने 01 जुलाई 2002 के आदेश के द्वारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम पी पी के वी वी सी एल) को, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत मध्य प्रदेश सरकार के निगम रूप में, समाविष्ट कर लिया है ताकि जबलपुर, सागर तथा रीवा कमिशनरियों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से बिजली वितरण तथा खुदरा आपूर्ति की गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा सके ।

मध्य प्रदेश सरकार ने एक अचिरस्थायी चरण प्रस्तावित किया, जिसमें परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की व्यवस्था बोर्ड करता रहेगा । नई कंपनी केवल संचालनात्मक गतिविधियों को कार्यान्वित करेगी । मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एम पी ई आर सी) ने 16 जुलाई 2002 के आदेश में इस ऑपरेशन तथा प्रबंधन व्यवस्था के लिए अनुमति प्रदान की, ताकि विद्युत क्षेत्र की संचालनात्मक गतिविधियों में किफायत व कुशलता लायी जाए तथा पुनर्गठन एवं सुधार प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सके । पूर्व क्षेत्र ने अपने सेवा क्षेत्र में 59,489 कि.मी. तक एच टी तथा 1,02,231 कि.मी. तक एल टी वितरण नेटवर्क फैलाया हुआ है । प्रशासनिक व्यवस्था का आकार निम्नवत है:-

**सारणी 2.1 पूर्व क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था**

| | |
|---|---|
| क्षेत्रों की संख्या | 3 |
| सर्किलों की संख्या | 13 |
| प्रभागों की संख्या | 39 |
| उप प्रभागों की संख्या | 189 |
| वितरण केंद्रों की संख्या | 368 |
| फ्यूज कॉल सेंटरों की संख्या | 1,888 |

---

## 2.1 पृष्ठभूमि

दमोह जिला, दमोह (ओ एण्ड एम) सर्किल के अंतर्गत आता है, जिसमें ओ एण्ड एम डिवीजन दक्षिण तथा उत्तर नामत: दो ओ एण्ड एम डिवीजन हैं तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर 18 वितरण केन्द्र हैं । यहां जिले में कुल सात ब्लॉक-दमोह, जबेरा, तेंदुखेड़ा, पाथरिया, बतियागढ़, हट्टा और पटेरा हैं । पुरानी परिभाषा के अनुसार सभी ब्लॉकों में विद्युतीकरण की दर औसतन 95% है ।

दमोह जिले की विद्युत आपूर्ति 132/33 के वी सब-स्टेशनों (एस/एस) तथा 220/33 के वी सब-स्टेशनों द्वारा की जाती है तथा दमोह में 220/33 के वी सब-स्टेशनों के साथ 396 कि.मी. तक 33 के वी लाईन तथा 2650 कि.मी. की 11 के वी लाईन हैं । ग्रामीण संदर्भ में, जिले में 1123 विद्युतीकृत गांव तथा 1144 विद्युतीकृत आवास हैं । दूसरी ओर, यहां पर 52 अविद्युतीकृत गांव तथा 487 अविद्युतीकृत आवास हैं । 26871 बी पी एल सहित विद्युतीकृत आवासें की कुल संख्या 53725 है तथा यहां पर 63319 बी पी एल सहित अविद्युतीकृत ग्रामीण आवासों की संख्या 126121 है । इन अविद्युतीकृत गांवों तथा आवासों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाएगा ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने अपने पत्र (पत्र सं. सी एम डी/एस ओ/1594) दिनांक 12.06.2006 के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रैंचाईजी योजना शुरू किया था ताकि राजस्व प्रबंधन तंत्र (राजस्व में हो रही कमी को दूर करने के लिए) में सुधार किया जा सके तथा उपभोक्ताओं को अच्छी व त्वरित सेवा दी जा सके । यहां फ्रैंचाइजिंग के इनपुट बेस मॉडल के अंतर्गत 4 फ्रैंचाइजी कार्यरत हैं । मरम्मत तथा रखरखाव को छोड़कर, प्रत्येक फ्रैंचाईजी को 100 के वी ए क्षमता का एक वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) आबंटित किया गया है । फ्रैंचाइजियों के अंतर्गत ये चार राजस्व गांव गैर-

आर जी जी वी वाई गांवों के अंतर्गत आते हैं । इन गांवों में प्रैंचाइजियों द्वारा संबद्ध उपभोक्ताओं की कुल संख्या (घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, स्ट्रीट लाईट तथा औद्योगिक सहित) 289 है ।

जिले का मूल्यांकन 7 मार्च 2007 को जबलपुर में मुख्य इंजीनियर के साथ आयोजित समापन बैठक के साथ पूर्ण हुआ ।

## 2.2 व्यवसाय मॉडल

### 2.2.1 चयन प्रक्रिया

दमोह जिले (मध्य प्रदेश) में प्रैंचाइजियों के चयन हेतु यूटिलिटी द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि निम्नवत है:-

1. यूटिलिटी अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय के साथ हितधारक परामर्श शुरू किया तथा इच्छुक उद्यमियों के आवेदन एकत्रित किए ।
2. उद्यमियों की एक सूची तथा उनके संबंधित गांवों की लघु-सूची अगले मूल्यांकन के लिए तैयार की गयी ।
3. वित्तीय, सामाजिक तथा अन्य संबंधित चयन पैरामिटरों का मूल्यांकन करने के लिए एक दल का गठन किया गया, ताकि अंतिम प्रैंचाइजियों का चयन किया जा सके ।

हालांकि, यह एक बहुत ही अनौपचारिक प्रक्रिया थी तथा इसमें सामुदायिक जागरूकता के प्रसार संबंधी समीक्षात्मक घटक का अभाव था । योजना को उपयुक्त रूप से विज्ञापित नहीं किया गया (स्थानीय समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया) तथा परिणामस्वरूप योजना सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने में नाकाम रही जिसके फलस्वरूप केवल चार प्रैंचाईजियों की व्यवस्था हुई ।

### 2.2.2 करारनामा

प्रैंचाइजियों तथा यूटिलिटी के बीच करारनामे पर पहली बार में 24 महीनों की कार्य अवधि के लिए हस्ताक्षर हुए ( संलग्नक-II-1) । इस करारनामे में निम्नलिखित शामिल थी :-

- प्रैंचाइजी तथा यूटिलिटी के उत्तरदायित्व
- राजस्व प्राप्ति के लिए टैरिफ संरचना
- प्रतिभूति जमा
- प्रैंचाइजी के कर्तव्य जैसे पूर्व बकाए की वसूली, राजस्व संग्रहण, तथा
- अन्य निबंधन एवं शर्तें

जिले में प्रत्येक प्रैंचाइजी द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सारणी 2.2 में सूचीबद्ध है । इसके अतिरिक्त दमोह में ग्रामीण क्षेत्रीय प्रैंचाइजी विकास की प्रगति से संबंधित ब्यौरा संलग्नक-II-2 में दिया गया है ।

**सारणी 2.2: 2006-07 के दौरान दमोह जिले में प्रैंचाइजियों के अंतर्गत उपभोक्ता**

| क्रमांक | प्रैंचाइजी | कार्य सुपुर्दगी के समय कुल उपभोक्ता | 21.02.2007 तक कुल उपभोक्ता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश सिंह | 83 | 104 |
| 2. | श्री सतेन्द्र सिंह | 67 | 110 |
| 3. | श्री मेघराज सिंह | 56 | 72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | श्री चंद्रभान सिंह | 52 | 52 |

---

### 2.2.2.1 **कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा दंड**

यूटिलिटी के साथ किए गए करार के अनुसार प्रैंचाइजी निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं:-

1. मीटर पठन
2. बिल वितरण
3. राजस्व वसूली
4. नये कनेक्शन कार्यान्वयन

यूटिलिटी के उत्तरदायित्व निम्न प्रकार से हैं:-

1. वे संवितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) को सुनिश्चित करेंगे तथा उनके नेमी रखरखाव की लागत को भी वहन करेंगे (आकृति 2.1) ।

2. यूटिलिटी नये संवितरण ट्रंसफार्मर को लगाने के कार्य तथा प्रवर्तन कार्य को करेगी तथा उसकी लागत को भी वहन करेगी ।

3. यूटिलिटी एच टी/एल टी लाईनों का रखरखाव करेगी तथा उनके दोषों को दूर करेगी ।

4. प्रैंचाइजी क्षेत्र में स्थापित वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी आर) की कुल संख्या के 12% तक खराब हुए ट्रंसफार्मरों को बदलने तथा उनकी लागत को वहन करने की जिम्मेदारी यूटिलिटी की होगी, हालांकि उपरोक्त सीमा से अधिक खराब हुए ट्रंसफार्मरों को भी यूटिलिटी द्वारा बदला जाएगा, किन्तु उनकी लागत को प्रैंचाईजी द्वारा वहन किया जाएगा

5. क्षेत्र सौंपे जाने से पूर्व कंपनी वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटीआर) के रखरखाव का कार्य करेगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उपयुक्त फ्यूज़, एल टी कट-आऊट तथा अर्थिंग उपलब्ध कराई गई है। यूटिलिटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि रेबी मौसम में अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लोड सहित विजली के अधिकृत लोड के 80% से अधिक लोड वितरण ट्रंसफार्मर (डीटीआर) पर नहीं हो ।

आकृति 2.1 : संस्थापित मीटर के साथ ट्रंसफार्मर

### 2.2.2.2. **टैरिफ**

प्रैंचाइजी का बिल, बेस लाईन में आपूर्ति की गई सभी यूनिटों का बिल रूपये 1.00 प्रति यूनिट की दर से बनाया जाएगा (कर तथा उपकर को छोड़कर) तथा प्रैंचाइजी को बिल राशि का भुगतान बिल जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर करना होगा । उपरोक्त उल्लिखित बेस दर के अलावा प्रैंचाईजड़ क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दिए गए बिल में कर तथा उपकर की राशि का भुगतान भी प्रैंचाइजी को करना होगा ।

बिल क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर (संचालन एवं रखरखाव) द्वारा जारी किए जाएंगे तथा जैसा ऊपर उल्लिखित है, अधिदेश के अधीन फ्रैंचाइजियों को बिल जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर भुगतान करना अपेक्षित है ।

एम पी ई आर सी द्वारा जारी संबंधित टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ निम्नवत है (सारणी 2.3 से 2.7) ।

**सारणी 2.3 ऊर्जा शुल्क (घरेलू [3])**

| मासिक खपत (यूनिटों में) | टेलीस्कोपी सुविधा के बिना खपत हुई सभी यूनिटों के लिए ऊर्जा लागत शुल्क(पैसे/यूनिट) | न्यूनतम शुल्क (रूपये प्रति माह प्रत्येक कनैक्शन के लिए) |
|---|---|---|
| प्रथम 30 यूनिट | 265 | |
| 31 से 50 | 270 | |
| 51 से 100 | 300 | 30 |
| 100 से अधिक | 340 | |
| अस्थायी कनैक्शन | 510 | 350 |
| डी टी आर मीटर के द्वारा | 245 | शून्य |

**सारणी 2.4** निश्चित **शुल्क**

| मासिक खपत | निश्चित शुल्क रूपये प्रति माह निरंतर बिजली आपूर्ति[4] क्षेत्र में | अन्य क्षेत्र में |
|---|---|---|
| प्रथम 30 यूनिट | शून्य | शून्य |
| 31 से 50 | 5 | 2 |
| 50 से 100 | 10 | 5 |
| 100 से 200 | 30 | 15 |
| 200 से अधिक | 15 प्रति ½ कि.वा. | 10 प्रति ½ कि.वा |
| अस्थायी कनैक्शन | 30 प्रति ½ कि.वा | 20 प्रति ½ कि.वा |

[3] घरेलू टैरिफ केवल आवास में प्रयुक्त लाईटिंग, स्पेश कंडीशनिंग तथा आवासीय प्रयोग के लिए पावर हेतु लागू है ।

[4] निरंतर बिजली आपूर्ति से तात्पर्य ऐसी आपूर्ति से है जो एक दिन में औसतन 23½ घंटे अथवा उससे अधिक हो ।

**सारणी 2.5 कृषि[5] के सिंचाई पंपों के लिए टैरिफ़**

| क्रमांक | उप श्रेणी | ऊर्जा लागत शुल्क पैसे प्रति यूनिट |
|---|---|---|
| - | मीटर वाले उपभोक्ता | |
| 1. | स्थायी कनैक्शन | |
| क. | प्रथम 300 यूनिट प्रति माह | 200 |
| ख. | माह में खर्च शेष यूनिटें | 250 |

| | | |
|---|---|---|
| ग. | अस्थायी कनैक्शन | 300 |
| 2. | ओ वाई टी डी टी आर मीटर वाले उपभोक्ता | |
| क. | सभी यूनिटों के लिए | 220 |

**सारणी 2.6 कृषि उपभोक्ताओं[6] को दिया जाने वाला प्रोत्साहन**

| क्रमांक | विवरण | टैरिफ़ में छूट की दर [7] |
|---|---|---|
| 1. | पंपसैटों की मोटरों के संस्थापन हेतु | 10 पैसे प्रति यूनिट |
| 2. | पंपसैट की आई एस आई मोटर के संस्थापन हेतु तथा घर्षणरहित पी वी सी पाईपों तथा फुट वाल्ब का उपयोग | 20 पैसे प्रति यूनिट |
| 3. | पंपसैट की आई एस आई मोटर के संस्थापन हेतु तथा घर्षणरहित पी वी सी पाईपों तथा फुट वाल्ब का उपयोग उपयुक्त श्रेणी के शंट कैपेसिटर के संस्थापन के साथ | 30 पैसे प्रति यूनिट |

[5ये] टैरिफ, कृषि पंप कनैक्शन, कुट्टी-मशीनों, थ्रैशरों, विनोविंग मशीनों तथा सिंचाई पंपों के लिए लागू हैं ।

[6ये] प्रोत्साहन कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा के बचत संबंधी उपकरणों के संस्थापन करने पर दिए जाएंगे बशर्ते कि लाईसेंसी उससे संतुष्ट हो ।

[7ये] दरें सप्ताह में छह दिन, छह घंटों की अवधि में तीन फेस की आपूर्ति करने के लिए हैं ।

**सारणी 2.7 कर तथा उपकर**

| क्रमांक | उप श्रेणी | कर | उपकर |
|---|---|---|---|
| 1. | घरेलू | | |
| | (क) प्रथम 100 यूनिट | 14% | 10 पैसे प्रति यूनिट |
| | (ख) 100-300 यूनिट | 15% | 10 पैसे प्रति यूनिट |
| | (ग) 300 से अधिक यूनिट | 23% | 10 पैसे प्रति यूनिट |
| 2. | कृषि के लिए सिंचाई पंप | निशुल्क | 10 पैसे प्रति यूनिट |

### 2.2.2.3 राजस्व वसूली

राजस्व वसूली के लिए यूटिलिटी तथा प्रैंचाईजी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निम्न रूप से हैं :

1. कंपनी, प्रैंचाइजी द्वारा प्रस्तुत मीटर पठन के आधार पर, उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करेगी ।

2. प्रैंचाइजी बिल में इंगित की गई राशि अथवा टैरिफ़ से अधिक की मांग नहीं कर सकते हैं ।

3. उपभोक्ता से वसूल किए गए राजस्व को प्रैंचाइजी द्वारा रखा जाएगा ।

### 2.2.2.4 विद्युत आपूर्ति का कनेक्शन काटना

प्रैंचाईजी द्वारा देय तिथि तक बिल का भुगतान/आंशिक भुगतान न किए जाने पर, कंपनी 15 दिनों की छूट अवधि के बाद विद्युत आपूर्ति को काट देगी । विद्युत बिलों में निरंतर चूक होने की स्थिति में प्रैंचाईजी को कंपनी द्वारा 30 दिनों के नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा । प्रैंचाईजियों द्वारा नियमित रूप से बिल का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, कंपनी प्रतिभूति जमा को विद्युत बिलों के बकायों के बदले समायोजित कर सकती है । ऐसा होने पर, प्रैंचाइजी को, कंपनी द्वारा प्रतिभूति जमा की राशि के मांग करने से 15 दिन के भीतर, नई प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी ।

### 2.2.2.4 प्रतिभूति जमा

प्रैंचाइजी का,अनुमानित खपत पर आधारित दो महीनों के औसतन बिलों के बराबर, प्रतिभूति राशि जमा करना अपेक्षित है । यूटिलिटी को भुगतान की गई प्रतिभूति जमा राशि का विवरण निम्नलिखित है :

**सारणी 2.8 यूटिलिटी को भुगतान की गई प्रतिभूति जमा**

| क्रमांक | प्रैंचाइजी का नाम | प्रतिभूति जमा (भारतीय रू. में) |
|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश सिंह | - |
| 2. | श्री सतेन्द्र सिंह | 18000 |
| 3. | श्री मेघराज सिंह | 28398 |
| 4. | श्री चन्द्रभान सिंह | 21000 |

## 2.3 उपभोक्ता सर्वेक्षण

कार्य योजना के अनुसार, उपभोक्ता के अपेक्षित सर्वेक्षणों को निष्पादित करने के लिए जिले के 4 गांवों का दौरा किया गया ।

### 2.3.1 गांवों का चयन

जिल में कुल पाँच प्रैचाइजियों को चुना गया, हालांकि वर्तमान में चार प्रैंचाइजी ही चार गांवों में कार्य कर रहे हैं । चूंकि, जिले में केवल चार प्रैंचाइजी संचालन कर रहे हैं इसलिए मूल्यांकन दल ने सभी पूर्वोक्त गांवों में सर्वेक्षण किया ।

### 2.3.2 सामान्य विचार-विमर्श

सर्वेक्षण किए गए कुल गांवों में से 100% प्रत्यर्थी प्रैंचाइजी योजना के बारे में जानकारी रखते हैं । ये प्रत्यर्थी जानते हैं कि प्रैंचाईजी योजना के अंतर्गत एक 'ठेकेदार' मीटर पठन, बिल वितरण तथा बिल वसूली का कार्य करता है । उपभोक्ता चाहते हैं कि लाईन के रखरखाव का अतिरिक्त कार्य भी, जो वर्तमान में यूटिलिटी द्वारा किया जा रहा है, 'ठेकेदारों' को दिया जाना चाहिए ।

सर्वेक्षण किए गए गांवों में प्रैंचाइजी शुरू होने के बाद से 100% प्रत्यर्थियों को नियमित रूप से बिल प्राप्त हो रहे हैं तथा इस संबंध में उनको कोई शिकायत नहीं है । अधिकांश प्रत्यर्थियों ने यह भी बताया कि प्रैंचाइजी के सभी कर्मचारी प्रैंचाइजी के गांव से हैं जिसके फलस्वरूप रोजगार की समस्या में भी सुधार हुआ है ।

कुछ उपभोक्ताओं ने निम्नलिखित सुझाव दिए/प्रतिक्रिया की :

1. विद्युत आपूर्ति अनियत तथा विरामी होने के मुकाबले में मुख्यत: अब नियमित हो गई है ।

2. प्रैंचाइजियों को सौंपे गए उत्तरदायित्वों के अलावा, उनकी निरंतरता बनाए रखने तथा पूर्णकालिक रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए उनको अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए ।

3. लाईन के रखरखाव आदि के लिए स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण दिया जाए ।

4. प्रैंचाइजियों को लाईन का रखरखाव केवल तभी दिया जाए जब सभी मीटर तथा लाईन उपकरणों की अनुकूलता जांच ली गई हो तथा वे सही हालत में हों ।

### 2.3.3 हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना

सर्वेक्षण के दौरान प्रैंचाइजियों ने यह भी अवगत कराया कि मीटर पठन, राजस्व वसूली, बही खाता लेखन तथा तकनीकी पहलुओं के संबंध में उन्हें यूटिलिटी द्वारा कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है । प्रैंचाइजियों द्वारा ऑपरेशन शुरू करने के उपरांत लाईनमैन तथा कनिष्ठ इंजीनियर ने केवल एक अनौपचारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया था । प्रैंचाइजियों ने तकनीकी, वित्तीय तथा प्रैंचाईजियों के व्यावसायिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विशेष रूचि जाहिर की ।

## 2.4 विद्यमान मॉडल में अनुभव

चोपड़ा गांव प्रैंचाइजी के प्रारंभ होने के समय गांव में विद्युत आपूर्ति नहीं थी । यह देयताओं के भुगतान न किए जाने के कारण था तथा गांव में बकायादारों की संख्या अधिक थी । उपरोक्त के अलावा, यहां बिजली के वितरण संबंधी भारी क्षति हो रही थी, जो कि बिजली की चोरी (80% तक) के कारण थी । शेष तीन गांवों ने भी चोरी के बड़े अनुपात तथा राजस्व वसूली के बहुत कम होने की रिपोर्ट की । प्रैंचाइजी को कार्य सौंपने से पूर्व यूटिलिटी ने क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए :-

1. डी टी पर (एल टी की ओर) एक मीटर संस्थापित किया गया।

2. प्रैंचाइजी की सहायता से एल टी लाईनों की गुणवत्ता में सुधार किया ।
3. चोरी संभावित क्षेत्रों में इंसूलेशन वाली तार उपलब्ध करायी ।

4. परीक्षण आधार पर 7 से 10 दिनों की एक अवधि (हैंडहोल्डिंग) के लिए प्रैंचाइजी की व्यवस्था को संचालित किया । यह प्रैंचाइजी द्वारा यूटिलिटी को दी जाने वाली प्रतिभूति जमा के निर्धारण का आधार भी बना ।

**सारणी 2.9 दमोह जिले में कार्यरत प्रैंचाइजी**

| क्रमांक | प्रैंचाइजी | गांव का नाम | करार की तारीख | स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री रितेश शाह | पीपारिया | 26.07.06 | अकार्यरत | 8 |
| 2. | श्री राजेश सिंह | विश्नाखेड़ी | अगस्त 06 | | अकार्यरत |
| 3. | श्री सतेन्द्र सिंह | रौंड | 18.10.06 | कार्यरत | |
| 4. | श्री मेघराज सिंह | कन्हैयाघाट पाटी | 09.11.06 | कार्यरत | |
| 5. | श्री चंद्रभान सिंह | चंडी चोपड़ा | 27.12.06 | कार्यरत | |

## 2.4.1 योजना का लाभ

### 2.4.1.1 राजस्व वसूली में बढ़ोतरी

प्रैंचाइजी तंत्र का अति महत्वपूर्ण प्रभाव राजस्व वसूली में वृद्धि के रूप में था (सारणी 2.10) । सारणी में दर्शायी गई राशि, यूटिलिटी द्वारा बढ़ाए गए संबंधित बीजकों के समक्ष, यूटिलिटी को जमा की गई

धनराशि को प्रस्तुत करती है । प्रैंचाइजी से पूर्व इन चार गावों में राजस्व प्राप्ति रूपये 0.21 से 0.25 प्रति यूनिट के बीच थी हालांकि जो अब प्रैंचाइजी से रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से वसूली की जाती है ।

---

[8] कार्य छोड़ चुका है क्योंकि वह चोरी रोक नहीं सका तथा अपेक्षित राजस्व वसूली में असमर्थ रहा । तत्पश्चात् उसे भारी नुकसान हुआ तथा उसने संविदामत तंत्र (इनपुट आधारित मॉडल) को व्यवहार्य व्यवसाय अवसर के रूप में ग्राह्रा नहीं पाया ।

**सारणी 2.10 यूटिलिटी द्वारा भेजे गए बीजकों के जरिए राजस्व वसूली (रूपए)**

| क्रमांक | प्रैचाईजी | अग.06 | सित.06 | अत्तू. 06 | नव. 06 | दिस. 06 | जन. 07 | फर. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश सिंह | 4338 | 4666 | 6901 | 12274 | 16297 | 15773 | |
| 2. | श्री सत्येन्द्र सिंह | | | | 5651 | 8952 | 9082 | |
| 3. | श्री मेघराज सिंह | | | | | 13376 | 24271 | |
| 4. | श्री चंद्रभान सिंह | | | | | | 5376 | |

यूटिलिटी द्वारा भेजे गए बीजकों का प्रैंचाइजियों द्वारा भुगतान किया गया तथा उसे यूटिलिटी में जमा किया गया। प्रैंचाइजी ने उपभोव्ताओं से बहुत बड़ी धनराशि की वसूली की, जिसे निम्न रूप से दर्शाया गया है ।

**सारणी 2.11 प्रैंचाइजियों द्वारा उपभोव्ताओं से वसूल की गई धनराशि**

| क्रमांक | प्रैचाईजी | अग.06 | सित.06 | अत्तू. 06 | नव. 06 | दिस. 06 | जन. 07 | फर. 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश सिंह | 8315 | 31019 | 36603 | 13581 | 8510 | 9829 | |
| 2. | श्री सत्येन्द्र सिंह | | | | 20476 | 10748 | 8135 | |
| 3. | श्री मेघराज सिंह | | | | | 25681 | 15935 | |
| 4. | श्री चंद्रभान सिंह | | | | | | 14922 | |

यहां निर्दिष्ट महीनों के दौरान बिलिंग तथा वसूल धनराशि में अंतर है (सारणी 2.10 तथा 2.11) (जैसे श्री राजेश सिंह द्वारा संचालित की जा रही प्रेंचाइजी के तहत, सितंबर 2006 में रूपये 26353 का अंतर) । यह कृषि उपभोव्ताओं के लिए अस्थायी पंप सैटों के प्रावधान हेतु प्रैंचाइजी द्वारा अग्रिम वसूली (प्रतिमाह 130 यूनिट की दर से प्रति एच पी) के कारण अंश में है ।

### 2.4.1.2 ऊर्जा की बढ़ी हुई खरीद बिक्री

ऊर्जा क्रय तथा विक्रय में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है । क्रय तथा विक्रय यूनिट में अंतराल, सारणी 2.12 के अनुसार, उन महीनों के दौरान है जब सिंचाई की आवश्यकतावश , किसानों ने बिना मीटर के निर्धारित दर के आधार पर अस्थायी कनैक्शन लिए थे ।

**सारणी 2.12 ऊर्जा विक्रय तथा क्रय का विवरण**

| प्रैंचाईजी | अगस्त 06 | | सितम्बर 06 | | अत्तूबर 06 | | नवम्बर 06 | | दिसम्बर 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्रय | विक्रय | क्रय | विक्रय | क्रय | विक्रय | क्रय | विक्रय | क्रय | विक्रय |
| राजेश सिंह | 3483 | 2412 | 3150 | 2924 | 7404 | 4148 | 11970 | 2538 | 15714 | 2540 |
| सत्येन्द्र सिंह | | | | | | | 4632 | 3073 | 7572 | 5053 |
| मेघराज सिंह | | | | | | | | | 32685 | 9224 |

### 2.4.1.3 उपभोव्ताओं में वृद्धि

प्रैंचाइजी द्वारा तुरन्त एवं शिकायत सेवा तथा ल[redacted]ी पी एल, दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं की संख्या में भी संतु[redacted]

**सारणी 2.13 उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि**

| क्रमांक | प्रैंचाइजी | सुपुर्दगी के समय कुल उपभोक्ता | 21.02.2007 तक कुल उपभोक्ता | कृषि कनैक्शनों में वृद्धि | अस्थायी कनैक्शनों में वृद्धि | अन्य कनैक्शनों में वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेश सिंह | 83 | 104 | 11 | 13 | 1 |
| 2. | श्री सतेन्द्र सिंह | 67 | 110 | 3 | 9 | 3 |
| 3. | श्री मेघराज सिंह | 56 | 72 | 8 | 9 | 1 |
| 4. | श्री चंद्रभान सिंह | 52 | 52 | 9 | - | 2 |

### 2.4.1.4 चोरी की रोकथाम

प्रैंचाइज तंत्र ने इन संचालन क्षेत्रों में अनधिकृत कनैक्शनों की जांच करने तथा बिजली की चोरी को रोकने में एक सीमा तक स्फालता प्राप्त की है । प्रैंचाइजी क्षेत्रों में कुछ नये उपाय शुरू किए गए हैं :

1. कुंडी रोकने के लिए एल टी नेटवर्क की केबल लगाना (आकृति 2.2)

2. तारों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए मीटरों का संस्थापन (आकृति 2.3)

आकृति 2.2 चोरी रोकने के लिए विद्युतरोधक लाईन

आकृति 2.3 पोल पर मीटर (चोरी रोकने के लिए)

### 2.4.1.5 स्थानीय रोजगार में बढ़ोतरी

प्रैंचाइज तंत्र स्थानीय रोजगार तथा कारोबार अवसरों को सृजित करने में सक्षम बना है । सभी प्रैंचाइजी गैर-उद्यमी स्थान पर कार्यरत हैं तथा औसतन प्रत्येक प्रैंचाइजी ने लाईन रखरखाव के छोटे कार्य सहित विभिन्न समनुदेशित गतिविधियों के लिए लगभग 3 से 5 लोगों को रोजगार दिया हुआ है ।

### 2.4.1.6 उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि

प्रैंचाइज तंत्र के अंतर्गत उपभोक्ता की संतुष्टि में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। कारण यह कि पहले उपभोक्ताओं को यूटिलिटी से समय पर बिल नहीं मिल पाते थे ।

- उपभोक्ता अब गांव में ही प्रैंचाईजी कार्यालय में बिल का भुगतान कर सकते हैं ।
- उपभोक्ताओं को एक अच्छी सेवा भी मिली है क्योंकि प्रैंचाईजी लाईट जाने तथा अन्य छोटी-2 सेवा संबंधी शिकायतों की तुंत सुनवाई करते हैं ।
- यद्यपि विद्युत कटौती में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं ने विद्युत आपूर्ति के लगभग 8 से 12 घंटे तक होने की शिकायत की, किंतु वे प्रैंचाइजियों के कार्य से संतुष्ट थे

तथा वे चाहते थे कि प्रमुख लाईन रखरखाव सहित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व फ्रैंचाइजिंयरों को सौंपा जाना चाहिए ।

### 2.4.2 विफलताएं तथा सीमाएं

हालांकि क्षेत्र में प्रैंचाइजी समग्र रूप से अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं, किन्तु तंत्र की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नवत हैं :

- यूटिलिटी द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रैंचाइजी के विफल होने का मुख्य कारण उसका इस गतिविधि में अंशकालिक रूप में भागीदारी करना था । इसके अतिरिक्त, उसके क्षेत्र के गांव वालों की आय कम होने से वसूली बहुत कम थी । साथ ही, प्रैंचाईजी गांववालें द्वारा बिजली की चोरी रोकने में असमर्थ साबित हुआ, जिसका कारण संभवत: , नियुक्ति से पूर्व उसे कोई तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया गया । उपरोक्त सभी घटकों के साथ एक सीमित कार्य क्षेत्र (इनपुट आधारित मॉडल) से संभवत:, उद्यमी को अन्यथा विश्वास हो गया था, तथा वह इस व्यवस्था को एक सतत व्यवसाय के अवसर के रूप में नहीं देख सका ।

- दमोह जिले में केवल एक ही वितरण केंद्र (नोहटा) है जहां पर प्रैंचाईजी अपने निजी रूप में रूचि लेकर कार्य करते हैं तथा सहायक इंजीनियर प्रयास करते है। ऐसा किसी अन्य वितरण केंद्र पर देखने को नहीं मिलेगा।

- इसके अलावा, यहां आर ई सी प्रैंचाईजी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रैंचाइजियों का क्षमता विस्तार नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें लाइनमैन के साथ मामूली सी ट्रेंनिंग दी गई जिसमें मीटर पठन, छोटी-मोटी मरम्मत एवं रखरखाव शामिल हैं ।

- हाल में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को हिसाब किताब रखने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया । इसलिए, उनके अभिलेख का अधिकांश रखरखाव यूटिलिटी के संबंधित सहायक इंजीनियर को संभालना पड़ता है । इसमें यूटिलिटी द्वारा प्रैंचाइजी को उत्तरदायित्व सौंपे जाने से पूर्व, उनको उपयुक्त प्रशिक्षण देने और रवैया बदलने की आवश्यकता है ।

- सहायक इंजीनियरों को नये कनैक्शनों को जारी करने तथा मौजूदा कनैक्शनों के संचालन एवं रखरखाव के लिए विभिन्न यूटिलिटी के गोदामो से मीटर, विद्युतरोधक तार, वितरण बॉक्स आदि जैसी आवश्यक सामग्री के प्राप्त करने में बहुत मुश्किल आई ।

- प्रैंचाइजियों को सिर्फ एक ट्रंसफार्मर दिया गया जिसकी वजह से वे अपना नेटवर्क नहीं बढ़ा सके तथा राजस्व और आमदनी बढ़ाने में असमर्थ रहे । दूसरे अर्थ में प्रैंचाइजी प्रणाली दीर्घ अवधि तक चलने योग्य नहीं है ।

## 2.5 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण

नोहटा वितरण केन्द्र स्थित सभी प्रैंचाइजी गांवों में कुछ सामान्य परेशानियां हैं जिनकों निम्न प्रकार से हल किया जा सकता है ताकि प्रैंचाइजी की धारणीयता सुनिश्चित की जा सके :

- खुला टेंडर जारी किया जाना चाहिए ।
- प्रैंचाइजी को सभी मीटरों (चालू अथवा खराब) का सत्यापन तथा जांच करनी चाहिए । उनको 100 प्रतिशत बिलिंग तथा कुशल वसूली प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए । चोरी रोकने के लिए उन्हें मीटरों की सील की उपयुक्त जांच करनी चाहिए ।
- वितरण क्षतियों को कम करने के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाए ।
- प्रस्ताव किया जाता है कि क्षतियों को कम करने तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को और भरोसेमंद बनाने के लिए के लिए नेटवर्क में पूंजी निवेश किया जाए ।
- अधिक लाभ के लिए प्रैंचाइजी को सभी 11 के वी फीडरों को शामिल करते हुए एक वितरण केंद्र अथवा वितरण केंद्र के आधार पर एक विस्तृत क्षेत्र दिया जाना चाहिए ।

---

## अध्याय 3 नगांव – असम

---

### 3.1 पृष्ठभूमि

विद्युत अधिनियम 1948 के तहत असम राज्य में असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए एस ई बी) की स्थापना 1958 में हुई । असम राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी था । असम राज्य विद्युत बोर्ड से सेवा प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या (औद्योगिक – उपभोक्ताओं को छोड़कर) दस लाख से अधिक थी, जिसका 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में था । 2004 में असम राज्य विद्युत बोर्ड पाँच कंपनियों में बंट गया, जिनका पुनर्गठन उत्पादन, संचारण तथा वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के रूप में हुआ । असम राज्य विद्युत बोर्ड की पुन: संरचना के उपरांत निचली असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (एल ए ई डी सी एल) ऊपरी असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (यू ए ई डी सी एल) तथा केंद्रीय असम विद्युत वितरण कंपनी लि. (सी ए ई डी सी एल) के रूप में तीन डिस्कॉम कंपनियों का गठन किया गया (आकृति 3.1 तथा सारणी 3.1 एवं 3.2) ।

आकृति 3.1 : असम में डिस्कॉम का नियंत्रित क्षेत्र

**सारणी 3.1 असम में डिस्कॉम प्रोफाईल**

| डिस्कॉम | उप प्रभागों की संख्या | कर्मचारियों की संख्या | उपभोक्ताओं की संख्या | संयोजित कुल भार (मेगावॉट) | टी एवं डी क्षति (% में) |
|---|---|---|---|---|---|
| यू ए ई डी सी एल | 41 | 3378 | 3,56,883 | 710 | 37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| एल ए ई डी सी एल | 58 | 4427 | 5,27,850 | 935 | 31 |
| सी ए ई डी सी एल | 51 | 3721 | 3,99,082 | 638 | 89 |

स्रोत : असम राज्य विद्युत बोर्ड 2006

**सारणी 3.2 : असम में डिस्कॉम की बिलिंग कुशलता तथा राजस्व की औसतन वसूली**

| डिस्कॉम | बिलिंग कुशलता | बिलिंग प्रतिशत | ऊर्जा भारित-उच्चतम भार (एम यू) | ऊर्जा बिल (एम यू) | औसतन राजस्व वसूली (रूपये/कि. वा. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| यू ए ई डी सी एल | 58% | 94 | 85.11 | 49.69 | 2.62 |
| एल ए ई डी सी एल | 66% | 89 | 100.01 | 65.60 | 2.78 |
| सी ए ई डी सी एल | 60% | 91 | 69.27 | 41.28 | 2.85 |

स्रोत : असम राज्य विद्युत बोर्ड, 2005

राष्ट्रीय ग्राम विद्युतीकरण नीति 2004 के अनुसार 2012 तक सभी घरों में विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, असम सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण नीति 2005 तैयार की । राज्य में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए लक्ष्यों तथा उद्देश्यों, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, को प्राप्त करने के लिए नीति में अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों को शामिल किया गया है:-

- एक अत्यधिक कारगर ग्रामीण विद्युत वितरण तंत्र की स्थापना हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए ।
- असम के सभी ग्रामीण आवासों में विद्युत पॉवर सुगमता से पहुंचाने को सुकर बनाने के लिए ।
- गांवों तथा पुरवों सहित सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के दायित्व से निपटने में असम सरकार को सक्षम बनाना ।
- सभी नागरिकों को निरंतर तथा आर्थिक व्यवहार्य आधार पर बिजली उपलब्ध कराना ।
- संचालन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व तथा लागत वसूली की जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु यूटिलिटी द्वारा पंचायत, स्थानीय अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों तथा फ्रैंचाईजी इत्यादि के साथ उपयुक्त व्यवस्था करना।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन नीति 2005 के उद्देश्यों को अनुकूल बनाने हेतु राज्य में एजेंटों/फ्रैंचाइजियों के जरिए एकल प्वाइपट विद्युत आपूर्ति (एस पी पी एस) योजना शुरू की गई ताकि ग्रामीण जनता को अच्छी विद्युत सेवा मिल सके, घाटा कम हो, चोरी से बचाव, उचित बिलिंग तथा वसूली हो सके । साथ ही, डिस्कॉमों के लिए यह एक व्यापारिक प्रस्ताव बन सके । एस पी एस एस आगत आधारित फ्रैंचाइज मॉडल का अनुसरण करता है , जिसे 2003 में दिगबोई प्रभाग के तहत मार्गहरिता विद्युत उप-प्रभाग में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था तथा जिसमें 5 वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी) के तहत क्षेत्रीय आवासों को शामिल किया गया । प्रायोगिक परियोजना से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर 16 के वी ए से 100 के वी ए रेंज के वितरण ट्रंसफार्मरों के साथ कुल 22 गांवों को उसी उप-प्रभाग में ले लिया गया । असम राज्य विद्युत बोर्ड ने बताया कि अगस्त 2004 से जनवरी 2005 तक 18 महीनों की अवधि के दौरान 1100 ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से रूपये 11.81 लाख की राशि प्राप्त की गई, जबकि इन 22 गांवों में पिछली व्यवस्था के जरिए प्राप्त की गई यह राशि केवल रूपये 4.27 लाख थी । चूंकि प्रतिक्रिया अच्छी थी तथा इससे असम राज्य विद्युत बोर्ड के लिए राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई, इसलिए इस योजना को पूरे असम राज्य में लागू कर दिया गया(आकृति 3.2 तथा 3.3) ।

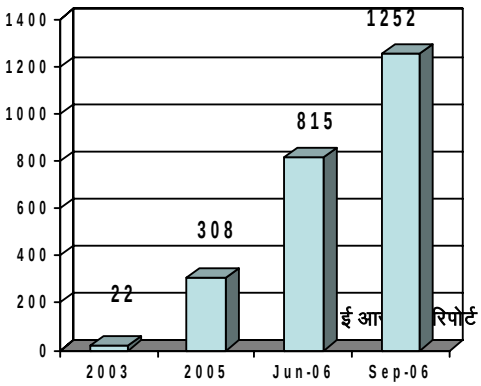


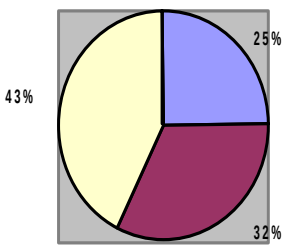

**आकृति 3.2 : असम में प्रैंचाइज्ड़ वितरण ट्रंसफार्मरों की संख्या**

**आकृति 3.2 ख : डिस्कॉमों के तहत प्रैंचाइज्ड़ वितरण ट्रंसफार्मरों की संख्या**

2

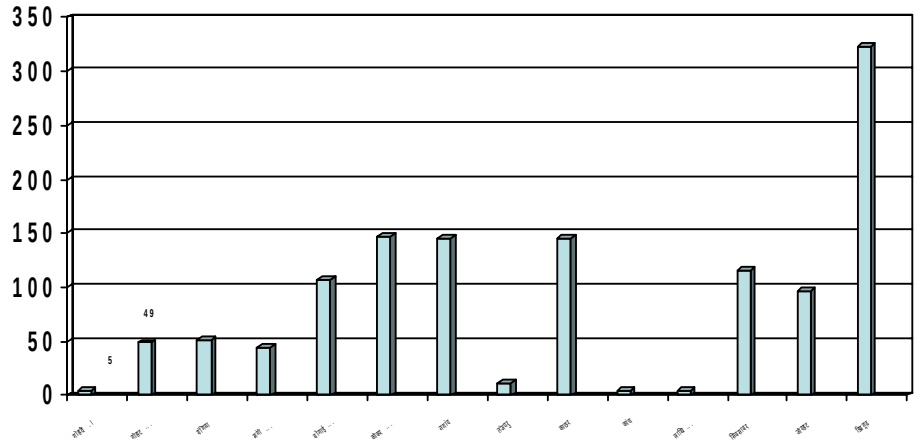


अगस्त – 05 सितंबर – 06

**आकृति 3.3 : असम में विभिन्न विद्युत सर्किलों के तहत प्रैंचाईजड़ वितरण ट्रंसफार्मरों की संख्या**

---

## 3.2 अध्ययन क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल

विद्युत वितरण सर्किल (ई डी सी), नगांव ने केंद्रीय असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत दो जिलों अर्थात् नगांव तथा मॉरीगांव में विद्युत वितरण किया है । नगांव ज़िले में दो विद्युत वितरण प्रभाग (ईडीसी) हैं जो जिले में विद्युत वितरण के लिए उत्तरदायी हैं । जिले में से 1375 गांवों में से 74% विद्युतीकृत, 13% विद्युत विहीन तथा 13% अविद्युतीकृत हैं (सारणी 3.3) । डिस्कॉम के अनुसार दिसंबर 2006 में जिले के अंतर्गत ए टी एण्ड सी की औसत क्षति 30.76% थी ।

सारणी 3.3 : नगांव ज़िले में विद्युतीकरण की स्थिति (नवंबर 2005 तक)

| राजस्व सर्किल | गांवों की संख्या | पहले से विद्युतीकृत गांव | | कुल | अविद्युतीकृत गांव |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विद्युतीकृत | विद्युत विहीन | | |
| कालियाबोर | 209 | 154 | 18 | 172 | 37 |
| सामागुडी | 138 | 106 | 11 | 117 | 21 |
| रूपाही | 107 | 77 | 23 | 100 | 7 |
| डींग | 100 | 70 | 26 | 96 | 4 |
| नगांव | 158 | 126 | 14 | 140 | 18 |
| राहा | 127 | 75 | 37 | 112 | 15 |
| कांपूर | 135 | 92 | 22 | 114 | 21 |
| होजाई | 184 | 152 | 16 | 168 | 16 |
| लंका | 217 | 162 | 19 | 181 | 36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| योग | 1375 | 1014 | 186 | 1200 | 175 |

स्रोत : मुख्य महा प्रबंधक (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन) ए एस ई बी 2006

नगांव जिले में भी असम के अन्य सभी जिलों के समान आगत आधारित प्रैंचाइज मॉडल को अपनाया जा रहा है । दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है कि तंत्रों के लिए कार्य का क्षेत्र (क) फीडरों सहित उप प्रभाग से अथवा (ख) तथा वितरण ट्रंसफार्मरों से परे होगा । हालांकि, वर्तमान में केवल वितरण ट्रंसफार्मरों (डीटी) को प्रैंचाईजिंग के लिए यूनिट के रूप में माना गया है । योजना के तहत, वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) के छोर पर, एल टी (लो टेंशन) लाईन पर, एक तीन फेस का स्टेटिक मीटर लगाया गया है (आकृति 3.4) । अकेले डी टी के द्वारा पूरे गांव को कवर किया गया है अथवा गांव को कुछ वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी) द्वारा कवर किया गया है । योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है तथा योजना में अर्हता ते लिए एक क्षेत्र विशेष में न्यूनतम संबद्ध भार का 80% घरेलू भार होना चाहिए । अधिकतम 250 के वी ए के वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी) को प्रैंचाइजियों के सुपुर्द कर दिया गया है । प्रैंचाईजियों को एस पी एस एस एजेंट कहा जाता है तथा उन्हें उपभोक्ताओं (घरेलू तथा व्यावसायिक) को बिल देने, राजस्व उगाही तथा एल टी लाईन के हल्के मरम्मत कार्य को निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है ।

नगांव के विद्युत वितरण सर्किल (ई डी सी) का उप महाप्रबंधक (डी जी एम) प्रैंचाइज तंत्र के लिए नोडल अधिकारी है तथा वह जिले में प्रैंचाइज तंत्र के समस्त कार्यो के लिए उत्तरदायी है । वर्तमान में कुल 40 प्रैंचाइजी जिले में सक्रिय हैं तथा 16 के वी ए से 250 के वी ए के बीच रेंज की क्षमता वाले 113 वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी) की व्यवस्था संभाल रहे हैं (संलग्नक-1 देखें)

आकृति 3.4 : एस पी एस एस तंत्र के अंतर्गत ट्रंसफार्मर पर संस्थापित विद्युत मीटर

### 3.2.1 चयन प्रक्रिया

राज्य में प्रैंचाइजी व्यक्तिगत उद्यमी, उपभोक्ता संघ गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां अथवा पंचायत संस्थान हो सकते हैं । राज्य में एस पी पी एस योजना के तहत उत्साहित उद्यमियों, समितियों, उपभोक्ता संघों आदि को प्रैंचाइजी बनने के लिए राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में दोनों भाषाओं अंग्रेजी (द असम ट्रिब्यून) तथा असमी (दैनिक अग्रदूत) में विज्ञापन प्रकाशित किया गया । विज्ञापन सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित हुआ था तथा सभी संपर्ककर्ता प्रैंचाइजियों ने ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान (टी ई आर आई) के दल को बताया कि समाचार-पत्र में विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने डिस्कॉम से संपर्क किया । हालांकि, प्रैंचाइजी तथा डिस्कॉम ने टी ई आर आई दल को उव्त विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं कराई । विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया कि इच्छुक व्यक्ति आवेदन के लिए संबंधित डिस्कॉम से संपर्क कर सकते हैं । प्रैंचाइज चयन के लिए इसमें न तो कोई प्रतियोगिता बोली (बिडिंग) थी और न ही कोई कठोर चयन अपनाया गया । यद्यपि, चयन किए जाने से पूर्व प्रैंचाइज तंत्र में आवेदक की रूचि का पता लगाने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए । चूंकि, प्रैंचाइज तंत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या कम थी, इसलिए प्रैंचाइजियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुन लिया गया। नगांव जिले में आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में व्यक्ति विशेष, फर्म तथा गैर सरकारी संगठन, जो वर्तमान में एस पी एस एस एजेट के रूप में कार्यरत हों, प्रैंचाइजी के कार्य के लिए पूर्णतया उपयुव्त जान पड़े ।

### 3.2.2 कार्य क्षेत्र

प्रैंचाईजियों के लिए कार्य क्षेत्र में सभी परिक्षेत्रों-विद्यमान तथा प्रत्याशित, का विवरण तैयार करना, उपभोक्ता के बारे में आंकड़े रखने के लिए बुनियादी सुविधाएं रखना , नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं के विद्युत बिल तैयार तथा वितरित करना और उपभोक्ताओं से राजस्व उगाही करना शामिल है । प्रैंचाइजी को विद्युत प्रचुर मात्रा में वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) के छोर पर एल टी लाईन पर प्राप्त होती है तथा प्रैंचाइजी, निर्धारित ऊर्जा शुल्क तथा स्थायी शुल्क के आधार पर डिस्कॉम को मासिक भुगतान करते हैं । कार्य क्षेत्र में नये कनैक्शनों को सरल बनाना, डिस्कॉम के आरूप के अनुसार उपभोक्ता खाते का रखरखाव करना, डिस्कॉम को मासिक खाता पत्रक की एक प्रति प्रस्तुत करना, फ्यूज ऑफ कालों की सुनवाई करना, जरूरत होने पर कनैक्शन काटना तथा पुन: कनैक्शन लगाना तथा डिस्कॉम को सूचित करना तथा उनके संचालन क्षेत्र में बिजली के अनधिकृत उपयोग को रोकना भी शामिल है ।

डिस्कॉम के कार्य क्षेत्र में प्रैंचाइजी के क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध कराना, प्रमुख एल टी लाईन का रखरखाव करना, वितरण ट्रंसफार्मरों/उप स्टेशनों का रखरखाव करना, प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र में प्राथमिकता आधार पर नए सेवा कनैक्शन उपलब्ध कराना, प्रैंचाईजी आगत प्वाइंट पर विद्युत आपूर्ति करना तथा मीटर संस्थापित करना, भुगतान के लिए प्रैंचाइजी को मासिक रूप से बिल देना तथा क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को प्रैंचाइजी के उत्तरदायित्वों से अवगत कराना भी शामिल है ।

असम में एसपीपीएस योजना के मुख्य प्वाइंट

| | | |
|---|---|---|
| ऊर्जा शुल्क | = | रूपये 2.55/- कि. वाट की दर से |
| निर्धारित शुल्क | = | रूपये 30.00/- संबद्ध भार कि.वा. की दर से |

### 3.2.3 एजेंटों को लाभ

- अनुज्ञेय एल टी लाईन क्षति = 10%
- अनुमत कमीशन/लाभ = 15%
- एल टी लाईन रखरखाव लागत भत्ता = 2%
- नियत तिथि तक पूरा भुगतान करने पर 3% की छूट
- एजेंट के द्वारा संसाधित प्रत्येक नये उपभोक्ता पर रूपये 100/- का नकद प्रोत्साहन

### 3.2.4 जुर्माना

- नियत तिथि तक भुगतान न किए जाने पर 3% की छूट नहीं मिलेगी ।
- नियत तिथि तक बिलों का भुगतान न करने पर 1.5% की दर से अधिभार वसूली होगी ।

### 3.2.5 क्रेंद्रीय असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सी ए ई डी सी एल) के प्रमुख उत्तरदायित्व

- प्रत्येक वितरण ट्रंसफार्मर (डीटी) के लिए करार करना जिसमें डी टी नंबर, रेटिंग, डी टी स्थान तथा फीडर का नाम स्पष्ट रूप से इंगित करना ।
- निर्धारित तिथि पर मीटर पठन दर्ज करना तथा प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक एस पी पी एस एजेंट को डी टी वार बिल पहुंचाना ।
- प्रत्येक माह एस पी एस एस एजेंट के खाते तथा उसके द्वारा तैयार बिल की जांच करना ।
- 2 महीनों की अनुमानित खपत के आधार पर प्रत्येक डी टी की ।
- लोड प्रतिभूति का मूल्यांकन करना ।
- चालू संबद्ध भार के आधार पर प्रत्येक तीन माह में प्रतिभूति जमा लोड का पुनर्विलोकन करना ।
- टैरिफ के संशोधन की स्थिति में लोड प्रतिभूति को संशोधित करना ।

. बकाया बिलों के संचयन से बचने के लिए एस पी पी एस एजेंट के निष्पादन को मानीटर करना ।

. चूककर्ता उपभोक्ताओं के कनैक्शन काटने में एस पी पी एस एजेंट की सहायता करना ।

. एजेंट को सुपुर्द करने से पूर्व एस पी पी एस एजेंट को उपभोक्ताओं से बकाया बिलों की उगाही के लिए प्रेरित करना ।

. ए ई आर सी टैरिफ आदेश के अनुसार डिस्कॉम द्वारा रखी गयी प्रतिभूति के समक्ष एस पी पी एस एजेंट को प्रति वर्ष 5% की दर से ब्याज देना ।

. एजेंट के अंतर्गत उपभोक्ताओं का आकस्मिक सर्वेक्षण करना ताकि एजेंट द्वारा दिए गए किसी अनधिकृत कनैक्शन की जांच हो सके ।

### 3.2.6 प्रैंचाइजी के प्रमुख उत्तरदायित्व

. मीटर तथा मीटर के उपकरणों को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व ।

. एल टी वितरण नेटवर्कों का रखरखाव करना ।

. अनधिकृत सेवा कनैक्शन/कुंडी को हटाना ।

. संबंधित उप-प्रभाग के अनुमोदन से चूककर्ता उपभोक्ताओं के कनैक्शन काटना ।

. नियमित रूप से प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर पठन करना ।

. ए ई आर सी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार बिल तैयार करना तथा बांटना ।

. प्रत्येक माह संबंधित एस डी ई को खाते की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना ।

. एस डी ई/एस एम आर/डी ए ओ को जांच के लिए आवधिक रूप से खाता प्रस्तुत करना ।

. प्रत्याशित नए उपभोक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में डिस्कॉम की सहायता करना तथा तत्पश्चात नकद प्रोत्साहन लेने के लिए कनैक्शन जारी करना ।

. छूट प्राप्त करने हेतु उप-प्रभाग द्वारा प्रेषित बिल का नियमित रूप से नियत तिथि तक भुगतान करना ।

. एजेंट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत डी टी, मीटर उपकरण, एच टी तथा एल टी नेटवर्क में हुई किसी खराबी/क्षति के संबंध में तुंत संबंधित उप-प्रभाग को रिपोर्ट करना ।

### 3.2.7 प्रैंचाइजी को कमीशन तथा प्रोत्साहन

प्रैंचाइजी को डी टी मीटर की बिल राशि का 15% लाभ/कमीशन के रूप में रखने तथा एल टी नेटवर्क का रखरखाव करने के लिए डी टी मीटर बिल राशि का 2% प्राप्त करने की अनुमति है । प्रैंचाइजी डिस्कॉम देय निवल राशि के 3% की छूट भी प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि मासिक बिल का भुगतान देय तिथि तक किया जाए । विलंबित भुगतान के लिए डिस्कॉम को निवल देय राशि का 1.5% अधिभार प्रति माह देना होगा तथा भुगतान न किए जाने पर डिस्कॉम 7 दिनों के नोटिस पर संविदा को समाप्त कर देगा । प्रैंचाइजी द्वारा अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा न कर सकने की स्थिति में, डिस्कॉम प्रति-क्रय का आश्रय ले सकता है तथा करार को दो महीने के नोटिस पर दोनों में से किसी के भी द्वारा, समाप्त कर दिया जाएगा ।

**<u>प्रैंचाईजी का कमीशन नीचे दर्शाये गए विवरणानुसार अनुमानित किया गया है:</u>**

| | | |
|---|---|---|
| घरेलू उपभोक्ताओं का कुल योजित भार (कि.वा.) | : | ए |
| प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र को आपूर्तित कुल ऊर्जा (कि.वा) | : | एक्स |
| वितरण क्षति 10% घटाएं (कि.वा.) | : | 0.1 एक्स |
| विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा (कि.वा) | : | 0.9 एक्स |
| प्रैंचाइजी द्वारा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिल में ऊर्जा (कि.वा.) | : | वाई |
| घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खपत ऊर्जा (कि.वा) | : | जैड=/0.9 एक्स-वाई) |
| घरेलू उपभोग के लिए ऊर्जा बिल राशि (रूपये) | : | एफसीडी।ए+जैड।<br>ई सी डी=बी |
| अन्य श्रेणियों के उपयोग के लिए दिया गया ऊर्जा बिल (रूपये) | : | सी |
| प्रैंचाइजी को डिस्कॉम द्वारा दिए गए बिल की कुल राशि | : | डी=बी+सी |
| डिस्कॉम को प्रैंचाइजी द्वारा देय विद्युत शुल्क (रूपये) | : | 0.05(एक्स-वाई)<br>= एफ |
| डिस्कॉम को प्रैंचाइजी द्वारा देय विद्युत शुल्क(रूपये) | : | डी का 15%=<br>0.15 डी |
| प्रैंचाइजी को स्वीकृत रखरखाव लागत (रूपये) | : | डी का 2%=0.02<br>डी |
| विद्युत शुल्क तथा मीटर किराया छोड़कर डिस्कॉम को को प्रैंचाइजी द्वारा देय धनराशि (रूपये) | : | 0.83 डी=ई |
| प्रैंचाइजी द्वारा डिस्कॉम को देय निवल राशि(रूपये) | : | ई+एफ+जी |

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| एफसीडी | - | घरेलू श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क | : | रूपये 30/कि.वा. |
| ईसीडी | - | घरेलू श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क | : | रूपये 2.55/कि.वा |
| जी | - | प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता से वसूल मीटर किराये की कुल राशि | | |

टिप्पणी: भुगतान की देय तिथि के अंतर्गत पूरा भुगतान करने के लिए ई (निवल राशि डिस्कॉम को देय) पर 3% की छूट स्वीकार्य है ।

डी टी पर मीटर पठन के आधार पर तैयार नहीं किए गए बिल 2% रखरखाव लागत भत्ता तथा समय पर भुगतान की 3% छूट के पात्र नहीं है ।

## 3.3 विद्यमान मॉडल में अनुभव

### 3.3.1 उपभोक्ता प्रतिक्रिया

लक्ष्य किए गए गांवों में एफजीडी (विशिष्ट उद्देश्य वाली समूह चर्चा) के दौरान सर्वेक्षण किए गए कुल उपभोक्ताओं में से, अधिकांश ने कहा कि उन्हें असम में एसपीपीएस व्यवस्था के संबंध में जानकारी है लेकिन उन्होंने प्रैंचाईजी तंत्र के बारे में नहीं सुना है प्रत्यर्थियों ने ऊर्जा संसाधन संस्थान (टी ई आर आई) के दल को सूचित किया कि 'एजेंट' मीटर पठन, बिल वितरण छोटी एल टी लाईन रखरखाव में व्यस्त हैं तथा वर्तमान में उपभोक्ता अपने बिलों की अदायगी एजेंट के कार्यालय में कर रहे हैं । यद्यपि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का प्रैंचाइजी की भूमिका के संबंध में विभिन्न मत था तथा प्रैंचाइजी से उनकी प्रत्याशाओं में भी भिन्नता थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो तंत्र से नाखुश हो तथा सभी तंत्र को बरकरार रखना चाहते थे । उनसे पूछने पर कि गांव में प्रैंचाइज तंत्र के शुरू होने से पूर्व डिस्कॉम द्वारा कोई बैठक आयोजित की गई तो केवल 14.29% लोगों ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा बताया कि नये तंत्र तथा एजेंटों की भूमिका के संबंध में कुछ गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए । सर्वेक्षण

के दौरान यह भी पाया गया कि क्षेत्र के लगभग 98% घरों में मीटर लगे हुए हैं तथा उनमें से ज्यादातर मीटर इलेक्ट्रॉनिक हैं । उपभोक्ताओं ने पॉवर-शेडिंग की पुरानी समस्या के संबंध में शिकायत की तथा बताया कि उन्हें प्रतिदिन 12 से 15 घंटे तक ही सप्लाई प्राप्त होती है ।

### 3.3.2 राजस्व पर प्रभाव

राज्य में घरेलू तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए मासिक बिल चक्र प्रक्रिया अपनायी गयी है । डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि प्रैंचाइजियों के संचालन क्षेत्रों में मासिक औसतन राजस्व उगाही (ए आर आर) में वृद्धि हुई है, हालांकि राजस्व वसूली में और अधिक बढ़ोतरी किए जाने की अभी गुंजाईश है । प्रैंचाइजियों के संस्थापन से पूर्व प्रति माह का औसत राजस्व रूपये 4,99,388 था जो दिसंबर 2006 में प्रैंचाइजियों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे 113 डी टी के लिए बढ़कर रूपये 9,76,142 हो गया, जिसमें लगभग 95% वृद्धि को आंका गया (संलग्न 1 देखें) । दिसंबर 2006 के लिए डिस्कॉम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जिले में औसत बिलिंग कुशलता (नेटवर्क में दी गई ऊर्जा से बिल में दर्शाई गई ऊर्जा का अनुपात) 42.27% से 76.67% हो गई, जबकि सर्वेक्षित क्षेत्र में औसतन बिलिंग कुशलता 81.83% पायी गयी । एस पी एस एस तंत्र के अंतर्गत बिलिंग का प्रतिशत (उपभोक्ताओं की कुल संख्या से बिल भेजे गए उपभोक्ताओं की संख्या का अनुपात) तकरीबन शतप्रतिशत था, जबकि जिले का औसतन प्रतिशत (प्रैंचाइज्ड़ तथा गैर-प्रैंचाइज्ड़ दोनों क्षेत्रों पर विचार करते हुए) लगभग 96% था । इसके अलावा, प्रैंचाइज तंत्र के शुरू होने के उपरांत प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्रों में चालू बिल तथा बकाया बिल की वसूली में भी बढ़ोतरी हुई है । एस पी पी एस योजना ने डिस्कॉम द्वारा वहन की जा रही उपरिलागत, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने के लिए वाहन तथा इपधन की लागत, कनैक्शन काटने/पुन: कनैक्शन देने का शुल्क, लाईन रखरखाव लागत, चोरी-रोधी अभियान आदि, में भी कमी आई है जिससे डिस्कॉम की समग्र राजस्व बढ़ोतरी में सहायता मिली ।

राजस्व में बढ़ोतरी के पीछे प्रेरक घटकों में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रैंचाइज के कार्यालय में बिलों को जमा करना, गांवों में प्रैंचाइजी द्वारा उपभोक्ता शिविरों का आयोजन करना तथा बकाया राशि की वसूली हेतु प्रैंचाइजी द्वारा व्यापक अभियान चलाना है । कई बार तो प्रैंचाइज का स्टाफ भी राजस्व वसूली के लिए उपभोक्ताओं के घर दौरा करता हैं । प्रैंचाईजी ने रूचि दिखलाई । जिले में सभी उपभोक्तओं पर विचार करते हुए खराब मीटर का प्रतिशत लगभग 5.53% है, जबकि प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र में यह 2.58% है । इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रैंचाईजी ने अपने क्षेत्र में अधिकांश इलेक्ट्रो-मेकेनिकल मीटरों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक मीटरों को लगा दिया था ।

डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराई गई आधार सामग्री के अनुसार ग्रामीण, शहरी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं सहित नगांव जिले में सभी उपभोक्तओं के लिए आपूर्ति की गई विद्युत हेतु औसत राजस्व उगाही (ए आर आर) रूपये 2.6 प्रति कि.वा. है । सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र में औसत राजस्व उगाही रूपये 2.4 प्रति कि.वा. है जिसमें केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं पर विचार किया गया है । चूंकि प्रैंचाइजी व्यवस्था शुरू होने से पूर्व, डिस्कॉम ग्रामीण उपभोक्ताओं से संबंधित औसतन राजस्व उगाही (ए आर आर) के आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सकते थे, इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका । हालांकि, ऊपर बताए गए दो औसत राजस्व उगाही (ए आर आर) मूल्यों के बीच का मामूली अंतर यह दर्शाता है कि डिस्कॉम पूरे जिले में शहरी तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की तुलना में प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र के ग्रामीण उपभोक्तओं को प्रति कि.वा. के लिए विद्युत की बिक्री लगभग समान रूप से कर रहा था ।

### 3.3.3 उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि

प्रैंचाइजियों के क्षेत्रों में अनधिकृत कनैक्शनों की जांच करने में तथा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने में प्रैंचाइज्ड़ तंत्र बहुत सफल रहा है । सर्वेक्षण से पता चला कि प्रैंचाइज्ड़ क्षेत्र के लगभग 87% उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । सर्वेक्षण से पाया कि कुछ गांवों में अनधिकृत कनैक्शनों की रेंज कुल उपभोक्ताओं (अधिकृत तथा अनधिकृत)के मुकाबले 10% से 30% थी । प्रैंचाइजी अनधिकृत कनैक्शनों को कम करने में तथा निरंतर अभिप्रेरण द्वारा उनको नियमित कनैक्शन में परिवर्तित करने में सक्षम रहे । हालांकि, यह पता चला कि प्राय: कुछ आवासी तारों पर कुंडी डालते हैं किंतु ऐसे लोगों की

संख्या कुल उपभोक्ताओं की संख्या के 1 से 2% तक सीमित रही । डिस्कॉम से प्राप्त आंकड़े यह इंगित करते हैं कि जिले में एस पी एस एस योजना के अंतर्गत प्रैंचाइज तंत्र के शुरू होने के उपरांत जनवरी 2007 तक उपभोक्ताओं की संख्या में लगभग 16% बढ़ोतरी हुई है ।

सर्वेक्षण के दौरान, पाया गया कि प्रैंचाइजी गांववालों को कनैक्शन नियमित कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा सभी श्रेणी (ए पी एल, बी पी एल, एस सी इत्यादि) के उपभोक्ताओं को प्रस्ताव दे रहे हैं । कनैक्शन के नियमितीकरण तथा एजेंटों के ऑपरेशन में जो मुख्य परेशानी है वह डिस्कॉम के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ की ओर से दिखाई देती है क्योंकि वे बहुत से मामलों में एजेंटों को पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

### 3.3.4 सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव

प्रैंचाइज तंत्र से जिले में स्थानीय रोजगार तथा व्यवसाय के अवसर भी बढ़े हैं । सभी प्रैंचाइजियों ने अपने कार्यालय को ब्लॉक मुख्यालय/शहरी स्थान के आस-पास अथवा संचालन क्षेत्र वाले गांवों में स्थापित किया है (आकृति 3.5) । साथ ही, कुछ प्रैंचाइजियों (सर्वेक्षण किए गए 13 प्रैंचाईजियों में से 4) ने अपने कारोबार के प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुकर बनाने के लिए अपने कार्यालयों में कंप्यूटर लगाए है । ये प्रैंचाइजी सभी बिल तथा आधार सामग्री के प्रबंधन संबंधी कार्य कंप्यूटरों पर करते हैं । लगभग सभी प्रैंचाइजी मीटर पठन, बिल वसूली, विद्युत चोरी की जांच, फ्यूज ऑफ कॉल तथा एल टी लाईन रखरखाव के लिए स्थानीय युवकों को भर्ती कर रहे हैं । प्रैंचाइजी से जुड़े गांव के युवकों को पहचान-पत्र भी दिए गए हैं जिससे गांव के युवकों के बीच उनका सम्मान बढ़ा है । इसके अलावा, जैसा कि करार में निर्दिष्ट है, आई टी आई से प्रशिक्षित लोगों को प्रैंचाइजी की नफ़री में रखा जाए तथा प्रैंचाइजी ने तकनीकी कार्य के लिए बहुत से आई टी आई प्रशिक्षित युवकों को आमेलित किया है । सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी प्रैंचाइजियों ने मीटर पठन तथा बिल वितरण के लिए कर्मचारियों को तथा लेखा-जोखे का हिसाब रखने के लिए लेखा स्टॉफ को नियुक्त किया है । यह देखा गया कि प्रैंचाइजियों ने लाईन रखरखाव कार्य सहित विभिन्न कार्यों के लिए 3 से 12 लोगों को नियुक्त किया हुआ है । प्रत्येक प्रैंचाइजी की औसत स्टाफ संख्या 4 है जबकि प्रत्येक वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) पर स्टाफ सं. 1 से 2 व्यक्ति देखी गयी ।

आकृति 3.5 : नगांव जिले में प्रैंचाईजी कार्यालय

सर्वेक्षण किए गए सभी प्रैंचाइजी के लिए प्रैंचाइज उद्यम एक मुख्य आधार बन चुका है, तथापि उनके अन्य व्यवसाय भी हैं । चूंकि प्रैंचाइजी का कार्यभार संभालने के लिए पर्याप्त समय देना अपेक्षित है, इसलिए सर्वेक्षण की गई यूनिटें अपनी अन्य व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान देने में असमर्थ हैं तथा वे इस उद्यम को सफल करने के लिए अधिकाधिक समय दे रही हैं ।

एस पी पी एस योजना के अंतर्गत प्रैंचाइजी से लिया गया परिवर्ती ऊर्जा शुल्क रूपये 2.55 है जबकि प्रैंचाइजी उपभोक्ताओं से नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ़ के अनुसार शुल्क वसूलते हैं । गांव तथा उपभोक्ता की श्रेणी के आधार पर उपभोक्ता मासिक बिल रूपये 50 से रूपये 400 के बीच रहता है । तदनुसार, प्रैंचाइजी की राजस्व वसूली प्रति डी टी रूपये 2000 से अधिकतम रूपये 60,000/- की रेंज तक है । सर्वेक्षित प्रैंचाइजियों के कमीशन की औसत आय प्रति डी टी रूपये 2600/- थी तथा लगभग 5 से 10 डी टी को संचालित कर रहा प्रैंचाइजी लगभग रूपये 10,000 से रूपये 26000 अर्जित कर रहा था । केवल अपवादात्मक मामलों में एक 250 के. वी. ए. डी. टी. के लिए अधिकतम कमीशन रूपये 10,000/- तथा 16 के. वी. ए. डी. टी. के लिए न्यूनतम कमीशन रूपये 1000/- है ।

प्रत्येक प्रैंचाइजी की वितरण तथा राजस्व उगाही में अंतर्निहित लागत भिन्न है । नगर के नजदीक प्रैंचाइज़्ड़ क्षेत्र की लागत कम है जबकि दुर्गम क्षेत्र में लागत अधिक है । दुर्गम क्षेत्रों में रखरखाव लागत इसलिए अधिक है क्योंकि प्रैंचाइजी को तार के संपर्क में आने वाले पेड़ों तथा पत्तियों को कतरना तथा सुधार कार्य बारंबार करना पड़ता है । साथ ही, वितरण लाईन तथा वितरण ट्रंसफार्मर बहुत पुराने हैं जिसमें बार-बार खराबी हो जाती है । उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रैंचाइजी का रखरखाव तथा सुधार कार्य करना अपेक्षित है जिसके लिए सभी प्रैंचाइजियों को 2 से 5 तकनीकी स्टाफ रखना होगा । सर्वेक्षण से पता चला कि प्रैंचाइजी को कमरे के भाड़े, स्टाफ के वेतन तथा लाईन रखरखाव पर प्रतिमाह रूपये 1000 से रूपये 1200 तक का खर्च वहन करते हैं ।

### 3.3.5 उपभोक्ता की शिकायतों में कमी होना

प्रैंचाइजी संस्थापन से पूर्व शिकायत निवारक तंत्र संतोषजनक नहीं था तथा डिस्कॉम और उपभोक्ताओं के बीच संवाद नहीं था, जिसका मुख्य परिणाम उपभोक्ताओं के बिल न भरने की इच्छा के रूप में हुआ तथा गांव से राजस्व न मिलने पर डिस्कॉम मरम्मत कार्य को निष्पादित नहीं कर रहा था। सर्वेक्षण से पता चला कि एस पी एस एस तंत्र के अंतर्गत उपभोक्ता समाधान में पर्याप्त सुधार हुआ है क्योंकि इससे पहले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम से बिल समय पर लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी । प्रैंचाइजियों की संस्थापना पश्चात् उपभोक्ता बिल का भुगतान गांवों के बिल वसूली शिविरों अथवा एजेंट के कार्यालय में भी कर सकते थे।

उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा भी प्राप्त होने लगी, क्योंकि एस पी एस एस तंत्र के अंतर्गत क्षेत्रों में एजेंट फ्यूज ऑफ कॉल तथा सेवा मरम्मत संबंधी शिकायतों की तुंत सुनवाई की जाती है। लगभग 90% उपभोक्ताओं ने बताया कि लाईन रखरखाव तथा फ्यूज ऑफ कॉल मरम्मत में सुधार हुआ है तथा प्रैंचाइज के काम शुरू करने के उपरांत वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) के बारंबार खराब होने में भी कमी आई है । इसके अतिरिव्त मीटर पठन, मरम्मत तथा बिल वसूली का कार्य एक ही व्यव्ति करता है, जिसके फलस्वरूप वह, विशिष्ट कार्य में लिप्त अन्य व्यव्तियों की अपेक्षा, उपभोक्ताओं की इच्छाओं को अधिक जानता है। प्रैंचाइजियों ने अपने कार्य क्षेत्रों में हेल्पलाईन सेवा भी शुरू कर दी है तथा सभी प्रमुख कर्मचारियों को मोबाइल टेलिफोन दे दिए हैं ताकि उपभोक्ता की शिकायत का निवारण कुशलता से हो सके ।

---

## 3.4 परिसीमाएं

### 3.4.1 हितधारकों की क्षमता में विस्तार

सर्वेक्षण किए गए लगभग 80% प्रैंचाइजियों ने बताया कि करार पर हस्ताक्षर के समय डिस्कॉम द्वारा बिलिंग रखरखाव तथा राजस्व वसूली के संबंध में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया । उप प्रभाग कार्यालय के बिल क्लर्क ने अनौपचारिक रूप से प्रैंचाइजी को बिलिंग परिकलन तथा उसके विभिन्न स्लैबों के बारे में बताया था तथा प्रैंचाइजियों ने जो कुछ सीखा तो वो अपने अनुभवों से सीखा है । इसके अलावा, सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि जिन प्रैंचाइजियों को विद्युत व्यवसाय संबंधी कोई पूर्व अनुभव नहीं था अथवा जो तकनीकी क्षति आदि के संबंध में नहीं जानते थे, वे उन प्रैंचाइजी, जिनकों विद्युत ठेकेदार के रूप में अनुभव था, की अपेक्षा इस व्यवसाय में मुश्किल का सामना कर रहे थे । विद्युत वितरण में घाटे की अवधारणा को बहुत से प्रैंचाइजियों को उपयुव्त रूप से स्पष्ट नहीं की गयी तथा इन प्रैंचाइजियों का ये मानना था कि उन्हें बिल राशि का 15% कमीशन मिलेगा तथा वितरण ट्रंसफार्मर का मीटर पठन उपभोक्ता के मीटर पठन के समान होगा । डिस्कॉम द्वारा वितरण क्षति का 10% प्रोत्साहन दिया जाएगा बशर्ते कि वितरण लाईन को पेड़ों आदि के संपर्क तथा अनधिकृत कुंडी कनैक्शनों से निर्बाधित कर दिया जाए । इस प्रकार इन्होंने तंत्र के विद्युत वितरण, घाटे आदि को जाने बिना उद्यम को अपना लिया ।

विद्युत वितरण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर प्रैंचाइजियों की क्षमता विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है । अन्यथा, लंबे समय में योजना असफल हो सकती है अथवा हताहत होने की घटना हो सकती हैं क्योंकि वर्तमान में प्रैंचाइजी लाईन मरम्मत कार्य कर रहे हैं । सर्वेक्षण के दौरान, प्रैंचाइजियों ने बताया कि उनके द्वारा ऑपरेशन शुरू करने के उपरांत मीटर पठन, राजस्व वसूली, बहीखाता लेखन तथा तकनीकी पहलुओं के संबंध में डिस्कॉम द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया । गोहाटी में प्रैंचाइज तंत्र पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जिले के कुछ प्रैंचाइजियों ने भाग लिया । प्रैंचाइजियों ने प्रैंचाइज तंत्र के तकनीकी, वित्तीय तथा व्यावसायिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्रिय रूझान दिखाया ।

डिस्कॉम के अधिकारियों से संपर्क करने से यह भी ज्ञात हुआ कि प्रैंचाइज तंत्र के व्यावसायिक पहलुओं पर कर्मचारियों के क्षमता विस्तार करने की जरूरत है । बहुत से कनिष्ठ अधिकारी, जो प्रैंचाइज तंत्र और उसके कार्य से अनभिज्ञ हैं, की राय थी कि 'एजेंट' बिलों के बकाया वसूली में कार्यरत हैं तथा कुछ वर्षों बाद यह योजना बंद हो जाएगी । इसके अतिरिक्त बहुत से निचले स्तर के तकनीकी स्टाफ की यह मिथ्या धारण भी थी कि उनकी नौकरी दांव पर है तथा यह कदम निजीकरण के लिए उठाया गया है, इसलिए भी वे प्रैंचाइजियों को सहयोग नहीं करना चाहते ।

### 3.4.2 वित्तीय निरंतरता

डी टे स्तर पर फ्रैंचाइजी व्यवस्था लागू करने का निर्धारण डिस्कॉम करता है । यद्यपि यह आगत आधारित प्रैंचाइज तंत्र के लिए ठीक है, फिर भी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए एक प्रैंचाइजी के अंतर्गत वितरण ट्रंसफार्मरों (डी टी) की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए । सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि कुछ मामलों में 1 से 3 वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) प्रैंचाइज्ड व्यवस्था के तहत आ चुके हैं तथा ऐसी व्यवस्था प्रैंचाइजिंग के लिए आर्थिक व्यवहार्य प्रस्ताव प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) के समक्ष उपभोक्ताओं की संख्या सामान्यत: कम है । ऐसे मामलों में प्रैंचाइजी को लगभग रूपये 300 से रूपये 1000 तक कमीशन प्राप्त होता है । इसके अतिरिव्त, कुछ मामलों में एक ही प्रैंचाइजी को विभिन्न स्थानों पर वितरण ट्रंसफार्मर (डी टी) उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि अलग-अलग फीडर में हैं जिससे उनकी उपरिलागत में बढ़ोतरी हुई है । तथापि, प्रैंचाइजी द्वारा वहन की गई लागतें, तकनीकी जनशव्ति का रखरखाव करने तथा अन्य उपरिखर्च के अधिक होने के फलस्वरूप है, जो ऐसे मामलों में प्रैंचाइजी व्यापार को अव्यवहार्य बनाता है ।

### 3.4.3 तकनीकी

प्रैंचाइजियों ने बताया कि एल टी नेटवर्क की क्षति, स्वीकार्य 10% से अधिक है । यद्यपि, प्रैंचाइजियों ने कुंडियों को कम करने तथा बिलिंग और वसूली दर में सुधार करने के द्वारा व्यावसायिक क्षति को कम किया है । वितरण ट्रंसफार्मर के छोर पर एल टी लाईन पर लगा एकल प्वाइपट मीटर के पठन तथा सभी उपभोव्ताओं के संचयी मीटर की तुलना से यह पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए प्रैंचाइजी की औसत वितरण क्षति 18.32 औ है (सारणी 3.4 तथा संलग्नक 2) । उच्च तकनीकी क्षति के मुख्य कारणों में से एक है, वर्षों के दौरान विद्युत भार का सांयोगिक रूप से बढ़ना तथा डी टी से एल टी लाईन की लंबाई को 3 कि. मी. यहां तक कि 5 से 6 कि. मी. तक बढ़ाना है । इसके अतिरिव्त बहुत से मामलों में वितरण नेटवर्क की रचना बहुत खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से भी क्षति में बढ़ोतरी हो रही है (आकृति 3.6) । प्रैंचाइजियों ने यह भी बताया कि वितरण ट्रंसफार्मरों पर भार असंतुलित है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूट्रल तार में विद्युत प्रवाह हो रहा है, जो वितरण क्षति को बढ़ाने में भी सहायक है ।

आकृति 3.6 : वितरण नेटवर्क का एक दृश्य

इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि ज़िले में डी टी मीटरों का अभाव है तथा कुछ मामलों में विशेषकर वितरण ट्रंसफार्मरों में ढींग विद्युत उप प्रभाग मीटर संस्थापित नहीं किए गए हैं । प्रैंचाइजी, उपभोव्ताओं को स्थिर तथा परिवर्ती ऊर्जा लागत और उपभोव्ताओं द्वारा प्रदत्त मीटर किराए पर 15% कमीशन प्राप्त कर रहे हैं । मीटरों की अनुपलब्धता को ऐसी व्यवस्था के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है । यह आगत आधारित प्रैंचाइजी की पूर्ण अवधारणा को खंडित करता है । ढींग उप प्रभाग में सर्वेक्षण किए गए तीन प्रैंचाइजियों ने भी कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि क्षति को कम करना

उनका काम नहीं है तथा उनका कमीशन उपभोक्ताओं को स्थायी एवं परिवर्ती ऊर्जा लागत पर आधारित है ।

सारणी 3.4 : वितरण क्षति का सारांश

| क्रमांक | प्रैंचाईजी | सर्वेक्षित डी टी की संख्या | (% में) औसत क्षति |
|---|---|---|---|
| 1. | भूपेंद्र सिंह, सियालमारी | 4 | 12.05 |
| 2. | नरूल आमीन, नगांव | 3 | 20.01 |
| 3. | विश्वकर्मा इलैक्ट्रीकल, लंका | 2 | 16.44 |
| 4. | समभारत संस्था, लंका | 2 | 27.42 |
| 5. | फक्रूल इस्लाम, जुरिया | 1 | 18.13 |
| 6. | हबिबुर रहमान, फकूली पाथर | 2 | 20.24 |

## 3.5 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण (रि मॉडलिंग)

नगांव जिले में आगत आधारित प्रैंचाइजी तंत्र का मूल्यांकन यह इंगित करता है कि राज्य ने राजस्व बढ़ाने तथा घाटा कम करने के लिए एक अच्छे मॉडल का चयन किया है । तथापि, चालू कार्यान्वयन व्यवस्था की कुछ परिसीमाएं हैं। प्रैंचाइजी तंत्र की सफलता हेतु उसे सामान्यत: राज्य में और विशेषकर ज़िले में सबका अर्थात् डिस्कॉम स्टॉफ, प्रैंचाइजी तथा उपभोक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। राजस्व वसूली में बढ़ोतरी उपभोक्ता शिकायतों में कमी होना तथा प्रैंचाइज के संक्रियात्मक क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के रूप में कुछ सफलताएं अर्जित की गयी हैं । तथापि, ऐसा प्रतीत होता कि वर्तमान में डिस्कॉम केवल राजस्व बढ़ोतरी के संबंध में चिंतित है। यद्यपि गांव विद्युतीकरण तथा गहनीकरण कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत किए जाने की योजना है । ज़िले का वर्तमान वितरण नेटवर्क बहुत ही खराब स्थिति में है। इस पृष्ठभूमि में, राज्य में योजना को सक्रियतापूर्वक लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई। प्रैंचाइज तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निम्न सिफ़ारिशों का सुझाव दिया जाता है ।

### 3.5.1 ऑपरेशन का आकार

ऑपरेशन का आकार, किसी भी राज्य में प्रैंचाइज तंत्र को सफल बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है । आर्थिक व्यवहार्यता के लिए सिफारिश की जाती है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही फीडर के तहत वितरण ट्रंसफार्मरों को समूहबद्ध किया जाए तथा प्रैंचाइजी को इस प्रकार सौंपा जाए कि उसके उपभोक्ताओं की संख्या 1000 से कम न हो अथवा एक प्रैंचाइज्ड क्षेत्र में राजस्व की मांग 1.0 लाख से कम न हो ।

### 3.5.2 ऊर्जा मीटरों का संस्थापन

वितरण ट्रंसफार्मर (डीटी) पर संस्थापन के लिए इलैक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सभी प्रैंचाइजी नेटवर्क में प्रेषित बिजली के अनुसार बिल बना सकें ।

### 3.5.3 सभी हितधारकों की क्षमता में विस्तार करना

सिफारिश की जाती है कि विभिन्न तकनीकी पहलुओं तथा व्यावसायिक वित्तीय, सामाजिक और प्रबंधकीय पक्षों पर प्रैंचाइजियों की क्षमता में विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है । अन्यथा लंबे समय में योजना असफल हो सकती है तथा हताहत की घटना भी हो सकती है क्योंकि प्रैंचाइज के तकनीशियन लाईन रखरखाव कार्य तथा फ्यूज ऑफ मरम्मतों को निष्पादित कर रहे हैं । प्रैंचाइज तंत्र के संबंध में निरंतर उपभोक्ता जागरूकता तथा विभिन्न स्तरों पर डिस्कॉम के अधिकारियों की क्षमता में विस्तार होना चाहिए तथा योजना को सफल बनाने के लिए नियमित आधार पर सभी हितधारकों को शामिल करके एक विचार-विनिमय कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए । डिस्कॉम के स्टॉफ की क्षमता में विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके निचले स्तर के तकनीकी स्टाफ की यह मिथ्या धारण थी कि उनकी नौकरी दांव पर हैं तथा प्रैंचाइजी तंत्र निजीकरण के लिए उठाया गया एक कदम है, इसलिए वे ब्रेकडाउन कॉल आदि को ठीक करने में प्रैंचाइजियों को सहयोग देना नहीं चाहते थे ।

### 3.5.4 एक सक्षम प्रैंचाइज विकास दल तैयार करना

योजना की सफलता के लिए, प्रैंचाइजी विकास हेतु एक सक्षम दल की आवश्यकता है । डिस्कॉम को, लक्ष्य निर्धारित करने के साथ एक महाप्रबंधक (प्रैंचाइज विकास) के नेतृत्व में, एक सक्षम दल के तैयार करने पर विचार करना चाहिए तथा महाप्रबंधक को अंचल/जिला स्तर पर उप महाप्रबंधक (डी जी एम) द्वारा सहायता दी जाए । एक अंचल तैयार करने के लिए बहुत से ई डी सी को मिलाया जा सकता है तथा सभी हितधारकों की क्षमता विस्तार करने, प्रैंचाइज की गतिविधियों के मॉनीटरिंग करने प्रैंचाइजी के विरूद्ध उपभोक्ता की शिकायत, यदि कोई हो, का निवारण करने, तथा नये प्रैंचाइजियों का चयन एवं मूल्यनिरूपण करने सहित सभी गतिविधियों के लिए उप महाप्रबंधक (डीजीएम) रैंक के अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाए । इसके अतिरिक्त, स्थिरता एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और इसलिए प्रैंचाइजी विकास के लिए उत्तरदायी दल को न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए । बहुत से लाईनमैन प्रैंचाइजियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, अत: डिस्कॉम ऐसे लाईनमैन को वर्तमान संक्रियात्मक क्षेत्र से नजदीकी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर विचार करे । इससे पूरे तंत्र में नवीनता आएगी तथा प्रैंचाइजियों को अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने का अवसर भी मिलेगा ।

### 3.5.5 प्रतियोगी बोली (बिडिंग)

अछूते क्षेत्रों में नये प्रैंचाइजियों के चयन के लिए स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाए । प्रतियोगी बोली में ऊर्जा शुल्क/बल्क सप्लाई टैरिफ का निर्धारण करने के लिए वरीयता दी जानी चाहिए । राज्य में अपनाए गए प्रैंचाइजी तंत्र के वर्तमान मॉडल के लिए डिस्कॉम आवेदकों को ऊर्जा शुल्क लाईन रखरखाव शुल्क तथा स्वीकार्य न्यूनतम वितरण क्षति की दरों को उद्धृत करने के लिए कह सकता है । उच्च ऊर्जा शुल्क तथा निम्न रखरखाव खर्च उद्धृत करने वाले और उपयुक्त प्रबंधकीय योग्यता एवं अनुभव रखने वाले प्रैंचाइजी को संविदा दी जाए । चयन प्रक्रिया के दौरान डिस्कॉम, एल टी नेटवर्क में भारित ऊर्जा की प्रत्येक यूनिट के लिए प्रैंचाइजी की आय की तुलना में प्रति उपभोक्ता, उनकी लागत का मूल्यांकन कर सकता है ।

## 3.6 निष्कर्ष

नगांव जिले में कार्यरत प्रैंचाइजी राजस्व को बढ़ाने तथा व्यावसायिक क्षति को कम करने के लिए हर प्रकार से प्रयासरत है । व्यापार तथा रोजगार के लिए नये अवसर प्रदान करने, विद्युत संबंधी उपभोक्ता की शिकायतों को कम करने तथा जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान के लिए तंत्र अग्रणी रहा है । बिलिंग तथा बिल वसूली कुशलता के द्वारा राजस्व सृजन में बढ़ोतरी के फलस्वरूप डिस्कॉम को लाभ हुआ है । राज्य में अपनाए जा रहे आगत आधारित मॉडल को राजस्व निरंतरता तथा सफलता के लिए व्यावसायिक तथा उद्यमी मिश्रित अभिगम के रूप में विकसित किया जा सकता है तथा राज्य में प्रैंचाइज तंत्र को निरंतर बनाए रखा जा सकता है ।

# अध्याय 4 गुलबर्गा (कर्नाटक)

सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण विद्युत सुधार अभियान के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवा तथा राजस्व में सुधार करने के लिए जेस्कॉम (जी ई एस सी ओ एम) ने वर्ष 2004 के शुरू में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रैंचाइजी तंत्र की शुरूआत की । जेवियर प्रबंधन संस्थान, भुवनेश्वर (एक्स आई एम बी) द्वारा किए गए अध्ययन की सिफारिशों के अनुसरण में प्रैंचाइजी तंत्र का आगमन हुआ । इसकी स्थापना का मुख्य कारण यूटिलिटी की सेवाओं से उपभोक्ताओं का असंतुष्ट होना तथा राजस्व वसूली में कमी होना था ।

जहां तक जेस्कॉम की प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध है, इसके गुलबर्गा तथा बेलारी नामक दो अंचल हैं । बेलारी अंचल के तहत बेलारी, कोप्पल तथा रायचूर नामक तीन जिले हैं तथा बेलारी क्षेत्र में कुल चार विद्युत प्रभाग हैं । ये प्रभाग हैं बेलारी, होस्पेट, कोप्पल तथा रायचूर । गुलबर्गा अंचल में गुलबर्गा तथा बीदर नामक दो जिले हैं । बीदर जिले में, बीदर नामक एक विद्युत प्रभाग है जबकि गुलबर्गा जिले में गुलबर्गा प्रभाग यादगिर तथा I गुलबर्गा प्रभाग-II नामक तीन विद्युत प्रभाग हैं । जेस्कॉम के प्रत्येक उप प्रभाग में लगभग 30 से 35 ग्राम पंचायतें हैं तथा गलबर्गा जिले में जेस्कॉम के 1344 गांव आते हैं । इसके प्रत्येक प्रभाग में क्रमश: 348,379 तथा 617 गांवों को बांटा गया है ।

यूटिलिटी द्वारा नियुक्त की गई संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक ग्राम विद्युत प्रतिनिधि (जी वी पी) का चयन किया गया ताकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांवों में प्रैंचाइजी कार्य के लिए ग्राम पंचायत से उम्मीदवारों को छांटा जा सके । जेस्कॉम में प्रैंचाइजी का मुख्य कार्य राजस्व संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित करना था :-

- जेस्कॉम की ओर से मीटर पठन, बिल वितरण तथा राजस्व वसूली करना ।
- शिकायतों को दर्ज करना तथा उनका निवारण करना ।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करना ।
- क्षेत्र संबंध जानकारी से जेस्कॉम को नियमित रूप से अवगत कराना ।

जेस्कॉम में परिशोधित प्रस्ताव के लागू हो जाने के कारण जनवरी 2007 के उपरांत विद्यमान ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों (एम एफ एफ) के रूप में नया नाम दे दिया गया । ग्राम विद्युत प्रतिनिधि (जी वी पी) से माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी (एम एफ एफ) में रूपांतरण करने संबंधी जेस्कॉम के निगमित कार्यालय से जारी किया गया पत्र संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है । ये माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी केवल ग्राम पंचायत के, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन कर रहे हैं ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को शुरू हुए लगभग एक वर्ष से अधिक बीत चुका है, किंतु जेस्कॉम के अंतर्गत आने वाले किसी भी आरजीजीवीवाई गांव में कोई कार्य शुरू नहीं किया जा सका है । वास्तव में, जेस्कॉम अंतर्गत प्रैंचाइजियों को नियुक्त करना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अंश नहीं है क्योंकि विद्यमान माइक्रों फीडर प्रैंचाइजी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किए गए हैं तथा वर्ष 2004 से कार्यरत हैं । व्यवसाय मॉडल तथा उपभोक्ताओं का अनुबंध, जिले में प्रैंचाइजियों तथा यूटिलिटी का काम सौंपने में निम्नलिखित खंड पर विचार-विमर्श किया जाए ।

---

## 4.1 पृष्ठभूमि

माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी (एम एफ एफ), जिसको पहले जी वी पी के नाम से जाना जाता था, सन् 2004 से जेस्कॉम के अंतर्गत कार्यान्वित है । यह राजस्व की वसूली पर आधारित है अर्थात् यह एक राजस्व वसूली आधारित प्रैंचाइजी है ।

फरवरी 2007 के अनुसार, गुलबर्गा जिले में, मई 2004 में नियुक्त किए गए 339 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों में 297 प्रैंचाइजी कार्यरत हैं तथा गुलबर्गा सर्किल ने सूचित किया कि इस अध्याय के प्रैंचाइजी प्रतिपुष्टि खंड में विवेचित विभिन्न कारणों से, माइको फीडर प्रैंचाइजी की संख्या में, उसके

प्रवर्तन होने के बाद से, कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

गुलबर्गा सर्किल के प्रत्येक प्रभाग के अंतर्गत ग्रामीण उप प्रभागों का ब्यौरा सारणी 4.1 में दर्शाया गया है ।

**सारणी 4.1 : गुलबर्गा सर्किल के उप प्रभागों का ब्यौरा**

| क्रमांक | प्रभाग | उप प्रभाग | |
|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण | शहरी |
| 1. | गुलबर्गा प्रभाग-I | गुलबर्गा ग्रामीण उप प्रभाग, अलंद काडागांची तथा अफजलपुर | सिटी 1, सिटी 2 |
| 2. | गुलबर्गा प्रभाग-II | जैवर्गी, शाहबाद, चीतापुर तथा छिंचोली | |
| 3. | यादगिर | यादगिर, सेदम, शाहपुर तथा शोरपुर | |
| | कुल | 12 | 2 |

गुलबर्गा जिले के गुलबर्गा सर्किल में प्रैंचाइजियों को नियुक्त करना आर जी जी वी वाई योजना का अंश नहीं है । जेस्कॉम के विभिन्न प्रभागों में संचालित प्रैंचाइजियों, गांव तथा उप प्रभाग वार एक पूर्ण सूची संलग्न IV-2 में दी गई हे । वस्तुत: गुलबर्गा प्रभाग-I में हमने यह पाया कि कुल 92 माइक्रो फीडर प्रैंचाईजी में से तीन महिलाएं माइक्रों फीडर प्रैंचाईजी संचालित कर रही है ।

**सारणी 4.2: फरवरी 2007 तक गुलबर्गा जिले में कार्यरत माइक्रो फीडर प्रैंचाईजियों का ब्यौरा**

| क्रमांक | प्रभाग | आवृत्त ग्राम पंचायत | नियुक्त किए गए ग्राम विद्युत प्रतिनिधि | प्रकार्यात्मक माइक्रो फीडर प्रैंचाईजी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गुलबर्गा प्रभाग-I | 92 | 99 | 92 |
| 2. | गुलबर्गा प्रभाग-II | 100 | 100 | 90 |
| 3. | यादगिर | 140 | 140 | 115 |
| कुल | गुलबर्गा जिला | 332 | 339 | 297 |

टी ओ आर अध्ययन के अनुसार, माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों का मूल्यांकन करने के लिए जिले के 12 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के यादृच्छिक प्रतिरूप (गुलबर्गा प्रभाग-I, गुलबर्गा प्रभाग-II तथा यादगिर प्रभाग से) का चयन किया गया । प्रतिरूपों की विभिन्नताओं का परिग्रहण करने के लिए विभिन्न प्रभागों से माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों का विभाजन किया गया । लगभग 31 गांवों के अंतर्गत ऐसे माइक्रों फीडर प्रैंचाइजी कार्यरत हैं तथा इन्हीं गांवों में उपभोक्ता का सर्वेक्षण किया गया था । माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी, गांवों तथा सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ता की सूची इस अध्याय के अंत में सारणी-X में दी गई है ।

21 मार्च 2007 को हुबली में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी) के साथ आयोजित हुई एक समापन बैठक के साथ जिले का मूल्यांकन पूर्ण हो गया ।

## 4.2 आर जी जी वी वाई के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

यूटिलिटी अधिकारियों ने सूचित किया कि विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) में 90% केंद्र सरकार से तथा 10% जेस्कॉम से सब्सिडी शामिल है । सब्सिडी बुनियादी सुविधाओं, अर्थात् एच टी/एल टी लाईनें, वितरण ट्रंसफार्मर का संस्थापन तथा ग्रामीण निवासियों के लिए 100% विद्युतीकरण हेतु दी गई है ताकि कोई भी घर अविद्युतीकृत न रह पाये । इसके तहत दो प्रकार के निवासियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें गरीबी

रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार आते हैं । बी पी एल परिवारों के लिए, कुटीर ज्योति/भाग्य ज्योति योजना के अंतर्गत आंतरिक वायरिंग अंतर्निहित है जिसमें एक लाईट बल्ब का कनैक्शन दिया गया है, जबकि ए पी एल परिवारों के लिए आंतरिक वायरिंग का खर्च आवेदक को वहन करना पड़ता है, हालांकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) का अंतिम उद्देश्य सभी गांवों के आवासों में 100% विद्युत उपलब्ध कराना है । इस योजना में स्कूल, डिस्पेंसरियां तथा स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं ।

यूटिलिटी अधिकारियों ने गुलबर्गा जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में तैयार की गई कार्य क्षेत्र तथा अनुमानित लागत की जानकारी उपलब्ध करायी (संलग्नक-3 देखें) । जहां तक कंपनियों के लिए निविदाओं का दिया जाना था, इस कार्य के लिए संविदा में कार्यरंभ को तथा मूल्य निर्धारित किया गया । न्यूनतम भाव-दर (कोटेशन) दर्शाने वाली कंपनी को लघु सूची में रखा गया । संविदा के लिए पत्र दिया जाना शेष है तथा जिसे छांटी गयी कंपनी को यथाशीघ्र दे दिया जाएगा, जिसके बाद गुलबर्गा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा ।

आकंडों से ज्ञात हुआ कि गुलबर्गा जिले में 1344 गांव आते हैं तथा 31 मार्च 2005 तक 100% गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया। वास्तव में 2774 ग्रामीण आवासों में से लगभग 1683 (61%) आवास विद्युतीकृत हैं तथा मार्च 2005 तक लगभग 68% आवास विद्युतीकृत थे। घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, लघु उद्योग, स्ट्रीटलाईट तथा वाटरवर्क्स सहित उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी हेतु, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अगले दो वर्षों में कार्यान्वयन हेतु जेस्कॉम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है ।

गुलबर्गा जिले में जेस्कॉम के अंतर्गत आने वाले 1344 गांवों में से, किसी को भी अभी तक आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है । हालांकि, इस जिले में आर जी जी वी वाई योजना के निष्पादन का अनुमोदन मिल चुका है, लेकिन जेस्कॉम के निगमित कार्यालय से अनुमोदन पत्र प्राप्त न होने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया । तथापि, यूटिलिटी ने सूचित किया कि भविष्य में आर जी जी वी वाई कार्य के लिए विद्यमान प्रैंचाइजियों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

सारणी 4.3 के आंकड़े दर्शाते हैं कि यादगिर में अधिकतम बी जे/के जे (भाग्य ज्योति/कुटीर ज्योति) तथा अन्य घरेलू उपभोक्ता हैं । यद्यपि, गुलबर्गा जिले के गुलबर्गा प्रभाग-I में आई पी सैट अधिकतम हैं ।

**सारणी 4.3 : गुलबर्गा जिले में जेस्कॉम द्वारा सेवित उपभोक्ताओं का ब्यौरा**

| क्रमांक | टैरिफ | उपभोक्ताओं की संख्या | | | | दिसंबर 2006 के लिए एम यू में खपत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गुलबर्गा-I | गुलबर्गा-II | यादगिर | योग | गुलबर्गा-I | गुलबर्गा-II | यादगिर | योग |
| 1. | एल टी-1 (बी जे/के जी) | 45539 | 44425 | 55601 | 145565 | 0.779 | 0.798 | 1 | 2.597 |
| 2. | एल टी-2 (घरेलू) | 74422 | 75749 | 89873 | 240044 | 1.68 | 1.66 | 2.59 | 5.93 |
| 3. | एल टी-3 (व्यावसायिक) | 8054 | 8573 | 12861 | 29488 | 0.25 | 0.33 | 0.542 | 11.22 |
| 4. | एल टी-4 (आई पी सैट) | 28417 | 6603 | 12932 | 47952 | 11.66 | 5.46 | 8.4 | 25.52 |
| 5. | एल टी-5 (उद्योग) | 2934 | 3342 | 3793 | 10069 | 1.27 | 1.3 | 0.887 | 3.457 |
| 6. | जलापूर्ति(डब्ल्यूएस) | 1378 | 1145 | 1848 | 4671 | 0.64 | 1.5 | 1.568 | 3.708 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | स्ट्रीट लाईटिंग (एस एल) | | | | | | | | |
| 8. | एल टी-7 (अस्थायी कनैक्शन) | 148 | 15 | 283 | 446 | 0.02 | 0.04 | 0.24 | 0.084 |
| 9. | एच टी | 44 | 13 | 24 | 81 | 0.83 | 7.23 | 5.246 | 13.306 |
| | योग | 160936 | 140165 | 177215 | 478316 | 17.149 | 18.318 | 20.157 | 55.724 |

**टिप्पणी:** किसी भी माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी द्वारा ग्रामीण फीडर में कोई एच टी उद्योग शामिल नहीं किया गया ।

संलग्नक-4 जेस्कॉम की प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए गुलबगा जिले में पिछले 5 वर्षों के दौरान योजित भार तथा उपयोग की वृद्धि को दर्शाता है । यहां, व्यावसायिक उपभोक्ताओं में 7% वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं में 3% वृद्धि तथा कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या में 4% वृद्धि हुई तथा इसके अनुसरण में एस एल, डब्ल्यू एस और अस्थायी कनैक्शनों सहित अन्य श्रेणियों में 6% वृद्धि हुई ।

गलबर्गा जिले में विद्युत आपूर्ति मांग तथा अन्य ऊर्जा संबंधी ब्यौरे सारणी 4.4 में दर्शाए गए हैं ।

**सारणी 4.4: जेस्कॉम में गुलबर्गा जिले के लिए विद्युत की आपूर्ति तथा मांग की प्रमात्रा का ब्यौरा**

| प्रभाग का नाम | एम यू में ऊर्जा आपूर्ति | ऊर्जा की मांग | एम यू में ऊर्जा का विक्रय | | | मांग अंतराल हेतु आपूर्ति | एम यू में अलेखाकृत ऊर्जा | टी एवं डी क्षतियां | मीटर से बिक्री का % | बिना मीटर के बिक्री का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मीटर से | बिना मीटर के | योग | | | | | |
| गलबर्गा-I | 428.17 | 550 | 198.31 | 131.23 | 329.5 | 121.83 | 98.63 | 23.04 | 46.32 | 30.65 |
| गुलबर्गा-II | 217.07 | 280 | 82.57 | 71.41 | 155 | 62.93 | 62.08 | 28.60 | 38.04 | 32.90 |
| यादगिर | 253.45 | 324.41 | 57.47 | 95.39 | 152.9 | 70.96 | 102.12 | 40.05 | 22.68 | 37.64 |
| कुल योग | 898.69 | 1154.41 | 338.35 | 298.03 | 6374 | 255.72 | 261.3 | 29.08 | 37.65 | 33.16 |

## 4.3 व्यवसाय माडल

### 4.3.1 चयन प्रक्रिया

इस राजस्व प्रैंचाइजी-वसूली आधारित मॉडल (आर ई सी के दिशानिर्देशों के अनुसार) की चयन प्रक्रिया, प्रैंचाइजी पद के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के प्रत्युत्तर में यूटिलिटी द्वारा प्राप्त आवेदनों पर आधारित है । इस कार्य के लिए प्रत्येक गांव से लगभग 4 से 5 उम्मीदवारों ने आवेदन किया । प्रैंचाइजी के लिए पात्रता मानदंडों में शामिल है कि व्यक्ति पंचायत का सदस्य हो, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उच्चतम शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को वरीयता देने के साथ, न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास मांगी गई ।

विनिर्दिष्ट रूप से चयन प्रणाली में, जिले के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की लघु सूची तैयार करने पर साक्षात्कार किया जाता है । प्रैंचाइजी का अंतिम रूप से चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें संबंधित ओ एण्ड एम सर्किल का अधीक्षण इंजीनियर (एस ई) इस समिति का अध्यक्ष होता है तथा संबंधित प्रभाग का कार्यपालक इंजीनियर, उप प्रभागीय अधिकारी तथा लेखा अधिकारी इसके सदस्य होते हैं, किंतु ऐसे उम्मीदवारों के अनुपलब्ध होने पर कम योग्यता धारक लोगों को भी प्रैंचाइजी कार्य के लिए चुना जाता है । गुलबर्ग जिले में प्रैंचाइजी कार्य में लिप्त तकनीकी

योग्यता धारक लोगों की संख्या 50% से कम है तथा अधिकांश मैट्रिक पास हैं ।

### 4.3.2 क़रारनामा

ग्राम विद्युत प्रतिनिधि/माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के रूप में चुने गए व्यक्ति के साथ जेस्कॉम का एक वर्ष के लिए एक अनुबंध किया जाता है जिसे समझौता ज्ञापन (संलग्नक-5 देखें) कहते हैं । माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी तथा यूटिलिटी के बीच 12 महीनों की अवधि के लिए पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर 2004 में किए गए थे । इसे 2005 में पुन: नवीकृत किया गया । इस करारनामें में शामिल विषय थे :-

- कार्य का क्षेत्र
- प्रतिपूर्ति दर
- अन्य निबंधन एवं शर्तें ।

चुना गया प्रैंचाइजी यूटिलिटी को, प्रतिभूति जमा के रूप में नकद अथवा बैंक गारंटी देगा । प्रैंचाइजी द्वारा दी गई प्रतिभूति जमा की दो किस्म हैं । सामान्य श्रेणी से संबंधित प्रैंचाइजी को बैंक गारंटी अथवा नकद रूप से रूपये 50,000/- जमा करने होंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति अथवा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रैंचाइजी को इसके लिए केवल रूपये 25000/- देने होंगे । आरईसी तथा एमओपी के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक प्रतिभूति जमा के रूप में एक महीने की मांग को जमा करने में सक्षम नहीं हैं ।

### 4.3.3 प्रैंचाइजी के उत्तरदायित्व प्रोत्साहन तथा दंड

यूटिलिटी ने बताया कि यद्यपि ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को अब माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के रूप में परिवर्तन किया जा चुका है लेकिन माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के नये नामकरण को छोड़कर उसके कार्य तथा उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । माइक्रो फीडर प्रैंचाईजी का मुख्य कार्य उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मासिक आधार पर मीटर पठन करना बिलों को तैयार एवं वितरण करना तथा राजस्व वसूली करना है । बिलिंग तथा राजस्व वसूली प्रैंचाइजी मासिक रूप से करते हैं तथा वे छोटी/बड़ी तकनीकी मरम्मतों, नये कनैक्शनों को लगाने अथवा मामूली मरम्मतों से संबंधी उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं । हालांकि, हमने यह देखा है कि मीटर को हटाने/पुन: लगाने के कुछ मामलों में प्रैंचाइजी जेस्कॉम के लाईनमैन की सहायता करते हैं ।

केपीटीसीएल द्वारा व्यवस्थित दिशा-निर्देश प्रैंचाइजियों के पारिश्रमिक को नियंत्रित करते हैं तथा ये दिशा-निर्देश आरंभ से ही बदलते रहे हैं तथा अब इसमें निम्नलिखित विवरण को शामिल किया गया है :-

- पिछले छह माह के दौरान बिलिंग एवं अर्जित वसूली पर आधारित बेस लाईन वसूली लक्ष्य को निर्धारित किया जाए ।

- अधिकतम रूपये 4000/- के आधार पर वसूली की गयी धनराशि की 8% प्रोत्साहन फीस देय है बशर्ते कि ग्राम विद्युत प्रतिनिधि ने मासिक बेसलाईन वसूली लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो ।

- बेस लाईन से अधिक तथा ऊपर वसूली करने पर वसूली के 8% की धनराशि ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को देय है ।

- बेस लाईन लक्ष्य से प्रत्येक 10000/- रूपये की कम वसूली के लिए देय प्रोत्साहन फीस की 2% राशि दंड के रूप में अधिरोपित होगी ।

गुलबर्गा जिले में, प्रैंचाइजी विफलता दर 2% है तथा माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों में ड्रॉपआऊट का मुख्य कारण इस कार्य के लिए उनको दिया गया असंतोषजनक पारिश्रमिक बताया गया । 42 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी, जिन्होंने प्रैंचाइजी के रूप में कार्य बंद कर दिया है, में से तीन को अयोग्य कर दिया गया अथवा धन का दुरुपयोग करने के कारण जेस्कॉम ने उनके करार को समाप्त कर दिया था, जबकि अन्य सभी ने अच्छी नौकरी की आशा तथा अन्य स्थानों पर अधिक पारिश्रमिक मिलने के कारण कार्य को त्याग दिया ।

इस तंत्र में कुछ परिसीमाएं देखने में आयी ।

- स्टाफ की कमी के कारण शिकायत निवारण तंत्र असंतोषजनक

- उपभोक्ताओं का देय राशि का भुगतान करने से मना करना एवं इसके लिए जागरूक न होना ।
- यूटिलिटी तथा उपभोक्ताओं के बीच संवादहीनता ।
- ग्रामीण उपभोक्ताओं का यह मानना कि उन्हें शहरी उपभोक्ताओं के समान नहीं आंका गया ।

---

## 4.4 यूटिलिटी को समस्याएँ

जेस्कॉम में प्रैंचाइजी संचालनों के संबंध में यूटिलिटी अधिकारियों द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई ।

### 4.4.1 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों पर यूटिलिटी का नियंत्रण कम होना

यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों का उनके अधीन न होने के कारण, उनका एम एफ एफ पर नियंत्रण बहुत कम है । हालांकि, उन्होंने बताया कि तीन प्रभागों के अधिकांश माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी उचित प्रकार से कार्य कर रहें हैं तथा यहां कुछ मामले ही ऐसे हैं जिनमें माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी की सेवा समाप्त कर दी गई हो ।

### 4.4.2 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग

यूटिलिटियों की एक समस्या यह है कि यहां प्रैंचाइजियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, जिसके फलस्वरूप माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी उचित प्रकार से कार्य कर नहीं सकते हैं । यूटिलिटी ने यह भी उल्लेख किया कि माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के कार्य निष्पादन को मॉनीटर करना मुश्किल है । वस्तुत: यह सुझाव भी दिया गया कि इसके लिए पृथक एजेंसी को कार्यभार सौंपा जाए ।

### 4.4.3 व्यक्ति **बनाम एजेंसी**

माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी मीटर पठन आदि सहायता के लिए लोगों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में आगत आधारित प्रैंचाइजी मॉडल के मामले में है । यूटिलिटी की राय में एक अकेले व्यक्ति की अपेक्षा एक समूह का कार्य अच्छा है तथा एक समूह ज्यादा प्रभावकारी हो सकता है । यह सुझाव दिया गया कि स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को भी माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के लिए कार्ययोग्य मॉडलों के रूप में लिए जाने पर विचार किया जाए ताकि सदस्यों के बीच उत्तरदायित्वों की सहभागिता हो सके ।

---

## 4.5 उपभोक्ता सर्वेक्षण

प्रारंभिक सर्वेक्षण के एक अंश के रूप में 31 गांवों के एक यादृच्छिक नमूने का चयन किया गया ताकि माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों द्वारा संचालित गांवों के उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त की जा सके । सभी 31 गांव गुलबर्गा सर्किल के अंतर्गत आते हैं । इनमें 16 गांव गुलबर्गा -I प्रभाग से, 11 गांव गुलबर्गा -II प्रभाग से तथा 5 गांव यादगिर उप प्रभाग से हैं । गुलबर्गा-I प्रभाग के गुलबर्गा ग्रामीण उप प्रभाग के 16 गांवों, गुलबर्ग-II प्रभाग के जेवार्गी उप प्रभाग के 10 गांवों तथा यादगिर प्रभाग के शाहपुर उप प्रभाग के 5 गांवों का सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षित गांवों की सूची इस अध्याय के अंत में सारणी-X में दी गई है । इन 31 गांवों से कुल 119 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षित कुल उपभोक्ता के 50% गुलबर्गा-I प्रभाग से थे जबकि 30% गुलबर्गा -II प्रभाग से तथा 20% यादगिर प्रभाग से थे । इन गांवों को चयन करने का मानदंड विभिन्न पैरामीटरों का एक मिश्रण है । इसमें आर जी जी वी वाई अथवा गैर आर जी जी वी वाई गांवों का वितरण शामिल है, चूंकि इस जिले के किसी गांव को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में अभी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सर्वेक्षण हेतु सभी गैर आर जी जी वी वाई गांवों को चुना गया ।

गांव का चयन करने के अन्य पैरामीटरों में, गांव में विद्युतीकरण का वर्ष, जिले के अंतर्गत गांव की भौगोलिक स्थिति तथा अंत में यूटिलिटी से प्राप्त फीडबैक को शामिल किया गया ।

सर्वेक्षण के लिए इन गांवों से विभिन्न टैरिफ श्रेणियों के उपभोक्ताओं को चुना गया । सर्वेक्षित टैरिफ श्रेणियों के वितरण से पता चला कि 68% कृषि, 6% व्यावसायिक तथा 26% घरेलू उपभोक्ता हैं ।

कुल 12 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों (प्रत्येक प्रभाग से चार) का साक्षात्कार किया गया । साक्षात्कार किए गए 12 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी में से 11 ने जून 2004 से कार्य शुरू कर दिया जबकि एक माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी ने दिसंबर 2006 में कार्यारम्भ किया ।

आकृति 4.1 : गुलबर्गा जिले में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर

### 4.5.1 जागरूकता

गुलबर्गा जिले में सर्वेक्षण किए गए सभी गांव लगभग 25-30 वर्षों से विद्युतीकृत हैं । लगभग सभी गांवों के अधिकांश आवास भाग्यज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत थे तथा कुछ आवासों (मुख्यत: नई कालोनियों) को अभी तक यूटिलिटी द्वारा नियमित कनैक्शन नहीं दिए गए थे ।

31 गांवों में सर्वेक्षण किए गए 119 उपभोक्ताओं में से लगभग 50% उनके क्षेत्र में प्रैंचाइजी की कार्य प्रणाली से परिचित हैं । जो योजना से परिचित हैं उन्होंने इन माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी को, बिलिंग तथा वसूली के लिए यूटिलिटी द्वारा नियुक्त किए गए, स्थानीय एजेंटों के रूप में देखा था । अधिकांश लोग, जो योजना से परिचित नहीं थे, ने इन ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को यूटिलिटी के एक अंश के रूप में देखा था ।

### 4.5.2 सामान्य विचार-विमर्श

उपभोक्ताओं के साथ हुई बातचीत से पता चला कि इस क्षेत्र में विद्युत स्थिति ज्यादा खराब नहीं है । वे न्यूनतम 15 घंटों के लिए एक फेस की विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं । आवासियों का साक्षात्कार करने से ज्ञात हुआ कि घरेलू प्रयोजन के लिए औसतन विद्युत आपूर्ति लगभग 15 घंटे है जबकि कृषि प्रयोजन के लिए औसतन विद्युत आपूर्ति मात्र 4 घंटे थी । उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में और पंचायत के गांवों ने बताया कि रात में 3 फेस की आपूर्ति होती है तथा उसे कृषि के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । सर्वेक्षण किए गए 74% उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें जरूरत के समय बिजली मिल रही है अथवा दूसरे अर्थ में कृषि के मौसम जैसे निर्णायक समय में विद्युत आपूर्ति के संबंध में उन्हें कोई समस्या नहीं है । पूरे क्षेत्र में कृषि मुख्य गतिविधि है । गुलबर्गा-I तथा II प्रभाग के अधिकतर गांव अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई करने के लिए विद्युत पर निर्भर हैं । यादगिर प्रभाग में सर्वेक्षण किए गए अधिकतर गांव अपनी कृषि के लिए विद्युत आपूर्ति पर निर्भर नहीं है क्योंकि उनकी सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति नहरों से हो जाती है तथा ज्यादातर किसानों के पास पंप सेट भी नहीं है । यहां के किसान सीधे नहरों से या उठान तरीके से सिंचाई करते हें ये निचले इलाके, जिनमें धान की खेती होती है ।

सर्वेक्षण किए गए 65% उपभोक्ताओं ने वोल्टेज की समस्या के संबंध में बताया तथा यह ट्रंसफार्मर की समस्याओं, ढीले कनैक्शनों की वजह से है तथा गुलबर्ग-I प्रभाग के कुछ गांवों से यह शिकायत मिली की क्षेत्र में आटा मिलों द्वारा विद्युत की अधिक खपत के कारण आवासीय उद्देश्य के लिए विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है । सर्वेक्षण किए गए अधिकांश उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके संबंधित गांवों के लाईनमैन तुंत शिकायतों की (1-2 दिन में) सुनवाई करते हैं, वस्तुत: इन मुलाकातियों में 26% उनकी

विद्युत शिकायतों के निवारण के लिए माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी की जरूरत महसूस नहीं करते हैं तथा गांवों के कुछ लाईनमैनों को छोड़कर अधिकांश लाईनमैन के साथ उनकी पहुंच है ।

### 4.5.3 विद्युत क्षेत्र से संबंधित समस्याएं

सर्वेक्षण से पता चला कि सर्किल के अधिकतर गांव सूखाग्रस्त हैं । किसानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे तक 3 फेस की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके, विशेषकर गुलबर्ग-I तथा गुलबर्ग-II के दो प्रभागों में जहां के किसान सिंचाई के लिए विद्युत पर निर्भर हैं । हालांकि, 3 फेस की औसत विद्युत आपूर्ति मात्र 5 घंटे होती है । कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए गुणता विद्युत आपूर्ति मुख्यत: जरूरी है । ट्रंसफार्मरों से संबंधित समस्याएं, जोकि, विशेषकर गुलबर्ग-I तथा गुलबर्ग-II के गांवों में विद्युत आपूर्ति, को बाधित करने में प्रमुख है, सभी उपभोक्ताओं के लिए गंभीर विषय है ।

सर्वेक्षण किए गए सभी गांवों में मीटर पठन का कार्य ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों की कार्य-प्रणाली शुरू होने के बाद से प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है । इससे पूर्व उपभोक्ताओं को औसतन तीन महीनों में बिल मिलता था। लगभग शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बताया कि अब बिल मासिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं । इन उपभोक्ताओं का औसतन मासिक बिल 100/- रूपये है । भुगतान भी मुख्यत मासिक रूप से किया जा रहा है । यथार्थ में लोग माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों से बहुत खुश हैं, क्योंकि वे उपयुक्त तारीख को उपभोक्ताओं घर-घर जाकर भुगतान वसूलते हैं जिससे उन पर कई महीनों का बकाया भी इकठ्ठा नहीं होता है । माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों की कार्य प्रणाली शुरू होने से पूर्व उपभोक्ताओं को तीन माह में एक बार बिल प्राप्त होता था तथा बिल में राशि इतनी अधिक होती थी कि उपभोक्ताओं को उनको भुगतान करने में दिक्कत होती थी । आवासी, जो कि प्रारंभ में भुगतान करने के अनिच्छुक थे, को माइक्रो फीडर प्रैं चाईजियों ने मासिक रूप से भुगतान करने को प्रेरित किया ।

हालांकि, सवेर्क्षण के दौरान यह देखा गया कि भाग्यज्योति योजनाओं अंतर्गत अधिकतर आवासी कोई भुगतान नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे यह मानते हैं कि यह सब्सिडीये रूप में है अथवा प्रत्याशा कर रहे थे कि सब्सिडी सरकार से मिलेगी ।

आकृति 4.2: गुलबर्गा जिले में विद्यमान विद्युत क्षेत्र अवसंरचना की स्थिति

---

## 4.6 विद्यमान मॉडल में अनुभव

यूटिलिटी तथा उपभोक्ताओं के अलावा गुलबर्गा जिले में हमारी कार्य प्रणाली के अध्ययन के रूप में प्रैंचाइजियों का भी साक्षात्कार किया गया ताकि तंत्र के संबंध में उनके अभिमत प्राप्त हो सकें। कुल संचालित 297 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों में से 12 प्रैंचाइजियों के यादृच्छिक नमूनों का सर्वेक्षण किया गया।

### 4.6.1 योजना से लाभ

एक माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए ग्राहक सेवा के रूप में कार्य करना है तथा संभवत: उपभोक्ताओं की सेवा करके राजस्व उगाही में सुधार करना है । प्रारंभिक सर्वेक्षण से माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों के कुछ लाभ उजागर हुए ।

### 4.6.1.1 राजस्व वसूली में बढ़ोतरी

समग्र रूप से, यहां राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई है, जो कि बेस वसूली के संदर्भ में लगभग 94-95% है ।

सारणी 4.5: जेस्कॉम में बिलिंग कुशलता में सुधार का ब्यौरा

| क्रमांक | प्रभाग का नाम | बिलिंग कुशलता (फ्रैंचाईजी से पूर्व, मई 2004) | बिलिंग कुशलता (फ्रैंचाईजी के उपरांत, दिसंबर 2006) |
|---|---|---|---|
| 1. | गुलबर्गा –I | 83% | 98% |
| 2. | गुलबर्गा-II | 83% | 95% |
| 3. | यादगिर | 88% | 94% |

उपरोक्त सारणी 4.5 फ्रैंचाइजी की कार्य प्रणाली शुरू होने के पूर्व/उपरांत, दोनों मदों में तीन प्रभागों की बिलिंग कुशलता को दर्शाती है । यह देखा जा सकता है कि बिलिंग कुशलता तीनों प्रभागों में बढ़ी है ।

माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि उनकी कार्य प्रणाली शुरू होने के उपरांत राजस्व उगाही में 20 से 50% की वृद्धि हुई है ।

### 4.6.1.2 बिलिंग तथा बिल वसूली कुशलता में बढ़ोतरी

सर्वेक्षण किए गए सभी माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी मासिक रूप से बिल प्रस्तुत करते हैं तथा राजस्व वसूली करते हैं । इस प्रकार सभी माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों ने बताया कि उनकी तैनाती के उपरांत बिलिंग तथा बिल वसूली में सुधार हुआ है । सभी 31 गांवों में, सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं ने कहा कि अब बिलिंग तथा बिल वसूली मासिक रूप से की जा रही है । इससे पहले बिल 2 से 5 महीने मे जारी किए जाते थे तथा लोग भी एक साथ बड़ी धनराशि का भुगतान करने में हिचकिचाते थे तथा बकाया लगातार बढ़ता रहता था ।

### 4.6.1.3 ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर

माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर मिले हैं । सर्वेक्षण किए गए सभी गांव मुख्यत: कृषि पर निर्भर हैं तथा क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त युवकों के लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है । सर्वेक्षित माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों ने बताया कि उन्होंने इसे आय अर्जन के स्रोत के रूप में ग्रहण किया है न कि नौकरी की प्रकृति से प्रेरित होकर । अधिकांश माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी ये मानते हैं कि, यद्यपि इस गतिविधि से प्राप्त आय कम है, लेकिन उन्हें यह कार्य पसंद है तथा उनके गांव में रहते हुए यह एक अच्छा रोजगार है । माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी अपने कार्य के प्रतिरूप से संतुष्ट हैं । हालांकि, बहुत से फ्रैंचाइजीयो को आशा है कि उन्हें यूटिलिटी में आमेलित कर लिया जाएगा तथा वे संभवता जेस्कॉम के नियमित कर्मचारी बन जाएंगे । इसका एकमात्र कारण यह भी है कि, गतिविधि से कम आय के बावजूद, उन्हें रोजगार के अन्य अवसर नहीं है । हालांकि फ्रैंचाइजी अपने कार्य की प्रकृति से संतुष्ट हैं तथा चूंकि इसमें केवल एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इसलिए इस व्यवस्था का गांवें के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है । अधिकांश फ्रैंचाइजियों ने बताया कि इस कारोबार को ग्रहण करने का कारण यही है कि इससे उन्हें यूटिलिटी से नियमित नौकरी मिली है तथा भविष्य में नियमित रूप से वेतन प्राप्त होने की आशा है ।

### 4.6.1.4 यूटिलिटी तथा उपभोक्ता के बीच संपर्क

फ्रैंचाइजी के कार्य में केवल राजस्व वसूली, मीटर पठन, प्रिंटिंग, वितरण तथा बिलिंग शामिल है । माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी मामूली तथा प्रमुख मरम्मतों के प्रति जवाबदेय नहीं हैं । हालांकि वे यूटिलिटी अथवा लाईनमैन को खराबी की रिपोर्ट देकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर देते हैं । कुछ गांव के

लोगों के लाईनमैनों के साथ सीधा संपर्क है तथा बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे अपनी शिकायतों को माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों के पास दर्ज कराना सुविधाजनक मानते हैं । सर्वेक्षण किए गए कुछ माइक्रों फीडर प्रैंचाइजियों ने बताया कि वे मामूली दोषों को ठीक करने के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं । इससे न केवल उपभोक्ताओं का उनमें विश्वास बढ़ेगा अपितु राजस्व वसूली का कार्य भी अच्छा हो सकेगा ।

#### 4.6.1.5 उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी

अध्ययन से पता चला कि पिछले 3 वर्षों के दौरान यहां घरेलू तथा सिंचाई पंपसैटों के कनैक्शन में बढ़ोतरी हुई है । माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों के सर्वेक्षण से पता चला है कि उपभोक्ताओं की संख्या में 10 से 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है । हालांकि, अधिकांश माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों की यह राय थी कि उनकी कार्य प्रणाली शुरू होने के उपरांत काउंटर वसूली करने से राजस्व वसूली में बहुत वृद्धि हुई है । उपभोक्ताओं को नियमित रूप से मासिक बिल प्राप्त होने के साथ उपभोक्ता सीधे यूटिलिटी में आकर भुगतान करने लगे हैं । ऐसा अधिकतर उन गांवों में संभव है जिनके नजदीक बिल वसूली काउंटर हैं न कि दूरवर्ती गांवों में ।

#### 4.6.1.6 घर-घर जाकर राजस्व वसूली

माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी योजना का सबसे बड़ा लाभ, उनके घर-घर जाकर बिलों की उगाही करने से हुआ । इससे उपभोक्ताओं को न केवल समय की बचत हुई बल्कि वसूली काउंटर केंद्रों पर जाने का परिवहन खर्च भी बचा । सर्वेक्षण किए गए सभी उपभोक्ताओं से पता चला कि एम एफ एफ प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत सुविधाजनक है ।

आकृति 4.3 : जेस्कॉम में बिलिंग तथा मुद्रण कार्य करते माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी

### 4.6.2 विफलताएं तथा परिसीमाएं

एम एफ एफ परियोजना से हुए बहुत से लाभों का ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि, हितधारको द्वारा बतायी गई समस्याओं को भी नोट किया जाए ।

#### 4.6.2.1 अपर्याप्त पारिश्रमिक

सर्वेक्षित सभी माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों ने मुख्य समस्या, पारिश्रमिक का कम मिलना बताया । उनकी औसत आमदनी लगभग 1500/- रूपये बतायी गयी । इन प्रैंचाइजियों के अंतर्गत औसतन पाँच गांव आते हैं । सर्वेक्षित इन सभी माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों ने शिकायत की वे मीटर पठन, बिल वितरण तथा बिल मुद्रण की डयूटियां निष्पादित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काउंटर वसूलियों, जिसे उनकी वसूलियों में दर्शाया नहीं गया है, का कोई लाभ नहीं मिला है । उनकी आमदनी उनके द्वारा प्राप्त लक्ष्य के आधार पर है जबकि सीधे काउंटरों पर वसूली के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं ।

#### 4.6.2.2 उगाही लक्ष्य

माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी प्रत्येक तिमाही में आधार रेखा लक्ष्यों को पूर करते हैं, और यदि उपलब्धि इससे अधिक होती है तो अगली तिमाही के लिए उनके लक्ष्य में वृद्धि कर दी जाती है । हालांकि कुछ मामलों में वे मौसमी कारणों से लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते तथा उन्हें जुर्माना देना पड़ता है । बहुत से प्रैंचाइजियों ने यह शिकायत की उन्हें पारिश्रमिक उनके कार्य के आधार पर नहीं दिया जाता ।

### 4.6.2.3 यूटिलिटी द्वारा भुगतान में विलंब

अधिकांश माइक्रों फीडर प्रैंचाइजियों ने शिकायत की कि उन्हें भुगतान मासिक आधार पर नहीं किया जा रहा है। अधिकतर मामलों में भुगतान 3 महीनों के बाद होता है । कुछ प्रैंचाइजियों का परिवहन पर अधिकतम रूपये 1200/- तक खर्च होता है तथा भुगतान में विलंब होने का अर्थ है माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों का गंभीर आर्थिक समस्या से गुजरना ।

### 4.6.2.4 माइक्रो फीडर प्रैंचाईजियों को प्रशिक्षण का अभाव

सर्वेक्षित सभी 12 माइक्रो फीडर प्रैंचाईजियों ने बताया कि उन्हें केवल कार्य प्रणाली शुरू करने के समय एक प्रशिक्षण दिया गया था । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मीटर पठन, यूनिटों के लिए बिलिंग, बिल वसूली, उपभोक्ताओं के साथ वैयक्तिक संपर्क तथा बिल वसूली के लिए उपभोक्ता को प्रेरित करना शामिल था । हालांकि, प्रैंचाइजियों की यह राय थी कि उन्हें मामूली घरेलू मरम्मतों का निपटान करने जैसे प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ।

### 4.6.2.5 स्थानीय लोगों को नियोजित करने के दोष

यद्यपि एक स्थानीय व्यक्ति को एम एफ एफ के रूप में नियोजित करने से अभिगम्यता में वृद्धि हुई है तथा उसके बहुत से लाभ हैं, किंतु कुछ मामलों में देखा गया है कि जो व्यक्ति स्थानीय लोगों के साथ वर्षों से रह रहा हो,उसका उनको विद्युत बिलों का भुगतान करने के लिए बोलना मुश्किल हो जाता है । कुछ मामलों में सूचना मिली कि, चूंकि एम एफ एफ एक स्थानीय व्यक्ति है,अत: कोई उसकी सुनता ही नहीं ।

### 4.6.2.6 स्पॉट बिलिंग मशीनों की आपूर्ति कम होना

पूरे क्षेत्र में एक हस्त प्रयोगी मशीन को दो माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश प्रैंचाइजियों ने बताया कि स्पॉट बिलिंग मशीनों की आपूर्ति एक प्रमुख समस्या है । प्रैंचाइजियों ने बताया कि यदि प्रत्येक को एक स्पॉट बिलिंग मशीन दिया जाना सुविधाजनक होगा । कुछ मामलों में माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों ने बताया कि उन्हें बिल वसूली के लिए आठ गांवों तक में जाना पड़ता है तथा इस प्रकार एक साझी मशीन से काम चलाना मुश्किल हो जाता है ।

### 4.6.2.7 काम न करने वाले एम एफ एफ का मुद्दा

आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 12% माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी कार्य छोड़ चुके हैं तथा 1% से भी कम का कार्य समाप्त कर दिया गया है । कार्य छोड़कर जाने वाले प्रैंचाइजियों का मुख्य कारण उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलना था । अधिकांश यूटिलिटियों ने बताया कि उनकी मासिक औसतन आय 1500/- रूपये थी । चूंकि परिवहन का खर्च अधिक था तथा कार्य भी थकाऊ था, इसलिए अधिकांश माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों की यह राय थी कि उन्हें कम से कम रूपये 2000/- प्रति माह मिलना चाहिए ।

### 4.6.2.8 वर्षों के दौरान एम एफ एफ रचना में गिरावट

यह नोट करने योग्य है कि जून 2004 में तीन प्रभागों के अंतर्गत 339 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों ने कार्य शुरू किया, जिसमें से 39 प्रैंचाइजियों ने कार्य त्याग दिया तथा तीन के कार्य की समाप्ति कर दी गई । हालांकि, प्रैंचाइजियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। यह इस वजह से हुआ कि लोगों ने निम्नलिखित कारणों से प्रैंचाइजी बनने का विरोध किया:-

- अपर्याप्त पारिश्रमिक ।
- यूटिलिटी द्वारा उनको पारिश्रमिक का भुगतान करने में विलंब ।

- परिवहन खर्च ज्यादा होना तथा कुछ मामलों में गांव ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हैं जहां पर सार्वजनिक परिवहन से नहीं पहुंचा जा सकता ।
- बैंक जमा अदायगी अथवा बैंक गारंटी देने में परेशानी ।

### 4.6.2.9 आर जी जी वी वाई योजना के प्रति जागरूकता

गुलबर्गा जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अनुमोदन हो चुका है । योजना में एच टी लाइनों, एल टी लाइनों जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन तथा ग्रामीण आवासों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का प्रावधान करना शामिल है । हालांकि, साक्षात्कार किए गए सभी माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी आर जी जी वी वाई योजना से परिचित नहीं थे ।

### 4.6.2.10 विद्युत भुगतान में सब्सिडियां अवरोधन के रूप में

कुछ मामलों में, सब्सिडियां भुगतान वसूली में आड़े आ रही हैं । उदाहरणार्थ भाग्यज्योति योजना के मामले में, विद्युत उपयोग करने के लिए कुछ न्यूनतम भुगतान करना होगा । हालांकि, साक्षात्कार किए गए सभी उपभोक्ताओं में से केवल एक उपभोक्ता ही ऐसा मिला जो इस योजना के अंतर्गत रूपये 10/- प्रति माह की दर से भुगतान करता है ।

### 4.6.2.11 प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी का भुगतान करने में असमर्थता

नियमानुसार माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के लिए सामान्य श्रेणी हेतु रूपये 50,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिए रूपये 25,000/- प्रतिभूति जमा अथवा बैंक गारंटी के रूप में भुगतान करना होगा । ज्यादातर मामलों में यह देखा गया कि लोग इस राशि को अदा करने में असमर्थ हैं । साक्षात्कार किए गए सभी 12 माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों ने अपेक्षित धनराशि की बैंक गारंटी दे दी है ।

---

## 4.7 तंत्र का पुन: प्रतिरूपण

ग्राम विद्युत प्रतिनिधि की समस्याओं से निपटने के लिए यूटिलिटी की राय के अनुसार जनवरी 2007 से गुलबर्गा जिले में जेस्कॉम द्वारा एम एफ एफ नामक परिशोधित प्रस्ताव शुरू किया गया है ।

प्रस्तावित माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के प्रस्ताव के लिए निम्नवत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अपेक्षित है:-

- बिलिंग तथा बिल वसूली की जानकारी सहित एसएसएलसी/ बारहवी/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । आई टी आई प्रशिक्षित अथवा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को वरियता दी जाएगी
- स्थानीय ग्राम पंचायत का सहमति पत्र ।
- उम्मीदवार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 40 एच पी श्रेणी से कम एल टी -1, एल टी-2, एल टी-3 तथा एल टी-5 के 30 दिनों की औसत राजस्व मांग के लिए एक बैंक गारंटी देनी होगी ।

प्रस्तावित एम एफ एफ के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों में शामिल हैं:-

- मीटर पठन, बिलिंग, बिलों का वितरण तथा राजस्व वसूली करना ।
- वसूल की गई धनराशि को बिना किसी बहाने के जेस्कॉम द्वारा अभिहित किए गए कार्यालय में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस को जमा करना ।
- यूटिलिटी को क्षेत्र की जानकारी के संबंध में आवधिक रूप से फीडबैक देना ।
- विद्युत बचत तथा सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में सभी उपभोक्ताओं को जानकारी देना ।

.ग्रामीण आवासियों को पहचान कर उनको विद्युत आपूर्ति कनैक्शनों को उपलब्ध कराने में सहायता करना ।

नए प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभ में संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी तथा निष्पादन मूल्यांकन तथा जेस्कॉम के एम डी के निर्णय के आधार पर उपयुक्त समझे जाने पर उसे ऐसी अगली अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा । माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक मामूली भिन्न प्रोत्साहन फीस संरचना का पालन किया जाएगा ।

हालांकि, नये प्रस्ताव में सुझाए गए बदलावों के बावजूद यूटिलिटी ने बताया कि जिले में प्रैंचाइजी अभियानों में कोई प्रमुख बदलाव नहीं किया गया है । पूर्व में विद्यमान ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य को एम एफ एफ द्वारा किया जा रहा है तथा जेस्कॉम ने इन माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों को कोई अतिरिक्त कार्य अथवा जिम्मेदारी नहीं दी है । वास्तविक एम एफ एफ प्रस्ताव के कार्यान्वयन न होने का मुख्य कारण तकनीकी जनशक्ति का अभाव होना था तथा प्रतिभूति जमा के समक्ष भुगतान करने में लोगों की असमर्थता का होना है ।

प्रैंचाइजी के अभियानों में सहायता देने के लिए यूटिलिटी ने माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों को, क्षेत्र में यूटिलिटी के तकनीकी स्टॉफ की सहायता प्राप्त करने का विकल्प दिया है । यूटिलिटी ने सूचित किया कि ग्राम पंचायतों में उपभोक्ताओं तथा प्रैंचाइजी की समस्याओं के संबंध में उप प्रभाग कार्यालय में मासिक बैठकों को आयोजित किया जा रहा है ।

प्रैंचाइजियों, यूटिलिटी के अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत यह महसूस किया गया कि एम एफ एफ के चयन में पारदर्शिता बरती गई है तथा इस प्रकार एक व्यक्ति विशेष के एम एफ एफ के रूप में कार्य करने से उनका कोई मुख्य सरोकार नहीं है तथा अधिकांश लोग इस तंत्र से संतुष्ट हैं। तथापि, यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रैंचाइजी के रूप में कार्य करने के लिए प्रैंचाइजी का न्यूनतम रूप से डिप्लोमा धारक अथवा स्नातक होना चाहिए । व्यक्ति विशेष आर्थिक रूप से सक्षम हो, कार्य में पूर्णतया प्रशिक्षित हो तथा यह भी आवश्यक है कि प्रोत्साहन कार्य निष्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाए । अंतिम सुझाव महत्वपूर्ण है कि कई बार यह देखा गया है कि एम एफ एफ द्वारा भरा गया जुर्माना, बिल वसूली में मौसमी परिवर्तनों के कारण प्राप्त किए गए प्रोत्साहन से अधिक हो जाता है ।

## 4.8 निष्कर्ष

जेस्कॉम में प्रैंचाइजी तंत्र तथा आने वाली आर जी जी वी वाई योजना में दिए गए लक्ष्यों में, तथा जिले के क्षेत्र में दौरा करने के समय काफी अंतराल देखा गया । हितधारकों के साथ हमारे संपर्कों के आधार पर विद्यमान एम एफ एफ मॉडल पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जा सकती हैं:-

- इससे राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई है । बिलों को समय पर बनाया तथा वितरित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जिले में बिलिंग तथा वसूली कुशलता (दिसंबर 2004 में 87% से दिसंबर 2006 में 94%) में वृद्धि हुई है ।

- कम शिक्षित कुछ व्यक्तियों को रोजगार मिला है ।

- एम एफ एफ के कार्य करने वाले व्यक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त, सुविज्ञ तथा आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए तथा उसके पास इन अभियानों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ स्टाफ भी होना चाहिए ।

- एम एफ एफ कार्य के तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर प्रत्येक तिमाही में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ।

- गांवों में विद्यमान एस एच जी की व्यवस्था के उपयोग के विकल्प को एम एफ एफ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ।

- प्रैंचाइजी का पारिश्रमिक इतना आकर्षक नहीं है जिससे कि इसे धारणीय बनाया जा सके ।

- प्रैंचाइजियों को, फीडर लाईनों के रखरखाव करने तथा दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक विद्युत दोषों की मरम्मत करने तथा उनका एक रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ।

यूटिलिटी ने, ट्रंसफार्मर स्तर से प्रैंचाईजी को उप संविदाकारी बनाने का सुझाव दिया । यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि प्रैंचाइजी को प्रत्येक ट्रंसफार्मर के लिए रूपये 500/- प्रति माह तथा लाईन रखरखाव के लिए प्रत्येक किलोमीटर हेतु रूपये 200/- प्रति माह कमीशन दिया जाना चाहिए ।

## अध्याय 5 : निष्कर्ष तथा सिफारिशें

तीन राज्यों के निर्धारित किए गए जिलों में कार्यरत प्रैंचाईजी तंत्रों ने, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब विद्युत वितरण के निवारण के संबंध में एक प्रयास है । तंत्र ने स्थानीय लोगों को रोजगार तथा व्यापार के अवसर प्रदान किए हैं । इससे उपभोक्ता शिकायतों में कमी आयी है तथा इसने सभी चारों जिले में सामाजिक/आर्थिक विकास में योग दिया है । यूटिलिटी को भी विशेष रूप से उपभोक्ताओं के साथ उनके संपर्क से लाभ हुआ है । जिले की राजस्व उगाही में सुधार हुआ है तथा बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है, हालांकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तीनों राज्यों में तंत्र के पुन:प्रतिरूपण करने की आवश्यकता है । प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य आगत आधारित प्रैंचाइज तंत्र को अपनाएं, जिसके अंतर्गत प्रैंचाइजी को बहुमात्रा आपूर्ति टैरिफ पर विद्युत बेची जाती है तथा उसे वितरण करने का पूरा कार्य प्रैंचाइजियों को सौंप दिया जाता है । राज्यों में प्रैंचाईज तंत्र की सफलता तथा राजस्व निरंतरता के लिए विद्युत वितरण तथा गांवों की कायाकल्प करने के लिए हेतु व्यावसायिक तथा उद्यमशील दृष्टिकोण के समिश्रण से एक मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है । इसे सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कुछ सिफारिशें की जाती हैं :-

- योजना की सफलता के लिए प्रैंचाइज विकास हेतु एक मजबूत दल बनाने की आवश्यकता है । यूटिलिटी, निगमित स्तर पर एक महाप्रबंधक (प्रैंचाइज विकास) के नेतृत्व में 5-6 सदस्यों का एक सशक्त दल तैयार करे । किसी राज्य विशेष की आवश्यकता के आधार पर, अंचल/जिला स्तर पर महाप्रबंधक के सहायतार्थ एक उपमहाप्रबंधक भी होना चाहिए । इस दल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तथा उन्हें प्राप्त करने की अवधि तय की जाए । कार्यरत/भावी प्रैंचाइजियों की सुरक्षा तथा स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए दल को, न्यूनतम 2 वर्षों की एक अवधि हेतु नियुक्त किया जाए ।

- सक्षमता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया, तंत्र की सफलता की कुंजी है । इस प्रक्रिया में आवेदक की तकनीकी तथा आर्थिक समर्थता, सक्रिय रूचि तथा दीर्घकालिक कारोबारी लक्ष्य, अच्छी अभिवृत्ति, सीखने की योग्यता तथा व्यवसाय की कुशाग्रता पर विचार करने की आवश्यकता है । विद्युत अथवा सार्वजनिक यूटिलिटी क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा ।

- प्रैंचाइजी तथा प्रैंचाइजर के बीच हस्ताक्षरित कारारनामें में स्पष्ट रूप से, कार्य का क्षेत्र तथा दोनों पक्षों के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया जाए । प्रैंचाइजियों के समक्ष प्रैंचाइजर के प्रारंभिक दायित्व तथा करारनामों में प्रैंचाईजर के अग्रगामी दायित्व का एक प्रावधान किया जाना चाहिए । सामान्यत: विरोध के क्षेत्रों में प्रैंचाइजर द्वारा विदित अन्यथा-कथन, मौखिक सहमतियां जो औपचारिक कारारनामों में लिखित रूप से नहीं है जैसे असमान व्यवहार, ऐच्छिकता, दिशा-निर्देशों का अननुपालन तथा प्रैंचाईजर से पर्याप्त समर्थन न मिलना आदि शामिल है । एक अपरिभाषित साझेदारी प्रैंचाइजी तथा प्रैंचाइजर दोनों के लिए घाटे का कारण बन सकती है ।

- प्रैंचाइज संविदा में प्रैंचाइजी को, ऑपरेशन शुरू करने के लिए कारारनामों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक परिभाषित समय की रूपरेखा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए । अवधि का उपयोग प्रैंचाइजी द्वारा, प्रैंचाइज अवसंरचनाओं का संकलन तथा सर्वेक्षण करने के लिए किया जा सकता है । इस अवधि के दौरान प्रैंचाइजर भी, उनकी ओर से सभी सूचनाओं (जैसे उपभोक्ता सूची, उपभोक्तावार विद्युत भार का संक्षिप्त विवरण, चूककर्ता उपभोक्ता इत्यादि) का विवरण समेकित करके उसे प्रैंचाइजियों को उपलब्ध कराए ।

- अंतर्राष्ट्रीय रूप से, प्रतिरूपी प्रैंचाइज संविदा की अवधि 3 से 6 वर्षों की होती है । ग्रामीण विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रैंचाइज संविदा न्यूनतम 3 वर्षों के लिए होनी चाहिए, जिसके अनुबंध में निर्मित उद्यम को छोड़ने के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र तथा दोनों पक्षों को संविदा से बाहर आने की शर्तें शामिल हो ।

- विभिन्न तकनीकी पहलुओं तथा व्यावसायिक, सामाजिक तथा प्रबंधकीय पहलुओं पर प्रैंचाइजियों की क्षमता में विस्तार करने की आवश्यकता है । अन्यथा, लंबे समय में योजना विफल हो सकती है तथा हताहत होने की घटना भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रैंचाइजी तकनीशियन वर्तमान में कुछ लाईन रखरखाव तथा फ्यूज ऑफ मरम्मतों का कार्य भी निष्पादित कर रहे हैं । यहां लगातार उपभोक्ता जागरूकता तथा विभिन्न स्तरों पर यूटिलिटी कर्मचारियों की क्षमता में विस्तार भी होना चाहिए तथा नियमित रूप से सभी हितधारकों से संबद्ध शिकायत निवारण और अनुभव आदाना प्रदान करने के लिए विचार-विमर्श मंच आयोजित होने चाहिए ।

# संलग्नक

# संलग्नक

---

---

## संलग्नक I.1

---

---

## विचारार्थ विषय

1. क्या प्रैंचाइजी, आरईसी द्वारा जारी प्रैंचाइजी दिशा-निर्देशों के अनुसार, काम कर रहा है ।
2. क्या प्रैंचाइजी, दिनांक 18 मार्च 2005 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम कर रहा है ।
3. वसूली तंत्र, वसूल राजस्व तथा प्रैंचाइजी के प्रोत्साहन ।
4. वैयक्तिक, एन जी ओ, एस एच जी, सहकारी समिति, पंचायत में से कौन सा प्रैंचाइजी-विशेषकर आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त है ।
5. क्या प्रैंचाइजी एक संगठित समूह अथवा एक गैर संगठित समूह है ।
6. प्रैंचाइजी तंत्र की अनुदेश प्रणाली-आगत आधारित अथवा संग्रहण आधारित है ।
7. प्रैंचाइजी के नियुक्ति की प्रणाली, राज्य यूटिलिटी के साथ प्रलेखीकरण तथा प्रैंचाइजी के लिए तैयार किया गया महौल।
8. प्रैंचाइजी के चयन के लिए क्रियाविधि, प्रतिभूति जमा मार्जिन तथा अन्य स्रंबंधित मामले तथा प्रैंचाइजी के चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी ।
9. नियुक्त किए गए प्रैंचाईजी कार्यरत हैं अथवा नहीं ।

10. प्रैंचाइजी तंत्र में अनुभव, विफलताए, यदि कोई हो तो, अनुभवों के आधार पर पुन:प्रतिरूपण करना ।
11. प्रैंचाइजियों के सम्मुख समस्याएं – तकनीकी अथवा वित्तीय समस्याओं का किस प्रकार निवारण किया जा सकता है ।
12. प्रैंचाइजी के संस्थापन के परिणामस्वरूप राजस्व वसूली पर प्रभाव ।
13. प्रैंचाइजी के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण ।
14. प्रैंचाइजी, उपभोक्ताओं की शिकायतों ही नहीं बल्कि विद्युत आपूर्ति के घंटों के संबंध में मामूली मरम्मतों विषयक, शिकायतों का निवारण किस प्रकार करेंगे ।
15. क्या प्रैंचाइजी सभी श्रेणियों को मांग पर कनैक्शन उपलब्ध करवा रहे हैं । विशेषकर क्या इसमें कोई विलंब हुआ है अथवा बी पी एल तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास कनैक्शन उपलब्ध कराने में भेदभाव किया गया है ।
16. प्रैंचाइजी तंत्र शुरू करने में स्थानीय रोजगार जैसे सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े हैं ।

---

**कार्य क्षेत्र**

मूल्यांकन में निम्नलिखित बातें शामिल होगी:-

1. जिले तथा गांवों में तैनात किए गए प्रैंचाइजियों की संख्या – आर जी जी वी वाई अथवा गैर आर जी जी वी वाई गांव।
2. प्रैंचाइजी की किस्म – वैयक्तिक, एन जी ओ, स्व: सहायता समूह सहकारी समिति, पंचायत।
3. आर ई सी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रैंचाइजी का मॉडल कौन सा है, अर्थात आगत आधारित अथवा संग्रहण आधारित।
4. प्रैंचाइजी के संस्थापन से पूर्व तथा संस्थापन के उपरांत राजस्व वसूली।
5. यदि आगत आधारित है तो प्रैंचाइजी के संस्थापन से क्षतियां तथा प्रैंचाइजी के संस्थापन के उपरांत राजस्व वसूली।
6. (क) मामूली तकनीकी मरम्मत; (ख) बिलिंग; (ग) लेखाकरण; तथा (घ) अन्य संबंधित मामलों में प्रैंचाइजी का विद्यमान कौशल तथा प्रैंचाइजी की शैक्षिक पृष्ठभूमि ।
7. प्रैंचाइजी की चयन प्रक्रिया क्या थी।
8. प्रैंचाइजी की आर्थिक समर्थता।
9. प्रैंचाइजी के लिए विपुल विद्युत आपूर्ति टैरिफ तथा प्रैंचाइजी का खुदरा टैरिफ ।
10. गारंटी के भुगतान की राशि तथा कितने महीनों के लिए गारंटी ली गई तथा भुगतान न किए जाने पर क्या मॉडल पर कोई जुर्माना किया गया है ।
11. प्रैंचाइजी द्वारा आवृत्त किए गए उपभोक्ताओं की संख्या वर्गीकरण सहित तथा क्या प्रैंचाइजिंग के उपरांत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है ।
12. प्रैंचाइजी का बिल-चक्र।
13. प्रैंचाइजी की बिल वसूली कुशलता तथा प्रैंचाइजियों को प्रोत्साहन संरचना ।
14. क्या प्रैंचाइजी बिलिंग, मीटर पठन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।
15. क्या प्रैंचाइजी अन्य मामूली मरम्मतों, फ्यूज-कॉलों आदि में शामिल हैं तथा इससे क्या प्रभाव पड़ा हैं।
16. प्रैंचाइजी तथा एस ई बी/डिस्कॉम के बीच संबंध ।
17. क्या एस ई आर सी द्वारा निर्धारित विपुल आपूर्ति टैरिफ, यदि ऐसा हो तो, प्रैंचाइजी के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है तथा जहां एस ई आर सी ने इसे निर्धारित नहीं किया है, वहां डिस्कॉम/एस ई बी ने विपुल आपूर्ति टैरिफ निर्धारित किया है तो, सेवा प्रदान करने में प्रैंचाइजी के अपने खर्चों पर विचार करते हुए, क्या यह व्यवहार्य है ।
18. क्या राज्य आगत आधारित प्रैंचाइजी की ओर बढ़ रहा है अथवा नहीं, जहां पर यह नहीं है, वहां क्या प्रैंचाइजी ऐसा महसूस करते हैं कि ऑपरेशनों को अच्छा तथा और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए, वर्तमान तंत्र की तुलना में यह एक अधिक सक्षम तंत्र होगा।

मूल्यांकन न्यूनतम 30 गांवों को शामिल करते हुए यादृच्छिक प्रतिरूपण आधार पर किया जाए तथा इन जिलों में प्रैंचाइजी को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है:-

| एजेंसी | राज्य | जिला | प्रैंचाइजियों के अंतर्गत गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|
| टी ई आर आई | उत्तर प्रदेश | बुलंद शहर | 369 |
| टी ई आर आई | उत्तरांचल | पौढ़ी गढ़वाल (एस एच जी) | - |
| | कर्नाटक | उत्तर कन्नड (हुबली) (आगत आधारित) | 884 |
| | | बीजापुर (बीजापुर) (जी वी पी) | 572 |

मूल्यांकन क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर किया जाए, उपभोक्ताओं तथा प्रैंचाइजी के साथ साक्षात्कार फोटोग्राफ सहित, रिपोर्ट के साथ फाईल किए जाएं ।

---

संलग्नक II.1

---

**भारतीय गैर न्यायिक**

**एक सौ रूपये** **Rs. 100**
**रू. 100** **ONE HUNDRED RUPEES**

**भारत INDIA**

**INDIA NON JUDICIAL**

---

**मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड**
**ब्लॉक नं.-7, तृतीय तल, शक्तिभवन, जबलपुर**

**<u>मसौदा प्रैंचाइजी करारनामा प्रपत्र</u>**

यह करारनामा आज दिनांक 27 दिसंबर 2006 को प्रथम पक्षकार के रूप में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जबलपुर में है, (यहां इसे कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक उसके संदर्भ अथवा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों को अंतर्भूत तथा समुनुदेशित करेगी)
तथा
द्वितीय पक्षकार के रूप में चंद्रभान सिंह/हरनारायण सिंह, जिनका पंजीकृत कार्यालय चाँदी चोपड़ा

में है (यहां इसे प्रैंचाइजी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक उसके संदर्भ तथा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों को अंतर्भूत तथा समनुदेशित करेगी) ।

जबकि प्रथम पक्ष इस तथ्य से सहमत है कि द्वितीय पक्ष कंपनी से विद्युत खरीद कर उसे, प्रथम पक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, गांव चाँदी चोपड़ा तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.) के उपभोक्ताओं को बेचेगा तथा,

जबकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के उक्त समानुपात से सहमत है ।

**इसलिए, अब, पूर्ववर्ती परिक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तथा इसमें घोषित किए गए पारस्परिक अनुबंधों तथा शर्तों पर विचार करते हुए दोनों पक्ष एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:-**

**<u>आपूर्ति की शर्तें</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रैंचाइजी का उत्तरदायित्व | (क) | मीटर पठन, बिल वितरण, राजस्व वसूली करना तथा नये कनैक्शनों को लगाने की जिम्मेवारी प्रैंचाइजी की होगी । |
| | | (ख) | प्रैंचाइजी उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु पर्याप्त रूप से तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति करेगा |
| | | (ग) | प्रैंचाइजी विद्युत अधिनियम 2003 में दिए गए उपबंधों, नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा । |
| 2. | कंपनी(म प्र पू क्षे वि क लि) का उत्तरादायित्व | (क) | कंपनी वितरण ट्रंसफार्मरों के रखरखाव को संपन्न करेगी । |
| | | (ख) | कंपनी अपने खर्च पर वितरण ट्रंसफर्मरों का संस्थापन तथा कमीशन करेगी । |
| | | (ग) | कंपनी दोष मरम्मत सहित लाईनों के रखरखाव का कार्य अपने खर्च पर करेगी । |
| | | (घ) | प्रैंचाइजी के क्षेत्र में संस्थापित कुल वितरण ट्रंसफार्मरों में 12% खराब ट्रंसफार्मरों को कंपनी अपने खर्च पर बदलेगी । इस परिसीमा से ज्यादा खराब हुए ट्रंसफार्मरों को कंपनी प्रैंचाइजी के खर्च पर बदलेगी । |
| | | (च) | क्षेत्र की सुपुर्दगी से पूर्व, कंपनी उपयुक्त डी ओ फोस्सी, एल टी कट-आऊट तथा उपलब्ध कराई अर्थिंग को सुनिश्चित करने के लिए वितरण ट्रंसफार्मरों के रखरखाव का कार्य करेगी । कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि वितरण ट्रंसफार्मरों पर विद्युत भार, रबी मौसम में अस्थायी कृषि पंप कनैक्शनों पर दिए गए विद्युत भार सहित, अधिकृत भार के 80% से अधिक नहीं होना चाहिए । |
| 3. | आपूर्ति स्थल | (क) | प्रैंचाइजी को विद्यमान – वितरण ट्रंसफार्मरों (सूची के अनुसार) के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाएगी । मीटरों को प्रत्येक ट्रंसफार्मर के एल टी की तरफ संस्थापित किया जाएगा ताकि प्रैंचाइजी को आपूर्ति की गई यूनिटों को मापा जा सके । |
| 4. | वितरण ट्रंसफार्मर के मीटरों का पठन | (क) | सर्वप्रथम डी टी आर मीटरों का पठन, प्रैंचाइजी को क्षेत्र का कार्यभार सौंपने के दिन, किया जाएगा । मीटर पठन संयुक्त रूप से, कंपनी के प्रतिनिधि तथा प्रैंचाइजी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किए गए कर्मी के द्वारा किया जाएगा । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ख) | तदोपरांत, मीटर पठन महीने के पहले दिन कंपनी के प्रतिनिधि तथा प्रैंचाइजी द्वारा लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, संयुक्त रूप किया जाएगा । |
| 5. | विद्यमान अवसंरचना का विस्तार | (क) | विद्यमान अवसंरचना के विस्तार करने का निर्णय पूर्णतया कंपनी के विवेक पर होगा । जब कभी यह आवश्यक हो जाता है तो एच टी /एल टी लाईनों का विस्तार कंपनी अपने खर्च पर करेगी । |
| 6. | टैरिफ | (क) | प्रैंचाइजी को रूपये 1.00 प्रति यूनिट की दर से बेस लाईन टैरिफ में आपूर्ति की गई सभी यूनिटों के लिए बिल (कर तथा उपकर को छोड़कर) दिया जाएगा । प्रैंचाइजी को बिल की राशि का भुगतान, बिल जारी होने की तिथि से, सात दिनों के अंतर्गत करना होगा । |
| | | (ख) | उपरोक्त उल्लेखित बेस दर के अलावा कर तथा उपकर की राशि, जो प्रैंचाइज्ड् क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिल में दी गई है, का भुगतान भी प्रैंचाइजी को करना होगा । बिल क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) द्वारा जारी किया जाएगा तथा जिसका भुगतान बिल निर्गम तिथि से सात दिनों के अंतर्गत करना होगा । |
| | | (ग) | संबंधित प्रभाग का प्रभारी, कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार बेस टैरिफ को अर्थात प्रैंचाइज के अवार्ड से पूर्व आगत की प्रत्येक यूनिट की उगाही दर, (20% तक कम/ज्यादा) घटा/बढ़ा सकता है । |
| 7. | प्रैंचाइजी की स्थिति | (क) | ग्राम पंचायत/एन जी ओ/स्व: सहायता समूह ने जिस प्रैंचाइजी को चुना है, वह कंपनी का प्रैंचाइजी होगा । उन्हें प्रैंचाइज्ड् क्षेत्र के अंतर्गत कंपनी के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति तथा उपरोक्त मद सं.1 में उल्लेखित अन्य कार्यों हेतु प्राधिकृत किया जाएगा । |
| 8. | ऊर्जा मीटर | (क) | कंपनी, प्रैंचाइजी के अनुरोध पर सभी विद्यमान अथवा भावी उपभोक्ताओं को ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराएगी । |
| | | (ख) | बंद अथवा खराब मीटरों को कंपनी अपने खर्च पर बदलेगी । हालांकि, जले हुए अथवा क्षतिग्रस्त मीटरों को आपूर्ति संहिता 2004 के अनुसार बदला जाएगा । |
| 9. | फ्यूज ऑफ कॉलें | (क) | फ्यूज ऑफ कालों पर कार्रवाईन प्रैंचाइजी के स्टाफ द्वारा की जाएगी । |
| 10. | राजस्व वसूली | (क) | कंपनी प्रैंचाइजी द्वारा प्रस्तुत किए गए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | मीटर पठन के आधार पर, उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी करेगी । |
| | | (ख) | प्रैंचाइजी बिल में दर्शायी गई राशि अथवा टैरिफ से अधिक की मांग नहीं कर सकते । |
| | | (ग) | उपभोक्ता से प्राप्त राजस्व को प्रैंचाइजी अपने पास रखेंगे । |
| 11. | उपभोक्ता शिकायतों | (क) | प्रैंचाइजी उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण तत्परता से करेंगे । उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण से संबंधी किसी मामले में कंपनी स्टाफ की सहायता चाहने पर, वह उपलब्ध करायी जाएगी । |
| | | (ख) | विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अधिनियम के तहत स्थापित निवारण मंच, प्रैंचाइजी के क्षेत्र में निर्बाधित रूप से कार्य करता रहेगा । प्रैंचाइजी, मंच को सभी प्रकार की सहायता प्रस्तुत करेगा । |
| 12. | प्रैंचाईजी द्वारा स्टाफ का नियोजन | (क) | इस कार्य के लिए प्रैंचाईजी द्वारा नियोजित व्यक्ति/स्टॉफ किसी भी समय, किसी प्रकार के नियोजन के लिए कोई दावा नहीं करेंगे । |
| | | (ख) | प्रैंचाईजी को कुछ लाईन स्टाफ, जिन्हें लाईनों पर कार्य करने का अनुभव हो, नियुक्त करेगा । उनके पास ओवरहैड लाइसेंस भी होना चाहिए । |
| 13. | विद्युत आपूर्ति का डिस्कनेक्शन | (क) | प्रैंचाइजी द्वारा देय तिथि तक वियोजन बिल का भुगतान न किए जाने पर/आंशिक भुगतान करने पर कंपनी 15 दिनों का नोटिस देते हुए विद्युत आपूर्ति को वियोजित कर देगी । विद्युत बिलों के भुगतान में चूक करना जारी रहने पर कंपनी 30 दिनों का नोटिस देते हुए प्रैंचाइजी के अनुबंध को समाप्त कर देगी । |
| | | (ख) | प्रैंचाइजी द्वारा लगातार बिलों का भुगतान न करने की स्थिति में, कंपनी बिजली के बकाया बिलों को प्रतिभूति जमा की राशि से समायोजित कर लेगी तथा ऐसी स्थिति में प्रैंचाइजी को कंपनी द्वारा मांगी गई राशि की नई प्रतिभूति जमा को मांग-पत्र के 15 दिनों के अंतर्गत जमा करना होगा । |
| 14. | प्रतिभूति जमा | (क) | प्रैंचाइजी को, मूल्यांकित खपत के आधार पर दो महीनों के औसत के बराबर की धनराशि की प्रतिभूति जमा करना अपेक्षित है । |
| 15. | करारनामा | (क) | प्रैंचाइजी द्वारा एक करारनामा पर हस्ताक्षर करनाअपेक्षित है । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ख) | करारनामे पर कंपनी की ओर से क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) तथा प्रैंचाइजी द्वारा अधिकृत किए गए प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अधिकृत करने की कार्रवाई को ग्राम पंचायत/एन जी ओ/स्व सहायता समूह के संकल्प द्वारा विधिवत रूप से समर्थित किया जाए । |
| | | (ग) | करारनामे को तीन महीने के नोटिस पर प्रैंचाइजी अथवा कंपनी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा । |
| 16. | पूर्व बकायों की वसूली | (क) | प्रैंचाइज्ड् क्षेत्र में कंपनी द्वारा पुराने बकायों, प्रैंचाइज के शुरू होने से पूर्व, को वसूल करने की कार्रवाई को किसी भी प्रकार से प्रैंचाइजी अथवा उसके प्रतिनिधि अथवा उसके कर्मचारी द्वारा रोका नहीं जाएगा । कंपनी के स्टाफ द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की काटी गई बिजली आपूर्ति को, क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) की लिखित अनुमति के बिना पुन: जोड़ा नहीं जाएगा । |
| | | (ख) | प्रैंचाइजी द्वारा ऐसे पुराने बकायों की उगाही करने के मामले में प्रैंचाइजी वसूल की गई राशि के 25% प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार होंगे । उगाही गई राशि को कंपनी में जमा करने पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । |
| 17. | अधिभार | (क) | अधिभार का परिकलन लागू टैरिफ के अनुसार किया जाएगा । |
| 18. | नये सेवा/अस्थायी कनैक्शन उपलब्ध कराना | (क) | नये कनैक्शन के लिए औपचारिकताएं, जैसा कि आपूर्ति संहिता 2004 में दी गई हैं, प्रैंचाइजी द्वारा की जाएगी । |
| | | (ख) | स्वीकृत तथा लगाये गये नये कनैक्शनों के अभिलेख का रखरखाव प्रैंचाइजी करेगा । उसे निर्धारित प्रपत्र (आर-3) में नये उपभोक्ता का ब्यौरा क्षेत्र के कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) को भेजना होगा । |
| 19. | कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी | (क) | कृषि कनैक्शनों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सब्सिडी को कंपनी अपने पास रखेगी । |
| 20. | बकायों की वसूली हेतु डी आर ए | (क) | प्रत्येक कनैक्शन धारक कंपनी का उपभोक्ता रहेगा । उपभोक्ताओं पर बकायों के प्रोदभवन होने की स्थिति में प्रैंचाइजी, कंपनी को, डी आर ए के तहत वसूली करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकता है । |
| 21. | संविदा अवधि | (क) | प्रारंभ में संविदा को अवधि, मार्च में समाप्त दो (2) वित्तीय वर्षों के लिए होगी । |

(ख) संविदा की अवधि को प्रैंचाइजी के कार्य निष्पादन के आधार पर पुन: एक (1) वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा । हालांकि, ऐसी विस्तारित अवधि में विपुल विद्युत आपूर्ति की दर पुन: निर्धारित की जाएगी ।

22. विवादों का समाधान (क) संविदा अवधि के दौरान उत्पन्न सभी विवादों का निपटान परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा किया जाएगा । हालांकि, कंपनी के कार्यपालक इंजीनियर (ओ एंड एम) का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रैंचाइजी को उसे मानना होगा ।

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम
पता

2. नाम
पता

प्रैंचाइजी के हस्ताक्षर

नाम
पता

गवाह के हस्ताक्षर
नाम

मोहर

कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम

मोहर कार्यपालक इंजीनियर
म प्र पू क्षे वि वि कं लि.
दमोह (एस)

# संलग्नक

**सारणी I दमोह जिले में ग्रामीण क्षेत्र प्रैंचाइजी विकास की प्रगति** संलग्नक-II-2

| क्रमांक | गांव का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | प्रभाग का नाम | सर्किल का नाम | डीटीआर | उपभोक्ता की संख्या | | | | | | | | | प्रैंचाइजी को जारी करने से पूर्व राजस्व उगाही प्रति यूनिट | प्रैंचाइजी को प्रति यूनिट जारी दर | प्रैंचाइजी का नाम | प्रैंचाइजी को सौंपने की तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | डी एल एफ | सी एल एफ | एफ/ एम | डब्ल्यू/ डब्ल्यू | कृषि पंप | स्ट्री. लाईट | एस एल पी | अन्य | योग | | | | | |
| 1 . | पीपारिया | हटनी पीपारिया | दमोह दक्षिण | दमोह | 1 X 63 | 16 | 1 | | | | | | | 17 | रा.0.15 प्र.यू. | रू. 1.00 प्र. यू. + कर एवं उपकर | श्री रितेश साह, बड़ा पुल दमोह | 26.7.06 | दिनांक 18.11.06 को बंद किया गया |
| 2. | बिसना खेड़ी | बिसना खेड़ी | दमोह दक्षिण | दमोह | 1 X 100 | 51 | | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 25 | 104 | रा. 0.21 प्र.यू. | रू. 1.00 प्र. यू. + कर एवं उपकर | श्री राजेश सिंह बिसना खेड़ी | 26.7.06 | |
| 3. | कनिया घाट पाटी | बिसना खेड़ी | दमोह दक्षिण | दमोह | 1 X 100 | 23 | | | | 1 | 24 | 9 | 15 | 72 | रा. 0.23 प्र.यू. | रू. 1.00 प्र. यू. + कर एवं उपकर | श्री मेघराज सिंह | 09.11.06 | |
| 4. | रोंद | रोंद | दमोह दक्षिण | दमोह | 1 X 100 | 53 | 4 | 2 | | 1 | 6 | 9 | 44 | 110 | रा. 0.25 प्र.यू. | रू. 1.00 प्र. यू. + कर एवं उपकर | श्री सत्येन्द्र सिंह | 18.10.06 | |
| 5. | चोपड़ा | चोपड़ा | दमोह दक्षिण | दमोह | 1 X 100 | 41 | 1 | | | 1 | 9 | | | 52 | रा. 0.25 प्र.यू. | रू. 1.00 प्र. यू. + कर एवं उपकर | श्री चंद्र भान सिंह | 27.12.06 | |

संलग्नक-III-1

एकल प्वाइंट विद्युत आपूर्ति योजना (दिसंबर 2006 के अनुसार)

| सं. | उप प्रभाग | एजेंसी का नाम | क्रमांक | गांव | स्टाफ की सं. | डी क्षमता (केवीए) | डी टी सुपुर्दगी का महीना | उपभोक्ता | डी टी (कि. वॉ.) में दर्ज औसत मासिक यूनिट | राजस्व मांग (रूपये/माह) | एस पी एस एस तंत्र के बाद ए आर आर (रूपये/ माह) | एस पी एस एस तंत्र से पूर्व ए आर आर (रूपये/ माह) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामागुड़ी | मो. ए बी सिद्दीकी | 1 | हातीपुखुरी | 4 | 100 | सितंबर 05 | 45 | 3253 | 6558 | 5455.99 | 4467 |
| | | | 2 | ताराबाड़ी | | 100 | फरवरी 05 | 81 | 3824 | 9228 | 8383 | 5660 |
| | | | 3 | गेहुवा चलचली(उत्तर) | | 63 | दिसम्बर 05 | 23 | 1067 | 4178 | 4098 | 3903.38 |
| | | | 4 | गेहुवा चलचली(पूर्व) | | 63 | दिसम्बर 05 | 12 | 338 | 1121 | 1121 | 993 |
| | | | 5 | गेहुवा चलचली नामपारा | | 16 | दिसम्बर 05 | 5 | 149 | 560.55 | 477 | 108 |
| 2 | कालियाबोर | दिलीप बोरा | 6 | बागमारी | | 63 | अगस्त 06 | 48 | 3965 | 9543 | 9543 | 8177 |
| | | | 7 | गोहन गांव | | 63 | अगस्त 06 | 12 | 1621 | 4154 | 4154 | 2124 |
| 3 | ढींग | नब प्रभात एस एच जी | 8 | कादामनी | 3 | 100 | जनवरी 06 | 79 | 2435 | 10624 | 10624 | 2360 |
| | | | 9 | बाटामारी | | 100 | जनवरी 06 | 87 | 1532 | 6155 | 6155 | 1812 |
| | | | 10 | बाटामारी (आर ई) | | 25 | जनवरी 06 | 16 | 888 | 3050 | 3050 | न्यू आर ई |
| | | | 11 | सुनाई बेड़ा | | 63 | जनवरी 06 | 16 | 305 | 997 | 997 | न्यू आर ई |
| | | | 12 | रामपुर सतरा | | 63 | जनवरी 06 | 31 | 1204 | 3819 | 3819 | न्यू आर ई |
| | | | 13 | धुपागुड़ी कचरीगांव | | 63 | जनवरी 06 | 12 | 492 | 1548 | 1546 | 711 |
| 4 | | पंचजन्य कल्याण केन्द्र | 14 | ओनियाती सतरा | 4 | 63 | दिसम्बर 05 | 102 | 2173 | 7428 | 7426 | 1848 |
| | | | 15 | निज़ ढींग | | 63 | दिसम्बर 05 | 61 | 1147 | 3680 | 3680 | 619 |
| | | | 16 | बारभेटी (ढींग) | | 63 | दिसम्बर 05 | 94 | 3312 | 10849 | 8000 | 1351 |
| | | | 17 | सोनारीगांव | | 63 | दिसम्बर 05 | 136 | 3422 | 12171 | 12171 | 8245 |
| 5 | | टाटा शक्ति आत्म सहायक गुट | 18 | मुकुन्द भाटी | 4 | 63 | जनवरी 06 | 52 | 1353 | 4189 | 3230 | 1141 |
| | | | 19 | जहाजन फुरकानी अटी | | 63 | जनवरी 06 | 49 | 1928 | 8044 | 8044 | 1138 |
| | | | 20 | चेनीमारी बील | | 63 | जनवरी 06 | 10 | 1269 | 3749 | 3749 | 782 |
| 6 | | नजरूल इस्लाम खान | 21 | गोरिया कवलमारी | | 63 | नवंबर 06 | 40 | | | | |
| 7 | काठीटोली | ध्रुवज्योती समाज | 22 | कचुआ तिनिमाली | 4 | 250 | जनवरी 05 | 93 | 11901 | 24787 | 21156 | 10968.61 |
| | | | 23 | गेरजेपाम | | 250 | जुलाई 05 | 79 | 5132 | 11042 | 9421 | 19610.17 |
| 8 | | कर्मायुगी | 24 | कठकटिया | 4 | 63 | मई 05 | 83 | 3888 | 8551 | 7409 | 8080.99 |
| | | | 25 | कुहीमारी | | 63 | सितंबर 05 | 59 | 1365 | 5836 | 3849 | 2088 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | मोहम्मद सलाम | 26 | रंगालो गांव | 4 | 25 | नवंबर 05 | 18 | 326 | 2990 | 2550 | 1047.58 |
| | | | 27 | हियाग्रांट | | 25 | दिसंबर 05 | 14 | 426 | 1959 | 1559 | 694.17 |
| | | | 28 | सगुनबाही | | 63 | दिसंबर 05 | 13 | 425 | 2829 | 2611 | 774.83 |
| 10 | | मो. महिबुर रहमान | 29 | पुब-जमुना | 2 | 63 | नवंबर 05 | 30 | 2686 | 8419 | 5903 | 2095 |
| 11 | | मिलीजुली आत्म सहायक | 30 | कांधुलीमारी | 3 | 25 | नवंबर 05 | 26 | 512 | 2757 | 2525 | 1215 |
| 12 | | मो. निजामुद्दीन | 31 | दखिन चंगमाजी | 2 | 63 | नवंबर 06 | 11 | 331 | 1708 | 1350 | 256.5 |
| | | | 32 | चंगमाजी | | 25 | नवंबर 06 | 15 | 588 | 2311 | 1978 | 2608.67 |
| 13 | | एंथोनी बंगरा | 33 | हियाबस्ती | 2 | 25 | फरवरी 06 | 17 | 334 | 801 | 482 | 149.17 |
| 14 | | राजीब कुर्मी | 34 | काफ्फीटोली | 2 | 16 | जुलाई 06 | 11 | 403 | 925 | 824 | 354.17 |
| 15 | | बिलाल अहमद | 35 | पाटीदया | 2 | 63 | मार्च 06 | 26 | 414 | 2497 | 2129 | 2812.5 |
| 16 | | बिमल दास | 36 | रंगलूमुख | 2 | 100 | जनवरी 06 | 57 | 3698 | 8086 | 6908 | 5021 |
| 17 | | नसीरुद्दीन लस्कर | 37 | सिमलाई पाथर | 2 | 100 | मई 06 | 33 | 1316 | 4076 | 3512 | 367.5 |
| 18 | | गोंभीर बोरा | 38 | बकुला गुड़ी | 2 | 250 | जून 06 | 165 | 11901 | 24787 | 21156 | 10968.61 |
| 19 | | अब्दुल गोनी | 39 | रोवरपर | 2 | 63 | जुलाई 06 | 48 | 2055 | 6803 | 5002 | 4001 |
| 20 | | स्वपन कुमार दास | 40 | घरघडियाल | 2 | 100 | जुलाई 06 | 82 | 3432 | 12919 | 9002 | 634.38 |
| 21 | लंका | मो. नूरअहमद | 41 | नखुती | 3 | 63 | जनवरी 05 | 56 | 1500 | 20000 | 17000 | 5000 |
| | | | 42 | नखुती-1 | | 25 | जनवरी 05 | 11 | 500 | 8000 | 6800 | 2000 |
| 22 | | रॉय इलेक्ट्रीकल | 43 | बोरदोलोंग | 12 | 63 | जून 05 | 73 | 4000 | 12000 | 10200 | 5000 |
| | | | 44 | लालुंगडुबी | | 63 | जुलाई 05 | 74 | 2500 | 1200 | 10200 | 5000 |
| | | | 45 | फर्मापुर | | 100 | जून 05 | 37 | 1500 | 10000 | 8500 | 3000 |
| | | | 46 | खड़ीखाना | | 63 | दिसंबर 05 | 55 | 4500 | 15000 | 12750 | 5000 |
| 23 | | उत्तम मजूमदार | 47 | खड़ीखाना बिलगांव | 4 | 63 | जुलाई 05 | 9 | 300 | 1000 | 850 | |
| | | | 48 | खड़ीखाना गांव | | 63 | जुलाई 05 | 11 | 400 | 1200 | 1020 | |
| 24 | | रैनो एस एच जी | 49 | 1 नं. ब्लॉक – 6 नं. ब्लॉक | 3 | 63 | दिसम्बर 05 | 28 | 500 | 1200 | 1020 | |
| 25 | | समभारत 'ओ' | 50 | 1 नं. रामनगर | 12 | 63 | जुलाई 05 | 27 | 1000 | 4000 | 3400 | 1000 |
| | | जनहित हंगती | 51 | पांडुबस्ती | | 63 | मई 05 | 41 | 1500 | 8000 | 5100 | 2000 |
| | | संस्था | 52 | जयसागर | | 25 | अप्रैल 06 | 27 | 1000 | 4000 | 3400 | 1000 |
| | | | 53 | जयसागर | | 16 | जुलाई 06 | 14 | 1500 | 6000 | 5100 | 1500 |
| | | | 54 | खिंग खिरिंग | | 100 | दिसंबर 05 | 69 | 6000 | 8000 | 6800 | 3000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 55 | अज़रबाड़ी (रास्सिया आर/एम) | | 25 | अप्रैल 05 | 40 | 1500 | 4000 | 3400 | 1500 |
| | | | 56 | अजरबाड़ी (पॉल आर/एम) | | 63 | जुलाई 06 | 27 | 1000 | 4000 | 3400 | 2000 |
| | | | 57 | अजरबाड़ी (नाथ आर/एम) | | 63 | दिसंबर 05 | 108 | 5000 | 15000 | 12750 | 5000 |
| | | | 58 | अजरबाड़ी | | 16 | मई 06 | 37 | 1500 | 5700 | 4845 | 2500 |
| | | | 59 | कंडूरा | | 16 | दिसंबर 06 | 41 | 1500 | 5500 | 4675 | 2000 |
| | | | 60 | दाखिन कंडूरा | | 25 | दिसंबर 05 | 20 | 600 | 2300 | 1955 | 500 |
| 26 | | बिश्वाकर्मा | 61 | लखीपुर | 6 | 100 | अत्तूबर 05 | 59 | 4000 | 15000 | 12750 | 5000 |
| | | | 62 | भालुकमारी | | 250 | जून 06 | 165 | 7000 | 25000 | 21250 | 5000 |
| | | | 63 | पमगांव | | 63 | नवंबर 05 | 67 | 1900 | 7000 | 5950 | 2000 |
| | | | 64 | जोरा पुखुड़ी | | 63 | फरवरी 06 | 111 | 4500 | 22000 | 18700 | 5000 |
| | | | 65 | काकी मार्कैटिंग | | 63 | दिसंबर 05 | 149 | 9000 | 35000 | 29750 | 10000 |
| 27 | एन ई एस डी-II | नूरूल आमीन | 66 | हटीपारा कैंडुटॉल | 15 | 100 | मई 05 | 81 | 3768 | 10348 | 10348 | 2643.35 |
| | | | 67 | धेपाजन नजदीक स्कूल | | 100 | मई 05 | 82 | 5058 | 17244.8 | 17244.8 | 12645 |
| | | | 68 | धेपाजन मुस्लिम गांव | | 100 | सितंबर 05 | 77 | 5796 | 10598 | 10598 | 8859 |
| | | | 69 | बेंगनाटी हेरागांव | | 100 | अत्तूबर 05 | 111 | 6580 | 19739 | 19739 | 4932.15 |
| | | | 70 | मोरीकोलोंग बकुलतल | | 100 | जून 05 | 86 | 6568 | 20457 | 20457 | 6831.6 |
| | | | 71 | कुटेयानी | | 100 | दिसंबर 05 | 87 | 3852 | 11706 | 11706 | 9068.95 |
| | | | 72 | न्यू मारांग्याल | | 100 | दिसंबर 05 | 91 | 2594 | 10722 | 10722 | 8256.25 |
| | | | 73 | तेलीपट्टी | | 500 | दिसंबर 05 | 541 | 18087 | 68866.66 | 68866.66 | 56258.6 |
| 28 | | उदोय इलैक्ट्रीकल | 74 | अनिल पुर | 3 | 100 | फरवरी 05 | 175 | 30000 | 73249.3 | 73249.3 | 12192.4 |
| 29 | | मंसूर अहमद | 75 | भुटाई अटी | 5 | 250 | फरवरी 05 | 224 | 26000 | 62000 | 62000 | 9648 |
| 30 | | अनुपम हजारिका एण्ड लखीराम देका | 76 | बोरा गांव | 5 | 63 | दिसंबर 05 | 45 | 2575 | 7021.05 | 7021.05 | 6980.25 |
| | | | 77 | कचामारी | | 100 | नवंबर 05 | 69 | 7000 | 15000 | 15000 | 5738 |
| | | | 78 | बहुआ बेटी | | 63 | दिसंबर 05 | 44 | 1285 | 4948.82 | 4948.82 | 3761.25 |
| | | | 79 | सिमोलुगुड़ी (असोमिया गांव) | | 63 | दिसंबर 05 | 35 | 1327 | 4555.42 | 455.42 | 3648.25 |
| | | | 80 | बामुन गांव | | 63 | दिसंबर 05 | 14 | 780 | 2340.21 | 2340.21 | 2806.35 |
| 31 | | मो. समसुद्दीन | 81 | नरामारी | 2 | 63 | जुलाई 05 | 46 | 5913 | 5500 | 5500 | 2405.8 |
| 32 | | अब्दुल सलाम | 82 | भकटगांव | 3 | 100 | जुलाई 05 | 72 | 7574 | 1708.7 | 1708.7 | 10113.05 |
| 33 | | मो. हबीबुर रहमान | 83 | सिंगारी पी एच ई | 10 | 63 | दिसंबर 05 | 27 | 1467 | 4886.82 | 4886.82 | 3015.25 |
| | | | 84 | माहगुडी नं.-1 | | 25 | दिसंबर 05 | 34 | 1395 | 3714.29 | 3714.29 | 2900.25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 85 | अलीतानगनी ओल्ड | | 63 | दिसंबर 05 | 63 | 1295 | 4404.41 | 4404.41 | 2658.65 |
| | | | 86 | उडमारी | | 63 | दिसंबर 05 | 56 | 4319 | 12933.35 | 12933.35 | 6754 |
| | | | 87 | फकाली पाथर | | 63 | दिसंबर 05 | 32 | 1853 | 5092.25 | 5092.25 | 2967 |
| | | | 88 | सिंगारी बाजार | | 63 | मार्च 06 | 44 | 2146 | 6755.08 | 6755.08 | 4630.15 |
| | | | 89 | जामुगुडी | | 63 | मार्च 06 | 25 | 1024 | 3622.24 | 3622.24 | 2748.55 |
| | | | 90 | फकली (सिमोलुगुडी) | | 63 | मार्च 06 | 19 | 1120 | 3363.16 | 3363.16 | 2469.35 |
| | | | 91 | गंधुआ पाथर | | 25 | मार्च 06 | 16 | 810 | 2360.88 | 2360.88 | 1826.65 |
| | | | 92 | दिघाली अली | | 25 | मार्च 06 | 36 | 1575 | 4651.78 | 4671.76 | 3396.25 |
| 34 | | मो. अबुल बसर | 93 | माहगुडी नं.-2 | 2 | 25 | दिसंबर 06 | 21 | 857 | 2150.8 | 2150.08 | 1646.15 |
| 35 | | मो. हरमुज अली | 94 | कालियादिंग काचरीगांव | 5 | 25 | दिसंबर 05 | 12 | 433 | 1189.3 | 1189.3 | 890.25 |
| | | | 95 | कालियादिंग काचरीगांव | | 63 | दिसंबर 05 | 25 | 2441 | 7212.02 | 7212.02 | 5426.65 |
| | | | 96 | पुब कालियादिंग | | 16 | दिसंबर 05 | 18 | 321 | 824.1 | 824.1 | 526.35 |
| | | | 97 | पुब कालियांदिंग | | 63 | दिसंबर 05 | 25 | 1420 | 4341.19 | 4341.09 | 2155 |
| | | | 98 | कालियादिंग | | 63 | दिसंबर 05 | 27 | 742 | 20624.28 | 20624.28 | 15260.37 |
| 36 | | नबोदय एस एच जी | 99 | हेरापट्टी | 7 | 100 | दिसंबर 05 | 20 | 957 | 2635.95 | 2635.95 | 1926.65 |
| | | | 100 | कटमारी ग्रांट | | 25 | दिसंबर 05 | 18 | 1025 | 3093 | 3093 | 2165.36 |
| | | | 101 | काटीमारी पाथर | | 63 | दिसंबर 05 | 60 | 720 | 2504.1 | 2504.1 | 1526.35 |
| | | | 102 | तकौबाड़ी | | 63 | दिसंबर 05 | 61 | 2033 | 5605 | 5605 | 4626.75 |
| | | | 103 | सोलमारी दखिन लॉगांव | | 63 | दिसंबर 05 | 60 | 891 | 3489.68 | 3489.68 | 2348.95 |
| 37 | | मो. सफीकुल इस्लाम | 104 | बेलताली | 3 | 100 | दिसंबर 05 | 60 | 3754 | 15012.64 | 15012.64 | 6595 |
| | | कृषक कल्याण एस एच जी | 105 | लॉगांव दखिन | | 25 | मार्च 06 | 60 | 1246 | 3535.4 | 3535.4 | 2723.45 |
| | | | 106 | रॉवमारी | | 63 | मार्च 06 | 29 | 2000 | 6234.52 | 6234.52 | 5654.63 |
| 38 | | फकुल इस्लाम | 107 | जुरिया पी एच ई | 3 | 250 | अप्रैल 06 | 147 | 2340 | 5253.97 | 5253.97 | 4837.26 |
| 39 | | भूपेन्द्र सिंह | 108 | जलाह तंगामी | 5 | 100 | जून 06 | 60 | 3321 | 11505 | 11505 | 10325.65 |
| | | | 109 | डाकरघाट/बामुगांव | | 63 | जून 06 | 63 | 1498 | 5578 | 5578 | 4968.66 |
| | | | 110 | सियालमारी | | 25 | जून 06 | 72 | 2277 | 7981.35 | 7981.35 | 6521.26 |
| | | | 111 | डाकरघाट | | 63 | जून 06 | 34 | 4498 | 13161 | 13161 | 12864.25 |
| 40 | | बुबुल सैकिया | 112 | तेलिया बेबेजिया (तेलियागांव) | 4 | 63 | अप्रैल 06 | 73 | 1804 | 4545.93 | 4545.93 | 4130.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 113 | तेलिया बेबेजिया (बामुनगांव) | | 100 | अप्रैल 06 | 109 | 3345 | 9861.4 | 9861.4 | 8926.25 |

संलग्नक III-2

**सर्वेक्षण किए गए प्रैंचाइजी के डी टी आर वितरण क्षति का सार**

| प्रैंचाइजी | गांव डी टी क्षमता | उपभोक्ता (सं.) | दर्ज यूनिट (के डब्ल्यू एच) | | अंतर (के डब्ल्यू एच) | क्षति (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपभोक्ता मीटर | डीटी मीटर | | |
| श्री भूपेन्द्र सिंह | सियालमारी 63 के वी ए | 66 | 2465 | 3130 | 665 | 21.25 |
| | | | 2902 | 3474 | 572 | 16.46 |
| | | | 3061 | 3534 | 473 | 13.38 |
| | जारानी 63 केवीए | 32 | 870 | 1074 | 204 | 18.99 |
| | | | 864 | 1112 | 248 | 22.30 |
| | बामुनगांव 63 केवीए | 55 | 1832 | 2014 | 182 | 9.04 |
| | | | 1651 | 2194 | 543 | 24.74 |
| | | | 2031 | 2130 | 99 | 4.647 |
| | जलाह तंगानी 100 केवीए | 105 | 4270 | 4467 | 197 | 4.41 |
| | | | 3934 | 4392 | 458 | 10.42 |
| | | | 4190 | 4212 | 22 | 0.52 |
| मो. हबीबुर रहमान | उडमारी 63 केवीए | 65 | 6281 | 7794 | 1513 | 19.41 |
| | | 65 | 4500 | 7100 | 2600 | 36.61 |
| | फकूली पाथर 63 केवीए | 37 | 2711 | 3105 | 394 | 12.68 |
| | | 37 | 4102 | 4674 | 572 | 12.23 |
| मो. फकरूल इस्लाम | जुरिया पीएचई 250 केवीए | 136 | 15597 | 18480 | 2883 | 15.60 |
| | | 136 | 18273 | 23040 | 4767 | 20.69 |
| | | 136 | 14413 | 17600 | 3187 | 18.10 |
| मो. नूरूल आमीन | देपांजन 100 केवीए | लागू नहीं | 7866 | 9188 | 1322 | 14.38 |
| | | लागू नहीं | 6401 | 8124 | 1723 | 21.21 |
| | | लागू नहीं | 5853 | 7744 | 1891 | 24.42 |
| समभारत 'ओ' जनहित हंगती संस्था | रामनगर 63 केवीए | 31 | 859 | 1200 | 341 | 28.42 |
| | | 31 | 973 | 1080 | 107 | 9.907 |
| | | 32 | 866 | 900 | 34 | 3.78 |
| | कंडुरा 25 केवीए | 42 | 1252 | 1600 | 348 | 21.75 |
| | | 42 | 1213 | 2641 | 1428 | 54.07 |
| | | 43 | 1326 | 2483 | 1157 | 46.59 |
| बिश्वकर्मा इलैक्ट्रीकल्स | रानीपुकुरी 63 केवीए | 155 | 7978.7 | 8400 | 421.3 | 5.01 |
| | | 160 | 9721 | 11850 | 2129 | 17.96 |
| | | 165 | 10402 | 12780 | 2378 | 18.61 |
| | लखीपुर 100 केवीए | 69 | 3922 | 4720 | 798 | 16.91 |
| | | 69 | 3754 | 4880 | 1126 | 23.07 |
| | | 69 | 5073 | 6120 | 1047 | 17.11 |

संलग्नक – IV-1

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

दूरभाष : 08472)256581
फैक्स : (08472) 256842

निगमित कार्यालय
मेन रोड, गुलबर्ग

---

सं. जेस्कॉम/एम आई आई आर डी/जीवीपी-एमएफएफ दिनांक: 16.03.2006

सेवा में,

कार्यपालक इंजीनियर(वैद्युत)
ओ एव एम प्रभाग जेस्कॉम,
गुलबर्ग-I, गुलबर्ग-II, यादगिर, बीडार, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी व होस्पेट ।

महोदय,

विषय: **ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के रूप में परिवर्तन करने विषयक ।**

संदर्भ: 1. **बगलौर में दिनांक 22.02.2006 को मुख्य सचिव द्वारा आयोजित आर जी जी वी वाई के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।**

**2. अध्यक्ष, एस्कॉम्स के दिनांक 03.03.2006 के अर्द्धशासकीय पत्र सं. के पी टी सी/बी 36/1102-एफ आई बी एफ/जी-2005**

।।।।।।

आगत आधारित प्रैंचाइजिंग को शामिल करने तथा राजस्व में सुधार के उद्देश्यों को प्राप्त करने, विद्युत वितरण नेटवर्क के रखरखाव तथा वसूली का सूत्रपात करने के लिए ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों में परिवर्तित करने के एक मॉडल की संक्रियात्मक रूपरेखा संलग्न है । यह इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति से संबंधित विस्तृत प्रकार्यों को निष्पादित करने तथा वाणिज्यिक क्षति को कम करने के प्रयासों को केंद्रित करने में हमारी कंपनी के लिए उपयोगी रहेगा ।

कंपनी के पूरी क्षेत्राधिकार में जेस्कॉम के पास 999 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि हैं । फरवरी 2006 के अनुसार ओ एवं एम प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 939 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि (जीवीपी) कार्यरत हैं तथा उनमें से 226 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त हैं, जो कि वर्तमान में कंपनी में कार्यरत हैं ।

विद्यमान योग्यता प्राप्त ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों (जिनके पास तकनीकी योग्यता, अर्थात् विद्युत में आई टी आई, विद्युत में डिप्लोमा कोर्स तथा बी ई इलैक्ट्रीकल्स योग्यता, है) को, उनके संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जो पूर्व में 1.4.2006 से जेस्कॉम के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए हैं, मीटर पठन, बिलिंग, बिल वितरण, राजस्व वसूली और बिजली की मामूली शिकायतों को दूर करने संबंधी कार्यभार सौंपने के द्वारा माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी के रूप में परिवर्तित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए ।

बिलिंग लक्ष्य, राजस्व वसूली लक्ष्य तथा पारिश्रमिक प्रतिरूप वही रहेंगे जो कि विद्यमान ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों (जी वी पी) के लिए निर्धारित हैं तथा व्यवहार में हैं ।

रूपांतरित किए गए माइक्रो फीडर प्रैंचाइजियों के साथ नया अनुबंध करने के लिए समझौता ज्ञापन का एक प्रतिरूप इसके साथ संलग्न है ।

ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को दिनांक 31.3.2006 तक माइक्रो फीडर प्रैंचाईजी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा इसकी जानकारी इस कार्यालय को दी जाए ताकि इस मॉडल को कार्यरूप दिया जा सके ।

भवदीय,

हस्ता/- 16/3/2006
प्रबंध निदेशक
जेस्कॉम, गुलबर्गा

**प्रतिनिधि:-**

1. मुख्य परियोजना प्रबंधक, आइ ई सी, बंग्लौर ।
2. मुख्य इंजीनियर (विद्युत), निगमित योजना, जेस्कॉम, गुलबर्गा ।
3. मुख्य इंजीनियर (विद्युत), ओ एवं एम अंचल, गुलबर्ग एवं बेल्लारी ।
4. लेखा नियंत्रक, निगमित कार्यालय, बेल्लारी, गुलबर्ग, अंचल तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा, गुलबर्गा ।
5. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत), ओ एवं एम सर्किल, जेस्कॉम, गुलबर्गा ।
6. जेस्कॉम गुलबर्गा के सभी ए ई ई- को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. अध्यक्ष के निजी सचिव, एस्कॉम एवं एम डी, के पी टी सी एल, कावेरी भवन, बंगलौर को सूचनार्थ प्रेषित ।
8. प्रबंध निदेशक जेस्कॉम गुलबर्गा के निजी सचिव को प्रबंध निदेशक के सूचनार्थ प्रेषित ।
9. निदेशक तकनीकी जेस्कॉम, गुलबर्गा के निजी सचिव को निदेशक तकनीकी के सूचनार्थ प्रेषित ।
10. वित्त सलाहकार, जेस्कॉम, गुलबर्गा के निजी सचिव को वित्त सलाहकार के सूचनार्थ प्रेषित ।
11. माइक्रो फीडर प्रैंचाइजी ।

**संलग्नक – IV-2**

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (गुलबर्गा ग्रामीण उप प्रभाग) के तहत प्रभाग-वार गांवों, प्रैंचाइजी का ब्यौरा दर्शाती विवरणी**

| क्रमांक | एम एफ एफ की सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गांव का नाम | आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | उमादेवी | औरद बी. | औरद बी | |
| 2 | | | | अलागुड | |
| 3 | | | | बन्नूर | |
| 4 | | | | अपलोन | |
| 5 | 2 | राचप्पा | भोपाल तेगानूर | भोपाल तेगानूर | |
| 6 | | | | मालागती | |
| 7 | | | | वेंकटबेन्नूर | |
| 8 | | | | इटगा (ए) | |
| 9 | 3 | दयानंद | भीमाली | भीमाली | |
| 10 | | | | केरेभोसगा | |
| 11 | | | | जेसाराबाद | |
| 12 | 4 | शैलेन्द्र | बाबालाड(आई के) | बाबालाड (ए के) | |
| 13 | | | | कस्सूनमड्डी | |
| 14 | | | | कन्नूर | |
| 15 | | | | भूसांगी | |
| 16 | 5 | शिवानंद | धोंगरगांव | धोंगरगांव | |
| 17 | | | | कानाचड्गी | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 18 | 6 | बासवाराज | फरथाबाद | फरथाबाद | |
| 19 | | | | टाड तेगानूर | |
| 20 | | | | सरदगी (बी) | |
| 21 | 7 | राज कुमार | फिरोजाबाद | फिरोजाबार | |
| 22 | | | | नाडिसीनूर | |
| 23 | | | | नाडविनाहल्ली | |
| 24 | | | | सोमनाथ हल्ली | |
| 25 | | | | हसनापुर | |
| 26 | 8 | नागराज | हरसूर | हरसूर | |
| 27 | | | | हल सुलतानपुर | |
| 28 | | | | केरूर | |
| 29 | | | | तवरजीरा | |
| 30 | 9 | सिदूराज | होल्कुंडा जी वी पी | दास्तापुर | |
| 31 | | | | नावाडगी | |
| 32 | | | | होल्कुंडा | |
| 33 | | | | काट्टल्ली | |
| | | | | | |
| 34 | 10 | शरर्णया एस | कुमसी जी वी पी | कुमसी | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 35 | | | | येल्वनतागी | |
| 36 | | | | गंजलखेड | |
| 37 | | | | बेल्लूर | |
| 38 | 11 | संजय कुमार | कल्हनगर्गा | कल्हनगर्गा | |
| 39 | | | | अस्तगा | |
| 40 | | | | जम्बागा | |
| 41 | 12 | मंजूनाथ | कुसुनूर | कुसुनूर | |
| 42 | | | | हगर्गा | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | | आजादपुर | |
| 44 | | | | थांडा | |
| 45 | 13 | दशरथ | खंडाल | खंडाल | |
| 46 | | | | इटागा (के) | |
| 47 | | | | पणेगांव | |
| 48 | | | | सिमुर | |
| 49 | 14 | प्रकाश | होन्ना किरंगी | होन्ना किरंगी | |
| 50 | | | | ब्लॉवडा | |
| 51 | | | | टिलागुल | |
| 52 | | | | कुसुनूर | |
| 53 | 15 | सतीश | कवालगा बी | कवालगा | |
| 54 | | | | हगर गुंडगी | |
| 55 | | | | जोगर | |
| 56 | | | | बसनाल | |
| 57 | 16 | विजयलक्ष्मी | कादनी | कादली | |
| 58 | | | | मिनागी | |
| 59 | | | | गरूर बी | |
| 60 | | | | गरूर के | |
| 61 | 17 | कुपेन्द्र | कलमूड | कलमूड | |
| 62 | | | | अन्तापनल | |
| 63 | | | | भूनायर | |
| 64 | | | | कावानल्ली | |
| 65 | | | | दिन्सी थांडा | |
| 66 | | | | भीमानल | |
| 67 | 18 | संजय कुमार | किन्नी सदाक | किन्नी सदाक | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 68 | | | | गोबर बाडी | |
| 69 | | | | नीलकोडी | |
| 70 | | | | बहेनल | |
| 71 | | | | डोर जम्बगा | |
| 72 | 19 | शेख़ ज़हूर | कुड़ी कोटा | कुड़ी कोटा | |
| 73 | | | | सिरगापुर | |
| 74 | | | | याकांची | |
| 75 | | | | कादाबुर | |
| 76 | | | | टोंडकल | |
| 77 | | | | अंकालगा | |
| 78 | | | | सिरडोन | |
| 79 | 20 | रवि | मेलकुंडा | मेलकुंडा बी | |
| 80 | | | | मेलकुंडा के | |
| 81 | | | | हंसी हडगिल | |
| 82 | | | | मालिनी | |
| 83 | | | | कडानल | |
| 84 | | | | मचनल | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 21 | देविन्द्र | मरगुट्टी | जीवांगी | |
| 86 | | | | बेलूर | |
| 87 | | | | मरगुट्टी+थांडा | |
| 88 | | | | गोगी के | |
| 89 | | | | मरमंची + थांडा | |
| 90 | | | | मस्लापुर | |
| 91 | | | | पटवडा + थांडा | |
| 92 | 22 | सावन | महागांव | महागांव | |
| 93 | | | | बेल्कोट्टा | |
| 94 | | | | एम जी वाडी | |
| 95 | | | | महागांव थांडा | |
| 96 | | | | महागांव क्रास | |
| 97 | | | | चन्द्र नगर | |
| 98 | 23 | विजय कुमार | नंदीकुर | नंदीकुर | |
| 99 | | | | सीतानुर | |
| 100 | | | | उडानूर | |
| 101 | | | | कोटानूर | |
| 102 | | | | नगनहल्ली | |
| 103 | 24 | बसवाराज | नगूर | नगूर | |
| 104 | | | | टडकल + थांडा | |
| 105 | | | | हरकांची | |
| 106 | 25 | जगदीश | ओकाली | ओकाली | |
| 107 | | | | वारनल + थांडा | |
| 108 | | | | राजनल + थांडा | |
| 109 | | | | भगवान थाना | |
| 110 | | | | नव निहाल | |
| 111 | 26 | जय प्रकाश | पट्टन | पट्टन | |
| 112 | | | | येलावंतगी | |
| 113 | | | | हटगुंडा | |
| 114 | 27 | अनिल | श्रीनिवास सरदागी | श्रीनिवास सरदागी | |
| 115 | | | | ख़जा कोटानूर | |
| 116 | | | | थांडास | |
| 117 | 28 | श्री रेवन सिद्दपा (जीवीपी असक्रिय) | सन्नूर | सन्नूर | |
| 118 | | | | जपूर | |
| 119 | | | | कल बेन्नूर | |
| 120 | | | | बोली वाड | |
| 121 | | | | पाला | |
| 122 | | | | कलनूर | |
| 123 | 29 | महादेव जे. | शरना सिरासगी | शरना सिरासगी | |
| 124 | | | | हडगिल हारूती | |
| 125 | | | | कोल्लूर | |
| 126 | 30 | बालाजी | सोन्ठ | पुरू नायक थांडा | |
| 127 | | | | हरजी नायक थांडा | |

आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | | अगसल थांडा | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | | | | जोथू नायक थांडा | |
| 130 | | | | सरपास किन्नी | |
| 131 | 31 | बसवाराज | ताज सुल्तानपुर | ताज सुल्तानपुर | |
| 132 | | | | सैयद चिंचोली | |
| 71 | 21 | मल्लिकार्जुन | नंदूर | नंदूर बी | |
| 72 | | | | नंदूर के | |
| 72 | | | | धर्मपुर | |
| 73 | | | | केसरतगी | |

**संलग्नक – IV-2**

**राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (कडगांची) के तहत प्रभाग वार गांवों, प्रैंचाईजी का ब्योरा दर्शाती विवरणी**

| क्रमांक | एम एफ एफ की सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गांव का नाम | आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | सुधाकर | संतनूर | संतनूर | |
| 2 | | | | अलूर बी | |
| 3 | | | | वैजापुर | |
| 4 | 2 | दातात्रेय | काडागांची | काडागांची | |
| 5 | | | | धर्माह वाडी | |
| 6 | | | | बसवांत बाडी | |
| 7 | 3 | अमृत | कोडल हंगर्गा | कोडल हंगर्गा टांडा | |
| 8 | | | | दन्नूर | |
| 9 | | | | नीलूर | |
| 10 | 4 | सिद्दारोद | हल्ली सालागर | हल्ली सालागर | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | बालानी | |
| 12 | | | | एली नवादगी | |
| 13 | | | | होन्नाल्ली | |
| 14 | | | | होसाल्ली (मांदेपुर) | |
| 15 | 5 | रमेश | दत्तरगांव | दत्तरगांव एवं टांडा | |
| 16 | | | | लाडा चिंचौली एवं टांडा | |
| 17 | 6 | लक्ष्मीकांत | गोला बी | गोला बी | |
| 18 | | | | रिक्कीनलूर | |
| 19 | | | | केरी अंबालगा | |
| 20 | 7 | चंद्रू | पदासवालगी | नरोना एवं टांडा | |
| 21 | | | | केल्लूर | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 22 | 8 | मालप्पा | बोधन | बोधन एवं वाडी | |
| 23 | | | | गुज बाबलाड | |
| 24 | | | | बिलागुंडा | |
| 25 | 9 | रविन्द्र | कमला नगर | कमला नगर | |
| 26 | | | | काराहरी | |
| 27 | | | | बेत जीवार्गी | |
| 28 | | | | वागाधरी | |
| 29 | | | | सावलगी के | |
| 30 | 10 | भोगन्द्राप्पा | चिंचनसूर | चिंचनसुर | |
| 31 | | | | मल्लाप्पन बाडी | |
| 32 | | | | कोटार्की | |
| 33 | | | | संगोल्गी | |
| 34 | | | | सोडन बाडी | |
| 35 | 11 | सुंदर | श्रीचंद | श्रीचंद | |
| 36 | 12 | उदय कुमार | वी के सल्गार | वी के सल्गार एवं थांडा | |
| 37 | | | | मैडय्या | |
| 38 | 13 | मारूति | अंबाल्गा | अंबाल्गा | |
| 39 | | | | कल कुटगा | |
| 40 | | | | कुड मुड | |
| 41 | 14 | सूर्यकांत | लद मुगली | लद मुगली एवं थांडा | |
| 42 | | | | लेंगटी | |
| 43 | 15 | शामप्पा | निमबार्गा | निमबार्गा | |
| 44 | | | | बोमन हल्ली | |
| 45 | 16 | सिदराम | डांगापुर | डांगापुर | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 46 | | | | बट्टार्गा | |
| 47 | | | | हिट्टल सिरूर | |
| 48 | | | | कुडकी | |
| 49 | 17 | शारबासप्पा | मडियाल | मडियाल एवं थांडा | |
| 50 | 18 | बसवाराज | येलसंगी | चेलसंगी | |
| 51 | | | | बेन्नी सिरूर | |

**संलग्नक – IV-2**

**राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (अलंद) के तहत प्रभाग कर गांवों, फ्रैंचाईजी का ब्योरा दर्शाती विवरणी**

| क्रमांक | एम एफ एफ की सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गांव का नाम | आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | परमेश्वर | आलंगा | आलंगा | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 2 | | | | टडोल्ला | |
| 3 | | | | सिरूर जी | |
| 4 | | | | जंबगा के | |
| 5 | | | | गादिलगांव | |
| 6 | 2 | नागराज | खजूरी | खांडल थांडा | |
| 7 | | | | बबलेश्वर | |
| 8 | 3 | राजेन्द्र | रूद्रवाडी | रूद्रवाडी | |
| 9 | | | | जंबगा आर | |
| 10 | | | | बंगर्गा | |
| 11 | | | | कोटन हिप्पार्गा | |
| 12 | 4 | वेंकटेश | होडलूर | होडलूर | |
| 13 | | | | जबलगा जे | |
| 14 | | | | टूगांव | |
| 15 | | | | अन्नूर | |
| 16 | | | | नंदागुर | |
| 17 | 5 | सोमनाथ | हिरोली | हिरोली | |
| 18 | | | | कोन्ननल्ली | |
| 19 | | | | भीमपुर | |
| 20 | 6 | बसवाराज | निरगुदी | निरगुदी | |
| 21 | | | | मनलागी | |
| 22 | | | | तीर्त | |
| 23 | 7 | चंद्रू | पदसावलगी | पदसावलगी | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | | | चिंचोली बी एंड के | |
| 25 | | | | हेबल्ली | |
| 26 | 8 | शरणबासप्पा | सरसांबा | सरसांबा | |
| 27 | | | | नगलीगांव | |
| 28 | | | | सक्करगी | |
| 29 | 9 | मल्लीनाथ | सवलेश्वर | सवलेश्वर | |
| 30 | | | | किन्नी अब्बास | |
| 31 | | | | अंबेवाद | |
| 32 | 10 | शिवपुत्र | जिदगा | जिदगा | |
| 33 | | | | जंबगा जे | |
| 34 | | | | खानपुर | |
| 35 | | | | शाकपुर | |
| 36 | | | | जिरोली थांडा | |
| 37 | | | | काटल्ली थांडा | |
| 38 | | | | खटराबाद | |
| 39 | 11 | शिवनगौड | दर्गा सिरूर | दर्गा सिरूर | |
| 40 | | | | मोगा बी एंड के | |
| 41 | | | | कोटनूर | |
| 42 | | | | अल्लापुर | |
| 43 | | | | निंगदल्ली | |
| 44 | 12 | मालय्या | मदन हिप्पार्गा | मदन हिप्पार्गा | |
| 45 | 13 | लक्ष्मीपुत्र | निंबल | निंबल | |
| 46 | | | | चलगेरी | |
| 47 | | | | खेड उमर्गा | |
| 48 | 14 | विरेन्द्र पाटिल | होडलगी | होडलगी | |
| 49 | | | | जल्की बी | |
| 50 | | | | मडगुन्की | |
| 51 | 15 | राजेन्द्र | भुस्नूर | भुस्नूर | |
| 52 | | | | जवाली (डी) | |
| 53 | | | | देवांतगी | |
| 54 | 16 | चंद्रकांत | कावल्गा | राजवाल | |
| 55 | | | | कावल्गा | |
| 56 | | | | इकाल्की | |
| 57 | | | | जल्की (के) | |
| 58 | 17 | कारज | कोरल्ली | कोरल्ली एंड हेबीटेशनस | |
| 59 | 18 | पूमिमा | टाडाकल | टाडाकल | |
| 60 | | | | हल टाडाकल | |
| 61 | | | | सुक्रवादी | |
| 62 | | | | वल्वन वादी | |
| 63 | | | | कनमुस | |
| 64 | 19 | अमृत | मुन्नोल्ली | मुन्नोल्ली | |
| 65 | | | | किन्नी संगावी | |
| 66 | | | | देगांव | |
| 67 | 20 | राजेन्द्र | किन्नी सुल्तान | किन्नी सुल्तान | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 68 | | | | चिताली | |
| 69 | | | | सालेगांव | |
| 70 | | | | टेलकुनी | |
| 71 | 21 | | बेलाम्गी | बेलाम्गी | |
| 72 | | | | सनगुन्दा | |
| 73 | | | | बालखेड | |

**संलग्नक – IV-2**

**राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (अफजलपुर) के अंतर्गत प्रभाग-वार गांवों, प्रैंचाईजी वार ब्योरा को दर्शाती विवरणी**

| क्रमांक | एम एफ एफ की संख्या | एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गांवों के नाम | आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | परमेश्वर | करजागी | करजागी | |
| 2 | | | | हुडगिनूर थांडा | |
| 3 | 2 | शिवानंद | मन्नूर | मन्नूर | |
| 4 | | | | होसूर | |
| 5 | | | | हुत्तु वाडी | |
| 6 | | | | शेषगिरीवाडी | |
| 7 | | | | राम नगर | |
| 8 | | | | देवाप्पा नगर | |
| 9 | | | | शिवबाल नगर | |
| 10 | 3 | लक्ष्मर | गौड़ बी | गौड़ बी | |
| 11 | | | | गौड के | |
| 12 | | | | दिकसांगा | |
| 13 | | | | शिरवाल | |
| 14 | | | | बालुन्दगी | |
| 15 | | | | सोना | |
| 16 | 4 | चंदप्पा | अलागी बी | अलागी के | |
| 17 | | | | बोसागा | |
| 18 | | | | दुदांगी | |
| 19 | | | | मंसलपुर | |
| 20 | | | | दिग्गी | |
| 21 | | | | बंकलगा | |
| 22 | 5 | वसंत | उडचन | उडचन | |
| 23 | | | | हिरायल | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 24 | | | | शोवूर | |
| 25 | | | | उडचन हट्टी | |
| 26 | 6 | शिवक्षरणाप्पा | बडल | बडल थांडा | |
| 27 | | | | अर्जुनगी | |
| 28 | | | | अर्जुनगी थांडा | |
| 29 | 7 | मल्लेशी | मशाल | मशाल | |
| 30 | | | | लिंगोली | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 31 | | | | जिवार्गी के | |
| 32 | | | | हैदरा थांडा | |
| 33 | | | | लिंगोली थांडा | |
| 34 | | | | मशाल थांडा | |
| 35 | | | | अलागी थांडा | |
| 36 | 8 | गुरूपद | बल्लूरगी | बल्लूरगी | |
| 37 | | | | मदर्गा | |
| 38 | | | | टेल्लोनी | |
| 39 | | | | जीवार्गी बी | |
| 40 | | | | हिनायक थांडा | |
| 41 | | | | प्लासिंग थांडा | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 9 | शिवशरण | रेवूर बी | रेवूर बी | |
| 43 | | | | रेवूर के | |
| 44 | | | | सिदनूर | |
| 45 | | | | कुलाली | |
| 46 | | | | कुलाली स्टेशन | |
| 47 | 10 | | अटनूर | औरद के | |
| 48 | | | | भोगनल्ली | |
| 49 | | | | अटनूर | |
| 50 | 11 | सिद्दान्ना | मल्लाबाद | चिंचोली | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 51 | | | | मतोली | |
| 52 | | | | हलियाल | |
| 53 | | | | हलियाल थांडा | |
| 54 | | | | मल्लाबाद | |
| 55 | 12 | लक्ष्मीकांत | कोगनूर | कोगनूर | |
| 56 | | | | गौड़गांव | |
| 57 | | | | अंकलगा | |
| 58 | 13 | इअरन्ना | गुडुर | गुडुर | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |
| 59 | | | | नीलूर | |
| 60 | | | | स्टेशन गंगापुर | |
| 61 | | | | गुडुर थांडा | |
| 62 | | | | नीलूर थांडा | |
| 63 | 14 | मालन्ना | बैरामदगी | बैरामदगी | |
| 64 | | | | दिकसांगा बी | |
| 65 | | | | मद्रा बी | |
| 66 | | | | मद्रा x | |
| 67 | | | | वाडाल्ली | |
| 68 | | | | मद्रा थांडा | |
| 69 | | | | वाडाल्ली थांडा | |
| 70 | 15 | उमाकांत | चौडापुर | चौडापुर | |
| 71 | | | | बडनल्ली | |
| 72 | | | | दन्नूर | |
| 73 | | | | इंगली बी | |
| 74 | | | | चिंगेरा | |
| 75 | | | | चौडापुर थांडा | |
| 76 | 16 | मदेप्पा | बन्देरवाद | बन्देरवाद | |
| 77 | | | | तेगाली | |
| 78 | | | | हुविनहल्ली | |
| 79 | 17 | | बिडनूर | बिडनूर | |
| 80 | | | | गोब्बूर के | |
| 81 | | | | औशगल्ली | |
| 82 | | | | हवनूर | |
| 83 | | | | हवनूर | |
| 84 | 18 | गुंडैया | गोब्बूर बी | गोब्बूर बी | |
| 85 | | | | गोब्बूर वाडी थांडा | |
| 86 | | | | गोब्बूर थांडा | |
| 87 | 19 | महादेव | गंगापुर | देवल गंगापुर | |
| 88 | | | | चिकोनल्ली | |
| 89 | | | | बटगेरा | |
| 90 | 20 | मल्लिकार्जुन | हसरगुन्दगी | हसरगुन्दगी | |
| 91 | | | | सिरसागी | |
| 92 | | | | टक्काली | |
| 93 | | | | उमर्गा | |
| 94 | | | | सगनूर | |
| 95 | | | | किरसावलगी | |
| 96 | | | | केकर सावालगी | |
| 97 | | | | चिनमल्ली | |
| 98 | 21 | सिदराम | अनूर | अनूर | |
| 99 | | | | गोलनूर | |
| 100 | | | | गुड्डेवाडी | |
| 101 | | | | बिलवाड के | |
| 102 | | | | बिलवाड बी | |
| 103 | | | | कोलनूर | |
| 104 | | | | टेल्लूर | |
| 105 | 22 | महार्थ | कल्लूर | कल्लूर | |
| 106 | | | | घट्टरगा | |
| 107 | | | | अवाल्गा | |
| 108 | | | | इनचगेरा | |
| 109 | | | | केशापुर | |
| 110 | | | | बनहट्टी | |
| 111 | | | | शिपुर | |
| 112 | | | | इंगल्ली के | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आर जी जी वाई के अंतर्गत शामिल |

**संलग्नक – IV-2**

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रभाग वार गांवों, फ्रैंचाइज वार ब्यौरे को दर्शाती विवरणी**
**प्रभाग का नाम : ओ एवं एम प्रभाग – II, जेस्कॉम, गुलबर्गा**

| क्र. सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | गांव का नाम | आर जी जी वी वाई योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री नगेन्द्र | मालागट्टी | शंकरवाडी | |
| 2 | श्री विजय कुमार | टोनसानल्ली | तारानल्ली, गोला (के) | |
| 3 | श्री प्रकाश | होनागुंटा | वादरावाडी, खादीहल्ली | |
| 4 | श्री संजीव कुमार | मर्थुरा | देवंटेगनूर, मर्थुरा, अल्लदिहल्ल | |
| 5 | श्री श्री वसंत कुमार | पेतसिरूर | मुगुलनगांव, बालूनायकथांडा, बेन्नूर, महानगरथांडा, काटमदेवराहल्ली | |
| 6 | श्री मारेप्पा | सन्नाट्टी | बुलिदगेरा, बन्नाती, रामपुरहल्ली, मारातगी, कंगनहल्ली | |
| 7 | श्री मरेन्ना | कमरवाडी | सुलाहल्ली, अल्लूर, चौकीथांडा | |
| 8 | श्री रमेश | हलाकट्टा | बलवाडगी | |
| 9 | श्री नागराज | रवूर | लक्ष्मीपुरवाडी | |
| 10 | | भंकूर | भंकूरवाडा, मुटगा, टारिथांडा | रिक्त |
| 11 | | इंगलागी | कुन्नूर | रिक्त |
| 12 | | नलवार | नलवार स्टेशन, कुबरहल्ली | रिक्त |
| 13 | | कडबूर | मलाग, कुड़ाकुंडा, टूननूर, सुगुर, चंनूर | रिक्त |
| 14 | | कोल्लूर | टाराकासापेत, शम्परहल्ली | रिक्त |

संलग्नक – IV-2

**प्रभाग का नाम : ओ एवं एम प्रभाग-II, जेस्कॉम, गुलबर्गा**

| क्र.सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राप पंचायत का नाम | गांवों के नाम | आर जी जी वी योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अहमद पटेल | हसरगुंदगी | गुडाम्पल्ली, मारपल्ली, बेकुनायकटांडा, गोउंडानायक टांडा, रामेशेट्टीनायकटांडा | |
| 2 | श्री अनिल कुमार | छिम्मनछोड | नारनाल, नागारल, रोहिलाथांडा, चौकीथांडा | |
| 3 | श्री क्षांतावीरैया | अनवर | आइफोसल्ली, मारकाम्पल्ली, गंगवपल्ली, रामतीर्थ, गदागापल्ली, परदहनपोटकापल्ली | |
| 4 | श्रीमती अन्नपूर्णा | मिर्यान | ब्रमपल्ली, सोमानियादल्ली, कृष्णापुर, कल्लूर रोड़ | |
| 5 | श्री नीलकांतप्पा | सलेबीमल्ली | तुमकुंटा, टिकारमटपल्ली, येमपल्ली, जंगलाबेनटांडा | |
| 6 | श्री सैयद नज़ीर | पोलाकापल्ली | काकवाई | |
| 7 | श्री अशोक | शादीपुर | शिवनायकटांडा, छपिया, जवाहर नगटांडा, बेककूनायकटांडा, छियुदनायकटांडा, जिल्वान एवं हमचिकलिंगदल्ली | |
| 8 | श्रीमती ज्योति | एनोल्ली | चौडाम्पल्ली, भोगनिंगादल्ली | |
| 9 | श्री विष्णुवर्धन | काराछखेड | जिलाकापल्ली, गरकपल्ली, चार्टसाला, भोरकापल्ली, गवापुर | |
| 10 | श्री अल्लाहबक्श | कनकपुर | गरमपल्ली, दोटेकोल्ला, कोडुम्पुर, ताजलापुर | |
| 11 | श्री कृष्ण | कोंचावरम | कोंचावरम, लक्ष्मसफ़र, मक्दमपुर, शिवरामपुर, शिरेड्डीपल्ली | |
| 12 | मोहम्मद मुजफ्फर | डेगलमाडी | नियाहोसल्ली, पंचपल्ली | |
| 13 | श्री शंकर | नगाईडाली | टुमकुंटा, केसरमपल्ली, तिरूमालापुर, कोल्लूर, पट्टीपुर | |
| 14 | श्री महेन्द्रनाथ | चिमेदलाई | दस्तापुर, गौरन्नाहल्ली | |
| 15 | श्री शिवराज | सलेगरबसंतपुर | बेंकीपल्ली, पट्टीटांडा, संजनकोल्लाटांडा, गड़ीटांडा, सलगर(पी) | |
| 16 | श्री जगन्नाथ | निडगुंदा | वेंकापुर, जत्तूर, वेंकटपुरथांडा | |
| 17 | श्री गुंडप्पा | कोडली | कुडली टांडा, सिरटांडा, अल्लापुर, सुटन | |
| | श्री जगन्नाथ | चंदनकेरा | कोटक, रानापुर, कलडोड्डी, सिरसाम्बोल्ली | |
| 19 | श्री वीरेश | चेंगता | पंगारा, अगताकीमू टांडा, मल्लीकोडा, कोनीटांडा, मडगोल टांडा, हौन गौडा टांडा, दत्तत्रेहगोउंगी | |
| 20 | श्री राजेंद्रा | आइनापुर | खानपुर, धमरूनायकटांडा, भूय्यासकरूनायकटांडा | |
| 21 | श्री चंद्रकांत | रूम्मनगुड | रामचन्द्रानायकटांडा, देवीनायक | |
| 22 | श्री मल्लिकार्जुन | केरोल्ली | बंतनहल्ली, कूहनाम्पल्ली, पेवेचम्पल्ली, हरछावर्न, कोनकपुर, लिंगानगर टांडा, पिड्डाटांडा, मोतीमुकटांडा, बेनकानल्ली | |
| 23 | श्री सुभाष | होडाबिरनली | कोडल्ली, कोरवी, कून्पनूर | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | श्री उदयकुमार | गढीकेश्वर | रायकोड, भूटपुर, चितापल्ली | |
| 25 | श्री रमालू | वेंकटपुर | गंगापुर, धर्मसागर, ओंटीगेंटा | |
| 26 | श्री रेवनसिद्दप्पा | रतकल | कंछनल, हुआल्सगुड, मुकरंबा | |
| 27 | श्री | हलचेरा | टेगलटिप्पी, होसल्ली, नरादगी, वाजर गांव | रिक्त |
| 28 | श्री | शिरोल्ली | रूडनूर, हुविनल्ली, हल्कोडा, पोटंगल | रिक्त |
| 29 | श्री | गाडीलिंगदल्ली | चेन्नूर, पट्टनायक थांडा | रिक्त |
| 30 | श्री | पास्तापुर | गांजागेरा, यलकपल्ली, हुविनाभावी, रूस्तमपुर, टाडापल्ली | रिक्त |
| 31 | श्री | मोघा | मोघा | रिक्त |
| 32 | श्री | सुलेपीठ | याकापुर | रिक्त |

संलग्नक –

IV-2

**<u>प्रभाग का नाम : ओ एवं एम प्रभाग-II, जेस्कॉम, गुलबर्गा</u>**

| क्र.सं. | एम एफ एफ का नाम | ग्राप पंचायत का नाम | गांवों के नाम | आर जी जी वी योजना के अंतर्गत शामिल/शामिल नहीं गांव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती भ्रमरमला | अंडोला | जयनापुर | |
| 2 | श्री राघवेन्द्र | हार्वल | जानेवर, कलंगर्गा | |
| 3 | श्री ए वी पाटिल | गुडुर एस ए | चन्नूर, काट्टीसांगवी, बूटनाल | |
| 4 | श्री बसवाराज एस सी | नरीबोल | येंगाऊंटा, राजवाल, मादरी | |
| 5 | श्री सयाबन्ना मारेप्पा | गान्चर | माराटगी (एल ए), मुदुबाल (के), मुदुबाल (बी) | |
| 6 | श्री अब्दुल रहमान | बिराल (बी) | बिराल (के), मल्ला (बी), मल्ला (के), होनल्ली, होटीनामाडु, रामपुर | |
| 7 | श्री दत्तात्रेय | कोलकुर | राड्डेबादगी, गाउनल्ली | |
| 8 | श्री वीरन्ना एस के | कूडी | मंड्रावल, कोन्हीपर्गा, कोबल होंडनूर, बनामगी, रसानगी | |
| 9 | श्री मालप्पा बी एस | मंडेबल | कुरनल्ली | |
| 10 | श्री अन्नाराया बी पी | अंकालगा | हुनचावल, गुगांटगा, हर्नाल (के), होल्लूर, नारायनापुर | |
| 11 | श्री मालप्पा जे. चक्रा | कल्लूर (के) | कल्लूर (बी), कुडालगल, येंकांची, मधुर | |
| 12 | श्री रमेश एस दयावप्पा | इट्गा | सिडनार, ओसागा (के), भोया (बी) | |
| 13 | श्री मालप्पा | हिप्पार्गा एस एन | कोंबासिरासगी | |
| 14 | श्री सिद्दू | सोन्ना | मुदकोल, कासरगोद | |
| 15 | श्री विजयचन्द्र | बिलवाड़ | मरादगी (एस एन), निरादगी, कोन्नोरटांडा, येमखांडी, खाजापुर, पाडापल्ली | |
| 16 | श्री एस बी पाडाशेट्टी | येल्वर | चिगारल्ली, सिगारटल्ली, सामोनाथ हल्ली, कोडची, लखनापुर | |
| 17 | श्री विश्वासनाथ सी एस | आइजेरी | गोग्हीहल | |
| 18 | श्री शांताप्पा एल आर | बलबत्ती | मल्लाबाद, अंबरखेड, शिवापुर, कचूर | |
| 19 | श्री साहेबगौडा एस पी | येल्मुड | मंग्लौर, हानासाजी, हंगार्गा (बी) | |
| 20 | श्री एस एस होसागौडा | कुरलगेरा | बिरलहिल्सा, अल्लापुर, नागरहल्ली | |
| 21 | श्री बी जी होडकर | अलूर | कासट्गी, कर्कीहल्ली, वारावी, गोब्बुरवाडगी, जवाला | |
| 22 | श्री एन एस मादरी | मागनगेरा | आइनापुर, कदमेश्वर, कोंडगोली | |
| 23 | श्री | काडाकोल | मांटसेवानागी, याटना, शाकापुर, तेलगीवाड, जंबेरल, हंचानल (एस यू) | रिक्त |
| 24 | श्री एन सी नंदयाल | मल्ली | काचापुर | |
| 25 | श्री निंगप्पा | येडरामी | अकनदल्ली | |
| 26 | श्री प्रेमानगौडा | कुकानूर | हरनल(बी), सैदापुर, होस्टारी, बेन्नूर | |
| 27 | श्री मल्लिकार्जुन | वाडागेरा | सोमबाद, डुम्माद्री, हंगार्गा (के) | |
| 28 | श्री एम आर कलगी | अरालागुंडगी | हलगट्टर्गा, मुरागानूर, कोंसिरासगी | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | श्री नागन्ना | केल्लूर | औरद, शाकापुर, हलबेडला | |
| 30 | श्री नीलप्पा सिद्दप्पा | जेराटगी | बेसानगी, रंगनागी, बाढीहल, येतनूर | |
| 31 | श्री गिरेप्पागौडा के. पोलिस पाटिल | हर्नूर | रेवानूर, मावानूर, हंचानल (एसए), नीलखेड, शाकीनल | |
| 32 | श्री सिद्रामप्पा | बालुंदगी | बेलूर, मय्यूर, नेरालगी, बिल्लाड, गुडुर एस एन, कुकानूर | |
| 33 | श्री बालचंद्रा | नीलोगी | कुकानूर | |

संलग्नक – IV-2

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत फ्रैंचाइजी-वार, प्रभाग वार गांवों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी**

| क्रमांक | जी वी पी/एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव का नाम | गांवों की संख्या | बी आर संख्या एवं तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| यादगिर-उप प्रभाग | | | | | |
| 1 | खांडप्पा | बांधल्ली | बांधल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | येड्डल्ली | | |
| | | | चमनल्ली | 3 | |
| 2 | विजय कुमार | अल्लीपुर | अल्लीपुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | होरूंचा | | |
| | | | कंचागरल्ली | 3 | |
| 3 | बांगरप्पा | अरेकेरा (बी) | अरेकेरा (बी) | | 1985/10-11-04 |
| | | | बसवन्तपुर | | |
| | | | कान्हल्ली | | |
| | | | अचोला | | |
| | | | वाडनल्ली | 5 | |
| 4 | बानय्या | अनापुर | नसलवे | | 1985/10-11-04 |
| | | | - | 2 | |
| 5 | रिव्त | यलासत्ती | यलासत्ती | | 1985/10-11-04 |
| | | | वाडावट्टी | | |
| | | | तोरनटप्पा | | |
| | | | करनागी | | |
| | | | टोटलूर | | |
| | | | नंदीपल्ली | | |
| | | | रचनल्ली | 7 | |
| 6 | नागराज | बलीचक्र | बलीचक्र | | 1985/10-11-04 |
| | | | नागलापुर | | |
| | | | नागरबंद | 3 | |
| 7 | उमरसाब | अजालापुर | अजालापुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | चेलचेरा | | |
| | | | बडेपल्ली | | |
| 8 | सिद्दलिंगरेड्डी पोलिस पाटिल | बेलागुंदी | बेलागुंदी | | 1985/10-11-04 |
| | | | गोंडाडगी | | |
| | | | सांगावार | | |
| | | | अन्नूर (बी) | | |
| | | | अन्नूर (के) | | |
| | | | भीमानाल्ली | | |
| | | | कांडापुर | | |
| | | | रामपुर | 8 | |
| 9 | राजकुमार | चिन्नाकर | धरमपु | | 1985/10-11-04 |
| | | | धरमपु टांडा | | |
| | | | गटमिटपल्ली | | |
| | | | गुंजानूर | 4 | |
| 10 | गोवरहानरेड्डी | चापेट्ला | चापेट्ला | | 1985/10-11-04 |
| | | | याडलापुर | | |
| | | | याडलापुर टी | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | इमलापुर | | |
| | | | इमलापुर टी | | |
| | | | बुरजु टी | 6 | |
| 11 | शाराबासप्पा | चंद्राकी | मडेपल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | केश्वर | 2 | |
| 12 | मोनप्पा | गजरकोट | शिपुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | रामपुर | | |
| | | | देवरहल्ली | 3 | |
| 13 | आर प्रकाश | हलीगेरा | हलीगेरा | | 1985/10-11-04 |
| | | | मस्कानल्ली | | |
| | | | आर होसल्ली | 3 | |
| 14 | रिव्त | हट्टीकुनी | सौदागर टैंक | | 1985/10-11-04 |
| | | | हट्टीकुनी | | |
| | | | बचावर | | |
| | | | सामनापुर | 4 | |
| 15 | कुंदन कुमार | सैदापुर | सैदापुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | क्याथनाल | | |
| | | | बालछेड | 3 | |
| 16 | प्रताप रेड्डी | जैग्राम | जैग्राम | | 1985/10-11-04 |
| | | | संकलापुर | | |
| | | | इडालूर | | |
| | | | तुर्कानडाडी | 4 | |
| 17 | शरणगौडा डाड्डल | कोडेचुर | कोडेचुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | चंदापुर | | |
| | | | दुप्पल्ली | | |
| | | | बोमरल डोड्डी | | |
| | | | मावीनल्ली | | |
| | | | हेग्गनगेरा | | |
| | | | डाड्डल | 7 | |
| 18 | शिवानंद | ककलवार | एम टी पल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | सिद्दापुर | | |
| | | | बुधूर | | |
| | | | बोरबांदा | 4 | |
| 19 | हुसैनप्पा | कांडाकुर | चितनपल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | चितनपल्ली टी | 2 | |
| 20 | के गुरूराज | किल्लनकेरा | किल्लनकेरा | | 1985/10-11-04 |
| | | | कोडालूर | | |
| | | | गोडागेरा | | |
| | | | गौडागेर | | |
| | | | गौडगेर टी | 5 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | प्रकाश | मिनासपुर | मुसेलपल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | नजरापुर | | |
| | | | नजरापुर टी | 3 | |
| 22 | बासरेड्डी | कोंकल | परमेश्पल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | आमपुर | 2 | |
| 23 | सुनील | थानागुंडी | थानागुंडी | | |
| | | | हेडगिमद्र | | |
| | | | टालक | | |
| | | | बोम्शेट्टीहल्ली | 4 | |
| 24 | गुरूपादय्या | मोटनल्ली | कोटगेरा | | 1985/10-11-04 |
| | | | होशल्ली | | |
| | | | चिंटागुंटा | | |
| | | | मोटनल्ली टी | | |
| 25 | दांडप्पा | मुदनल | मुदनल | | 1985/10-11-04 |
| | | | टुमकुर | | |
| | | | क्यासाप्नल्ली | 3 | |
| 26 | बानप्पा | मुंदार्गी | मुंदार्गी | | 1985/10-11-04 |
| | | | बेलगेरा | 2 | |
| 27 | हनुमंत | मल्हार | मल्हार | | 1985/10-11-04 |
| | | | हेग्गनगेरा | | |
| | | | सबूर | | |
| | | | लिंगेरी | 4 | |
| 28 | महादेवप्पा | पुटपक | धंटापुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | मालपुर | | |
| | | | पुटपक टी | 3 | |
| 29 | सुरेश बाबू | रामासमुद्रा | रामासमुद्रा | | 1985/10-11-04 |
| | | | अशानल | 2 | |
| 30 | अमेटियप्पा | होनागेरा | होनागेरा | | 1985/10-11-04 |
| | | | काट्गी शापुर | | |
| | | | सुतार होशल्ली | 3 | |
| 31 | साबन्ना | कौलूर | कौलूर | | 1985/10-11-04 |
| | | | शेट्टीगेरी | | |
| | | | जिकेरा | | |
| | | | मस्तूर | 4 | |
| 32 | मल्लिकार्जुन | वार्कलल्ली | वार्कनल्ली | | 1985/10-11-04 |
| | | | कोयलूर | | |
| | | | एम होसल्ली | | |
| | | | पगलपुर | 4 | |
| | | | अर्केरा (के) | | 1985/10-11-04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | लाचप्पा | अर्केरा (के) | सवंतपुर | | |
| | | | मेलापुर | 3 | |
| 34 | सब्बनगौडा | यरगोल | यरगोल | | 1985/10-11-04 |
| | | | यरगोल टांडा | | |
| | | | गोपी नायक टांडा | | |
| | | | मल्लकापनल्ली टांडा | | |
| | | | यरगोल मेडिकल एरिया | 5 | |
| 35 | रवि कुमार | येल्हेरी | गानापुर | | 1985/10-11-04 |
| | | | आशापुर टी | | |
| | | | होली टी | 3 | |
| 36 | बलवंतरेड्डी | कलाबेलगुंडी | कलाबेलगुंडी | | 1985/10-11-04 |
| | | | कनेकल | | |
| | | | नीलाहल्ली | 3 | |
| 37 | सिद्धरामरेड्डी | बडियाल | बडियाल | | 1985/10-11-04 |
| | | | मुंगाल | | |
| | | | गुडूर | | |
| | | | शट्टल्ली | | |
| | | | सौराष्ट्रल्ली | 5 | |
| 38 | सुभाषचंद्र | पासपुल | यमपद | | 1985/10-11-04 |
| | | | मुगदमपुर | | |
| | | | मुगदमपुर टी | | |
| | | | घोकलपुर | 4 | |
| 39 | शामप्पा | मधवार | मधवार | | 1985/10-11-04 |
| | | | वानकासम्बर | | |
| | | | सम्बर | | |
| | | | गुडलगुंटा | 4 | |
| | | | | योगः- 146 | |

संलग्नक – IV-2

**शाहपुर उप प्रभाग**

| क्रमांक | जी वी पी/एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव का नाम | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मारूति | अनाबी | अनाबी | |
| | | | होसूर | |
| | | | रोजा | |
| | | | इटाका | 4 |
| 2 | रूद्रप्पा | बेनडेगुम्बली | बेन्डेगुम्बली | |
| | | | काड्रपुर | |
| | | | टुमकुर | |
| | | | रोट्नाड्गी | |
| | | | हबसिहाल | |
| | | | कोडल | 6 |
| 3 | नागय्या | बिल्हार | बिल्हार | |
| | | | मचनूर | |
| | | | कनडल्ली | |
| | | | बेनेकानल्ली | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कानल्ली | 5 |
| 4 | मादीवालप्पा | चामनल | चामनल | |
| | | | चामनल टांडा | |
| | | | नंदानल | |
| | | | नंदानल टांडा | |
| | | | चंदापुर | |
| | | | चंदापुर टांडा | |
| | | | धर्शनापुर | |
| | | | गुन्दापुर | 8 |
| 5 | नागप्पा | चटनल्ली | चटनल्ली | |
| | | | कारानगी | |
| | | | नलवाडगी | |
| | | | बालाकल | |
| | | | कारानगी | 5 |
| 6 | नारायन | डोर्नल्ली | डोर्नल्ली | |
| | | | बेविनहल्ली | 2 |
| 7 | वेंकटेश | गोगी (के) | गोगी (के) | |
| | | | गोगी (कैंप) यू के पी | |
| | | | गंगानायक | |
| | | | सेवा टांडा | 4 |
| 8 | शशिकांत | गोगी (पी) | गोगी (पी) | |
| | | | कंचनकवि | 2 |
| 9 | बनादेश | गोनल | गोनल | |
| | | | अग्निहल | |
| | | | जोलादादगी | |
| | | | गुंदालूर | |
| | | | शिवापुर | 5 |
| 10 | महिपालरेड्डी | गुलसरम | गुलसरम | |
| | | | बब्लाड | |
| | | | बर्नाल | |
| | | | हुलकल | 4 |
| 11 | देवेन्द्ररेड्डी | हलगेरा | हलगेरा | |
| | | | अर्जुनगी | |
| | | | कुमनुर | |
| | | | गोडीहल | 4 |
| 12 | रविन्द्र कुमार | हट्टीगुडुर | गोडेसगुर | |
| | | | मंड्गाकल्ली | |
| | | | कोन्गंडी | |
| | | | मौनमुटागी | |
| | | | कटोमनल्ली | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सवूर | 7 |
| 13 | अब्दुल रहमान | हय्याल (बी) | येकाशांती | |
| | | | माद्राकल | |
| | | | आईकूर | |
| | | | बसवंपुर | 4 |
| 14 | वेंकटेश | होस्केरा | होस्केरा | |
| | | | होंस्केरा टांडा | |
| | | | राजापुर | |
| | | | शेट्टीकेरा | |
| | | | एस के डोड्डी | 5 |
| 15 | शिवाप्रकाश | होतपट | होतीपेह | |
| | | | डिग्गी | |
| | | | होतपट | |
| | | | शाकापुर | |
| | | | हुलाकल्क | |
| | | | हलाबावी | |
| | | | मक्टापुर | |
| | | | एंगलेज | 8 |
| 16 | भीमार्या | इब्राहिमपुर | इब्राहिमपुर | |
| | | | टांगादगी | |
| | | | बिदारानी | |
| | | | हब्बली | 4 |
| 17 | अमालप्पा | के. कोल्लूर | कन्ने कोल्लूर | |
| | | | टोकापुर | |
| | | | बेनकानल्ली | |
| | | | टीप्पानल्ली | 4 |
| 18 | मल्हारी | कदमगेरा | टेकराल | |
| | | | क्याटनल | |
| | | | कदमगेरा | 3 |
| 19 | सुभाष | काक्कसगेरा | टेकराल | |
| | | | क्याटनल | |
| | | | कदमगेरा | 3 |
| 20 | करीगोलप्पा | खानपुर | गुन्दल्ली | |
| | | | गुन्दल्ली टांडा | |
| | | | खानपुर | |
| | | | मानागनल | 4 |
| 21 | बीरन्ना | कोंकल | कोंकल | |
| | | | गोंडेनूर | |
| | | | कुरिहल | |
| | | | चन्नूर जे | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | मालप्पा | एम कोल्लूर | एम कोल्लूर | |
| | | | मरकल | |
| | | | भीमूर | |
| | | | परासपुर | |
| | | | टोन्नूर | |
| | | | गुडुर | 6 |
| 23 | शिवारूद्र | मद्राकी | मद्राकी | |
| | | | मद्राकी कैंप | |
| | | | सेद्यापुर | |
| | | | कोडानल्ली | |
| | | | सिंगानल्ली | 5 |
| 24 | ईरय्या | मुडाबूल | मुडाबूल | |
| | | | हरिहल्ली | |
| | | | सलादापुर | 3 |
| 25 | मंजुनाथ | नागानटिगी | नागाटिगी | |
| | | | नागानटिगी टी | |
| | | | सैदापुर | |
| | | | भानाटिना | |
| | | | दरियापुर | |
| | | | गंगानल | 6 |
| 26 | इस्माईल | नाइकल | नाइकल | 1 |
| 27 | हय्यालाप्पा | रस्तापुर | रस्तापुर | |
| | | | विभुतिहल | |
| | | | शरदल्ली | |
| | | | गोलारल्ली | |
| | | | मानल रोजा | 5 |
| 28 | शरणप्पा | सागर | सागर | |
| | | | वीरपापुर | |
| | | | तिम्मापुर | 3 |
| 29 | साइबन्ना | शिरावल | शिरावल | |
| | | | हुरसगुंदागी | 2 |
| 30 | प्रभुकुमार | टी वाडगेरा | टी वाडगेरा | |
| | | | हय्याल के | |
| | | | गुंदागुर्ती | |
| | | | बोलारी | |
| | | | हागस्टीहल | |
| | | | अनवर | |
| | | | बोम्मनहल्ली | 7 |
| 31 | नागन्नागौडा | टाडीबीडी | टाडीबीडी | |
| | | | हुनदेकल | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | चन्नाबासप्पा | उक्कीनाल | उक्कीनाल | |
| | | | उक्कीनाल टांडा | |
| | | | राबानल्ली | |
| | | | राबानल्ली टांडा | |
| | | | काराकाहल्ली | |
| | | | काराकाहल्ली टी | |
| | | | हारानगर | |
| | | | हारानगर टी | 8 |
| 33 | नितिनराज | उल्लेसुगर | | 1 |
| 34 | सुगारय्या | वाडागेरा | वाडागेरा | |
| | | | टांडा | |
| | | | बीरनाल | 3 |
| 35 | बांदय्या | कुरकुंडा | कोई जी वी पी नहीं | 1 |
| 36 | शरणाप्पा | वानादुर्गा | वानादुर्गा | |
| | | | वानादुर्गा कैंप | |
| | | | चन्नूर के | 3 |
| | | | योगः- | 151 |

संलग्नक – IV-2

**शेरापुर उप प्रभाग**

| क्रमांक | जी वी पी/एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव का नाम | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गोविन्दप्पा | अर्केरा (के) | अर्केरा (के) | |
| | | | बीजसपुर | |
| | | | कृष्णापुर | 3 |
| 2 | विनोद कुमार | अल्डल | अल्डल | |
| | | | नागराहल | |
| | | | हन्ड्राल | |
| | | | गोनल एस डी | |
| | | | हन्ड्राल | |
| | | | बोनल | |
| | | | मांगिहा | 7 |
| 3 | देवराज | हेमानूर | हेमानूर | |
| | | | शाकापुर | |
| | | | लिंगदाहल्ली | |
| | | | हलीगेरा | 4 |
| 4 | राघवेन्द्र | अग्नि | अग्नि | |
| | | | अगातिरह | |
| | | | कारीभावी | |
| | | | हुविनाहल्ली | |
| | | | हंड्राहल जे | 5 |
| 5 | मालप्पा | बैचाबल | बैचाबल | |
| | | | कानल्ली | |
| | | | कुडलगी | 3 |
| 6 | अमरेश | देवतकाल | देवतकाल | |
| | | | कोनी | |
| | | | हलभावी | |
| | | | गोडीहल टी | |
| | | | थन्नापटना | |
| | | | रायगढ़ | 6 |
| 7 | बसवाराज | देवापुर | देवापुर | |
| | | | शेल्गी | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मुशटल्ली | |
| | | | हरालाल्ली | 4 |
| 8 | इशावारप्पा | देवारगोनल | देवारगोनल | |
| | | | माचागुडल | |
| | | | छिम्मनगड्डी | |
| | | | बद्यापुर | 4 |
| 9 | जामलप्पा | बारादेवानल्ली | बारादेवनाल्ली | |
| | | | यर्किहल व टांडा | |
| | | | उपालादिन्नी | |
| | | | बाप्पार्गा | 4 |
| 10 | सिद्दनगौडा | देवीकेरा | देवीकेरा | |
| | | | राट्टल | 2 |
| 11 | भीमाशंकरा | अर्केरा (जे) | अर्केरा (जे) | |
| | | | यडाहल्ली | |
| | | | सदाब | |
| | | | टेग्गल्ली | |
| | | | शाकापुर | 5 |
| 12 | शिवारेड्डी | गेड्डलामारी | गेड्डलामारी व टांडा | |
| | | | याडलभावी | |
| | | | बेंचीगड्डी | |
| | | | जुमालापुर व टांडा | 4 |
| 13 | अप्पासाहेब | हगारतगी | हगारतगी | |
| | | | बुदिहल | |
| | | | होराहट्टी | |
| | | | करेकल | |
| | | | हेमट्टी | 5 |
| 14 | अमरप्पा | हेब्बल (बी) | हेब्बल (बी) | |
| | | | हेब्बल (के) | |
| | | | कलादेवानल्ली | |
| | | | सिद्दापुर | |
| | | | बेलापुर व टांडा | 5 |
| 15 | बसलिंगप्पा | येवूर | येवूर | |
| | | | खानपुर एस के | |
| | | | डांडा सोलापुर | |
| | | | डांडा सोलापुर टांडा | 4 |
| 16 | ग्यानोबा | हुन्सिगी | हुनसिगी | |
| | | | हुनसिगी टांडा | 2 |
| 17 | लिंगाराज | खानपुर एस एच | खानपुर एस एच | |
| | | | कवाडिमाट्टी | |
| | | | गौडीहल जे | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | माडयप्पा | कचकनूर | कचकनूर | |
| | | | के टल्लोली | |
| | | | चिकनाहल्ली | |
| | | | बाचीमाट्टी | |
| | | | बेनकाहल्ली | 5 |
| 19 | देविंद्राप्पा | काकेरा | काकेरा | |
| | | | मंजलापुर | |
| | | | जमरडोड्डी | |
| | | | बुगलागटटी | |
| | | | बनडोड्डी | |
| | | | लिंगापुर | 6 |
| 20 | दत्तात्रेयराव | कामनाटागी | कामनाटागी | |
| | | | बालाशेट्टीहल | |
| | | | सोनापुर व टांडा | |
| | | | होम्बालाकल | |
| | | | कानागंदनहल्ली | |
| | | | हनुमानल | 6 |
| 21 | बसवाराज | करदाकल | करदाकल | |
| | | | नडकूर | |
| | | | किरदल्ली टांडा | 3 |
| 22 | सुगरय्या | केमभावी | केमभावी | 1 |
| 23 | कृष्णाप्पा | जोगनादाभावी | जोगनादाभावी | |
| | | | कोटेगुड्डा | |
| | | | रायनागोला | |
| | | | अम्मापुर एस एच | |
| | | | बासरोगिडा टांडा | |
| | | | हल्लीकेरा | 6 |
| 24 | गोपालराव | वाज्जल | वाज्जल | |
| | | | चनूर टांडा | |
| | | | श्रीनिवासपुरा | |
| | | | मंजलापुरहल्ली | 4 |
| 25 | टिप्पन्ना | कोलीहल | कोलीहल | |
| | | | गुंडलेरा | |
| | | | इस्लामपुर | 3 |
| 26 | चंद्रकांतराव | मालागट्टी | मालागट्टी | |
| | | | टिपनाट्गी | |
| | | | चिगारीहल | |
| | | | माविनामाट्टी | |
| | | | हेग्गनडोड्डी | |
| | | | गोडरीहल | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | जैनापुर | 7 |
| 27 | मानप्पा | मारानल | मारानल व टांडा | |
| | | | बेलिगिडाटांडा | |
| | | | माडालिंगनाहल | |
| | | | हेन्निवाडीगेरा | |
| | | | कमलापुर | |
| | | | बस्सापुर | 6 |
| 28 | शांतागौडा | मल्ला (बी) | मल्ला (बी) | |
| | | | हडनूर | |
| | | | गुगडीहल | |
| | | | मल्ला (के) | 4 |
| 29 | टिप्पन्ना | मालानूर | मालानूर | |
| | | | गुलबल | |
| | | | कुप्पी | |
| | | | दयागानल | |
| | | | बनाहट्टी | |
| | | | मारलभावी | |
| | | | देवापुर जे | 7 |
| 30 | ईरन्ना | मुडानूर (के) | मुडानूर (के) | |
| | | | मुडानूर (बी) | |
| | | | रामपुर | |
| | | | पतेपुर | |
| | | | याडियापुर | 5 |
| 31 | कृष्णाप्पा | नागानूर | नागानूर | |
| | | | गौडागेरा | 2 |
| 32 | मल्हाराव | नारायनपुर | नारायनपुर | |
| | | | मेलिनागद्दी | |
| | | | जनगिनागद्दी | |
| | | | यांगदाबेल | |
| | | | दासरागोट | |
| | | | लक्ष्मणकेरी टांडा | 6 |
| 33 | सुनील कुमार | टिनटानी | टिनटानी | |
| | | | डाड्डलपुर | |
| | | | शांतापुर | |
| | | | हुंसीहोल | |
| | | | बनदल्ली | |
| | | | लिंगादाहल्ली | 6 |
| 34 | शिवामनय्या | पेत अम्मापुर | पेत अम्मापुर | |
| | | | जलीबंची | |
| | | | मंग्लौर | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | हल अम्मापुर | 4 |
| 35 | हनीफ | राजनकोल्लूर | राजनकोल्लूर | |
| | | | तीर्थहल्ली | |
| | | | टोलादिन्नी | 3 |
| 36 | साहेबगौडा | सुगर | सुगर | |
| | | | बेविनाल | |
| | | | चांदलापुर | |
| | | | हेम्माड्गी | |
| | | | यड्डोदगी | |
| | | | चौडेश्वरीहल | |
| | | | कारनल | |
| | | | कुपगल | 8 |
| 37 | हब्लेराव | पारसानल्ली | पारसानल्ली | |
| | | | मालाहल्ली | |
| | | | किरदल्ली | 3 |
| 38 | राजकुमार | यालागी | यालागी | |
| | | | यालागी टांडा | 2 |
| 39 | बसवाराज | कोडेकल | कोडेकल | |
| | | | रैनापल्ली | |
| | | | दासरागोटा | 3 |
| 40 | माधवराया | याकतापुर | याकतापुर | |
| | | | बेविनल्ली एस के | |
| | | | डोरानल्ली | |
| | | | एम बोम्मनहल्ली | |
| | | | वोन्डागनूर | |
| | | | चिन्चोली | |
| | | | आईनापुर | |
| | | | कचापुर | |
| | | | अलाहल | |
| | | | मल्कापुर | 10 |
| 41 | हनुमत | वागनगेरा | वागनगेरा | |
| | | | तलवारगेरा | |
| | | | मल्लीभावी | |
| | | | टी बोम्मानल्ली | 4 |
| 42 | बसवाराज | बेलाकुंटी | बेलाकुंटी | |
| | | | काडाडरल | |
| | | | बोम्मागुड्डा | |
| | | | रजवाल | |
| | | | हनुमासागर | 5 |
| | | | | योगः- 189 |

संलग्नक – IV-2

**सेदम उप प्रभाग**

| क्रमांक | जी वी पी/एम एफ एफ का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव का नाम | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बालारेड्डी | अड्की | अड्की | |
| | | | अड्की उड्डा | |
| | | | बिदार चेडा | |
| | | | हेमापुर | |
| | | | मदनासपल्ली | |
| | | | गोलगोपनपट | 6 |
| 2 | बसवारेड्डी | बाटगेरा – के | बाटगेरा के | |
| | | | बाटगेरा बी | |
| | | | कौंचवार | |
| | | | टुरबोमनाहल्ली | 4 |
| 3 | महादेवाप्पा | हांडार्की | नामवर | |
| | | | मेलवार | |
| | | | हुलागोल | |
| | | | गोनाहल | 4 |
| 4 | चंद्राशेखर रेड्डी | इटकाल | इटकाल | |
| | | | बुरागपल्ली | 2 |
| 5 | श्रीसैलरेड्डी | जकनपल्ली | गुनदल्ली | |
| | | | रूद्राम | |
| | | | कोनेपुर | |
| | | | रागापुर | |
| | | | मुंकमपल्ली | 5 |
| 6 | रेमारेड्डी | कानागड्डा | यांगुंदी | |
| | | | टोलमामिडी | |
| | | | पाकल | |
| | | | शंकरपल्ली | 4 |
| 7 | रहीम | कोडला | कोडला | |
| | | | बेन्कल्ली | |
| | | | मुस्टल्ली | 3 |
| 8 | बसवाराज | कोलकुंड | कोलकुंड | |
| | | | मलकापल्ली | 2 |
| 9 | सेबन्ना | डुगानूर | डुगानूर | |
| | | | देवानूर | |
| | | | नाचवर | |
| | | | टुनूर | |
| | | | बिल्कल | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | शेक़मुजबीर रहमान | लिंगामपल्ली | लिंगामपल्ली | |
| | | | हीराम्पुर | |
| | | | खाडलापुर | |
| | | | कांडेपल्ली | |
| | | | हुंडेपल्ली | |
| | | | बनवर | |
| | | | राजोल | 7 |
| 11 | कामन्ना | मडकाल | मडकाल | |
| | | | हय्याल | |
| | | | हिंगल | |
| | | | कोटनपल्ली | |
| | | | सोमपल्ली | 5 |
| 12 | खादरपाशा | मदना | मदना | |
| | | | कांदल्ली | |
| | | | काड्टल | 3 |
| 13 | विजयकुमार | मालखेड | मालखेड | |
| | | | हुडा. बी | |
| | | | हुडा. के | |
| | | | मालखेड स्टेशन | |
| | | | किशन सिंह टी | 5 |
| 14 | संतोषकुमार यल्लोजी धोग | मेदक | मेदक | |
| | | | चांदपुर | |
| | | | चिल्लरकोट | 3 |
| 15 | शांताकुमार | कुक्कुंडा | कुक्कुंडा | |
| | | | बीबानल्ली | |
| | | | कचवार | |
| | | | मेनाबल्ली | |
| | | | सानल्ली | |
| | | | याड्गी | 6 |
| 16 | प्रभाकररेड्डी | मोटकपल्ली | मोटकपल्ली | |
| | | | गुंदल्ली | |
| | | | वेंकटापुर | |
| | | | किस्टापुर | |
| | | | शेक्लासपल्ली | 5 |
| 17 | नरेन्द्रकुमार | मुडहोल | मुडमोल | |
| | | | मुडहोल टांडा | 2 |
| 18 | शंकराप्पा | नीलाहल्ली | नीलाहल्ली | |
| | | | होसल्ली | |
| | | | बाजानल्ली | |
| | | | कट्टीसांगवी | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बरनल्ली | |
| | | | हेरेबोमानल्ली | 6 |
| 19 | संजीव रेड्डी | रंजोल | रंजोल | |
| | | | भुटपुर | |
| | | | चिटकनपल्ली | |
| | | | चिटनमाड्गु | |
| | | | हान्महल्ली | 5 |
| 20 | भगवनतप्पा | रिब्बनपल्ली | रिब्बनपल्ली | |
| | | | कांडरपल्ली | |
| | | | मल्हाबाद | |
| | | | नंदेपल्ली | |
| | | | अनंतापुर | 5 |
| 21 | हनुमंत | टेल्कुर | टेल्कुर | |
| | | | हबल्ली | |
| | | | मुगनूर | |
| | | | सतपतनाहल्ली | |
| | | | सुखार | |
| | | | येदल्ली | |
| | | | लहुदा | 7 |
| 22 | शिवायोगी | उदागी | उदागी | |
| | | | हानामल्ली | |
| | | | हुनल्ली | |
| | | | कलकम | 4 |
| 23 | शिवारानप्पा | कुर्कन्टा | कुर्कन्टा | 1 |
| | | | योगः- | 99 |

संलग्नक – IV.3

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

जिले का नाम एवं जनगणना कूट : गुलबर्गा – 04 योजना कूट सं. : ख

सार : कार्य क्षेत्र तथा अनुमानित लागत

| क्र.सं. | कार्य पद | विनिर्देशन | यूनिट | विस्तृत लागत आंवड़े हेतु संदर्भ संख्या | यूनिट लागत लाख रूपयों में | कुल मात्रा | कुल लागत | मात्रा की स्थिति | | लागत की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (क) | 33 के वी निर्माण कार्य | | | 1 | | | | 30% | 70% | 30% | 70% |
| 1 | नये 33/11 के वी उप स्टेशन (नये 33/11 के वी उप स्टेशनों तथा ब्लॉकों में लाइनों के लिए जहां ये विद्यमान नहीं हैं) | 33 के वी एवं 11 की संख्या विनिर्दिष्ट सी बी तथा पैनल | एन ओ एस | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) 1x3.15 एम वी ए | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) 1x1:6 एम वी ए | | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) 1x5 एम वी ए | | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (घ) 2x3.15 एम वी ए | | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | एक्स. 33/11 के वी उप स्टेशनों का आवर्धन | | एम ओ एस | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.5 एम वी ए से 20 एम वी ए (66 के वी श्रेणी) | | | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 एम वी ए से 20 एम वी ए (110 के वी श्रेणी) | | | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | विद्यमान उप स्टेशन में उपलब्ध अतिरिक्त 11 के वी सर्किट ब्रेकर | ब्यौरा अलग से उपलब्ध कराया जाए | एन ओ एल | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | एक्स. 33/11 के वी सब | निर्माण कार्य विनिर्दिष्ट | एल एस | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्टेशनों का आर एवं एम | | | | | | | | | | |
| 5 | **नई 33 के वी लाईनें** | सहायता की किस्म विनिर्दिष्ट | के एम एस | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) डॉग ए सी एस आर-3 फेस सहित | | | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) रेकॉन ए सी एस आर-3 फेस सहित | | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) रेब्बिट ए सी एस आर-3 फेस सहित | | | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 के वी लाईनों का पुनःसंचालन | आकारानुसार विनिर्दिष्ट | के एम एस | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | एक्स 33 के वी लाईनों का नवीयन | विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य | एल एस | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग (क) | | | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख | 11 के वी निर्माण कार्य | | | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | नये वितरण सब-स्टेशन | | | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) 10 के वी ए (1 फेस) | 11/0.25 के वी | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) 16 के वी ए (1 फेस) | 11/0.25 के वी | | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) 25 के वी ए (1 फेस) | 11/0.4 के वी | | 23 | 0.564 | 70 | 39.48 | 21 | 49 | 11.844 | 23.688 |
| | (घ) 25 के वी ए (3 फेस) | 11/0.4 के वी | एन ओ एस | 24 | 0.564 | 1332 | 751.248 | 399.6 | 932.4 | 225.3744 | 525.8736 |
| 2 | वितरण ट्रंसफर्मरों का आवर्धन | विनिर्दिष्ट | एम ओ एस | 25 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | नई 11 के वी लाईने | सहायता की किस्म विनिर्दिष्ट | के एम एस | 26 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) रेब्बिट ए सी एस आर-3 फेस आर के एम सहित | | | 27 | 1.55 | 165 | 255.75 | 49.5 | 99 | 102.3 | 153.45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ख) वीसल ए सी एस आर-3 फेस सहित | 8 मीटर की सहायता | | 28 | 1.25 | 979.82 | 1224.78 | 293.946 | 685.874 | 367.4325 | 857.3425 |
| | (ग) स्क्वायरल ए सी एस आर-3 फेस सहित | | | 29 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (घ) स्क्वायरल ए सी एस आर-1 फेस सहित | | | 30 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (च) रेब्बिट एएएसी-3 फेस समकक्ष के साथ | | | 31 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (छ) वीसल एएएसी-3 फेस समकक्ष के साथ | | | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ज) स्क्वायरल एएएसी-3 फेस समकक्ष के साथ | | | 33 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (झ) 11 के वी ए बी सी केबल | विनिर्दिष्ट | | 34 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 के वी लाइनों का पुनः संचालन | वीसल से रेब्बिट | के एम एस | 35 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 के वी लाईनों का नवीयन | विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य | एल एस | 36 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग (ख) | | | 37 | | | 2271.25 | 0 | 0 | 681.3759 | 1589.8771 |
| ग | एल टी निर्माण कार्य | | | 38 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | एल टी लाइनें | सहायता की किस्म विनिर्दिष्ट | के एम एस | 39 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) एंट एएसी सहित 3 फेस 5 डब्ल्यू | 8 मीटर की सहायता | | 40 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) जीनेट एएसी सहित 3 फेस 5 डब्ल्यू | | | 41 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) एंट एएसी सहित 3 फेस 4 डब्ल्यू | | | 42 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (घ) एंट एएसी सहित 1 फेस 2 डब्ल्यू | | | 43 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (च) वीसल एसीएसआर सहित 3 फेस 5 डब्ल्यू | | | 44 | 1.24 | 381.13 | 472.6012 | 114.339 | 266.791 | 141.78036 | 330.82084 |
| | (छ) स्क्वायरल एसीएसआर | | | 45 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सहित 3 फेस 4 डब्ल्यू | | | | | | | | | | |
| | (ज) वीसल एसीएसआर सहित 1 फेस 3 डब्ल्यू | | | 46 | 0.91 | 804.96 | 732.5136 | 241.488 | 563.472 | 219.75408 | 512.75952 |
| | (झ) स्क्वायरल एसीएसआर सहित | | | 47 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ट) 3 क्यू 5 वायर वीसल/एसीएसआरआरकेएम | | | 48 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग:- ग | | | 49 | | | 1205.1148 | 0 | 0 | 361.53444 | 843.58036 |
| घ | सेवा कनैक्शन | केबल आकार, मीटर के अनुसार | एन ओ एस | 50 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) बी पी एल लाभार्थी | | | 51 | 0.015 | 58973 | 884.595 | 17691.9 | 41281.1 | 265.3785 | 619.2165 |
| | योग:- घ | | | 52 | | | 884.595 | 0 | 0 | 265.3785 | 619.2165 |
| च | मीटरिंग | श्रेणी, करंट, रेटिंग इत्यादि | | 53 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) 11 के वी फीडर पर | | | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) वितरण ट्रंसफार्मरों पर | | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (यदि डी टी सी के साथ नहीं दिया गया है तो एल टी ओर के ट्रंसफार्मरों पर) | | | 56 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योगः- (च) | | | 57 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 58 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छ | अन्य नवाचारी उपकरण | | | 59 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) स्वीच्ड कैपेसिटर | के वी ए आर | एन ओ एस | 60 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) स्थायी कैपेसिटर | के वी ए आर | एन ओ एस | 61 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | | 62 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योगः- (छ) | | | 63 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ज) | कंप्यूटरीकरण तथा अन्य स्वचालित यंत्र | | | 64 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (क) कंप्यूअर हार्डवेयर | कृपया विनिर्दिष्ट करें | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) कंप्यूअर सॉफ्टवेयर | कृपया विनिर्दिष्ट करें | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) हस्तचालित बिलिंग मशीन | कृपया विनिर्दिष्ट करें | | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (घ) उपभोक्ता इंडैक्सिंग | कृपया विनिर्दिष्ट करें | एन ओ एस | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (घ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | कृपया विनिर्दिष्ट करें | | 69 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योगः- (ज) | | | 70 | | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (झ) | योग (क+ख+ग+घ+च++छ+त) | | | 71 | | | 4360.963 | 0 | 0 | 1308.28884 | 3052.67396 |
| (ट) | ऊपरिशर्ष : झ का 10% (केवल राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए लागू) अथवा सेवाशुल्क : झ का 12% अथवा केवल सी पी एस के लिए लागू अनुसार | | | 72 | | | 347.64 | 0 | 0 | 104.291034 | 243.345746 |
| (ठ) | योग (झ+ट) | | | 73 | | | 4708.60 | 0 | 0 | 1412.579874 | 3296.019706 |
| (ड) | प्रैंचाइजी विकास की लागत | | | 74 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | समग्र योग (ठ+ड) | | | 75 | | | 4708.60 | 0 | 0 | 1412.579874 | 3296.019706 |

7

## गुलबर्गा जिले में पिछले 5 वर्षों के दौरान संयोजित भार में वृद्धि को दर्शाती विवरणी

| क्र.सं. | वर्ष | प्रभाग का नाम | टैरिफ | | | | | | संयोजित भार किलो वाट में | | | | | | एम यू में खपत | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बी जे के जे | घरेलू | व्यावसायिक | कृषि | औद्योगिक | अन्य | बी जे के जे | घरेलू | व्यावसायिक | कृषि | औद्योगिक | अन्य | बी जे के जे | घरेलू | व्यावसायिक | कृषि | औद्योगिक | अन्य |
| | 2002.03 | गुलबर्ग – I | 76915 | 208797 | 28828 | 31507 | 7300 | 81 | 4614.90 | 50111.28 | 5765.60 | 5118151.25 | 73000.00 | 303.75 | 166.14 | 150.33 | 10.38 | 164.47 | 39.42 | 1.62 |
| | 2003-04 | | 83795 | 220895 | 30016 | 32423 | 7323 | 100 | 5027.70 | 53014.80 | 6003.20 | 121586.25 | 73230.00 | 375.00 | 181.00 | 159.00 | 10.81 | 169.25 | 39.54 | 1.31 |
| | 2004-05 | | 85013 | 225115 | 32592 | 33388 | 7648 | 116 | 5100.78 | 54027.60 | 6518.40 | 125205.00 | 76480.00 | 435.00 | 183.63 | 162.08 | 11.73 | 174.29 | 41.30 | 1.88 |
| | 2005-06 | | 44654 | 154384 | 25573 | 28417 | 4894 | 98 | 2679.24 | 37052.16 | 5114.60 | 106563.75 | 48940.00 | 367.50 | 96.45 | 111.16 | 9.21 | 148.34 | 26.43 | 1.59 |
| | 2006-07 (दिसंबर 06) | | 45539 | 74422 | 8054 | 28417 | 2934 | 44 | 2732.34 | 17861.28 | 1610.80 | 106563.75 | 29340.00 | 165.00 | 98.36 | 53.58 | 2.90 | 148.34 | 15.84 | 0.71 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005-06 | गुलबर्गा – II | 44025 | 74885 | 8270 | 6028 | 3165 | 11 | 2641.50 | 17972.40 | 1654.00 | 22605.00 | 31650.00 | 41.25 | 95.09 | 53.92 | 2.98 | 36.17 | 17.09 | 0.18 |
| | 2006-07 (दिसंबर 06) | | 44425 | 75749 | 8573 | 6603 | 3342 | 13 | 2665.50 | 18179.76 | 1714.60 | 24761.25 | 33420.00 | 48.75 | 95.96 | 54.54 | 3.09 | 55.47 | 18.05 | 0.21 |
| | 2002-03 | यादगीर | 50016 | 78901 | 8739 | 10577 | 2987 | 1876 | 3000.96 | 18936.24 | 1747.80 | 39663.75 | 29870.00 | 7035.00 | 108.03 | 56.81 | 3.15 | 55.21 | 16.13 | 30.39 |
| | 2003-04 | | 52081 | 82555 | 9893 | 11362 | 3182 | 1982 | 3124.86 | 19813.20 | 1978.60 | 42607.50 | 31820.00 | 7432.50 | 112.49 | 59.44 | 3.56 | 59.31 | 17.18 | 32.11 |
| | 2004-05 | | 53206 | 86308 | 10178 | 11912 | 3383 | 2135 | 3192.36 | 20713.92 | 2035.60 | 44670.00 | 33830.00 | 8006.25 | 114.92 | 62.14 | 3.66 | 62.18 | 18.27 | 34.59 |
| | 2005-06 | | 53983 | 87858 | 11664 | 12437 | 3588 | 2210 | 3238.98 | 21085.92 | 2332.80 | 46638.75 | 35880.00 | 8287.50 | 116.60 | 63.60 | 4.20 | 64.92 | 19.38 | 35.80 |
| | 2006-07 (दिसंबर 06) | | 55601 | 89873 | 12861 | 12932 | 3793 | 2155 | 3336.06 | 21569.52 | 2572.20 | 48495.00 | 37930.00 | 8081.25 | 120.10 | 64.71 | 4.63 | 67.51 | 20.48 | 34.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002-03 | गुलबर्गा जिले का योग | 126931 | 287698 | 37567 | 42084 | 10287 | 1957 | 7615.86 | 69047.52 | 7513.4 | 157815 | 102870 | 7338.75 | 274.171 | 207.1426 | 13.52412 | 219.6785 | 55.5498 | 31.7034 |
| | 2003-04 | | 135876 | 303450 | 39909 | 43785 | 10505 | 2082 | 8152.56 | 72828 | 7981.8 | 164193.8 | 105050 | 7807.5 | 293.4922 | 218.484 | 14.36724 | 228.5577 | 56.727 | 33.7284 |
| | 2004-05 | | 138219 | 311423 | 42770 | 45300 | 11031 | 2251 | 8293.14 | 74741.52 | 8554 | 169875 | 110310 | 8441.25 | 298.553 | 224.2246 | 15.3972 | 236.466 | 59.5674 | 36.4662 |
| | 2005-06 | | 142662 | 317127 | 45507 | 46882 | 11674 | 2319 | 8559.72 | 76110.48 | 9101.4 | 175807.5 | 116470 | 8696.25 | 308.1499 | 228.3314 | 16.38252 | 249.4259 | 62.8938 | 37.5678 |
| | 2006-07 (दिसंबर 06) | | 145565 | 240044 | 29488 | 47952 | 10069 | 2212 | 8733.9 | 57610.56 | 5897.6 | 179820 | 100690 | 8295 | 314.4204 | 172.8317 | 10.61568 | 271.307 | 54.3726 | 35.8344 |

संलग्नक – IV-5

**गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड**

दूरभाष : 08472)256581
फैक्स : (08472) 256842

निगमित कार्यालय
मेन रोड, गुलबर्ग

---

सं. जेस्कॉम/एम आई आई आर डी/जीवीपी-एमएफएफ दिनांक: 16.03.2006

सेवा में,

कार्यपालक इंजीनियर(वैद्युत)
ओ एव एम प्रभाग जेस्कॉम,
गुलबर्ग-I, गुलबर्गा-II, यादगिर, बीडार, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी व होस्पेट ।

महोदय,

विषय: **ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी के रूप में परिवर्तन करने विषयक ।**

संदर्भ: 1. **बंग्लौर में दिनांक 22.02.2006 को मुख्य सचिव द्वारा आयोजित आर जी जी वी वाई के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।**

**2. अध्यक्ष, एस्कॉम्स के दिनांक 03.03.2006 के अर्द्धशासकीय पत्र सं. के पी टी सी/बी 36/1102-एफ आई बी एफ/जी-2005**

।।।।।।

आगत आधारित फ्रैंचाइजिंग को शामिल करने तथा राजस्व में सुधार के उद्देश्यों को प्राप्त करने, विद्युत वितरण नेटवर्क के रखरखाव तथा वसूली का सूत्रपात करने के लिए ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों को माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों में परिवर्तित करने के एक मॉडल की संक्रियात्मक रूपरेखा संलग्न है । यह इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति से संबंधित विस्तृत प्रकार्यों को निष्पादित करने तथा वाणिज्यिक क्षति को कम करने के प्रयासों को केंद्रित करने में हमारी कंपनी के लिए उपयोग रहेगा ।

कंपनी के पूरी क्षेत्राधिकार में जेस्कॉम के पास 999 ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों हैं । फरवरी 2006 के अनुसार ओ एवं एम प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में 939 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि (जीवीपी) कार्यरत हैं तथा उनमें से 226 ग्राम विद्युत प्रतिनिधि तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त हैं, जो कि वर्तमान में कंपनी में कार्यरत हैं ।

विद्यमान योग्यता प्राप्त ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों (जिनके पास तकनीकी योग्यता, अर्थात् विद्युत में आई टी आई, विद्युत में डिप्लोमा कोर्स तथा बी ई इलेक्ट्रीकल्स योग्यता, है) को, उनके संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जो पूर्व में 1.4.2006 से जेस्कॉम के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए हैं, मीटर पठन, बिलिंग, बिल वितरण, राजस्व वसूली और बिजली की मामूली शिकायतों को दूर करने संबंधी कार्यभार को सौंपने के द्वारा माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजी के रूप में परिवर्तित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए ।

बिलिंग लक्ष्य, राजस्व वसूली लक्ष्य तथा पारिश्रमिक प्रतिरूप वही रहेंगे जो कि वर्तमान ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों (जी वी पी) के लिए निर्धारित हैं तथा व्यवहार में हैं । रूपांतरित किए गए माइक्रो फीडर फ्रैंचाइजियों के साथ नया अनुबंध करने के लिए समझौता ज्ञापन का एक प्रतिरूप इसके साथ संलग्न है ।